खण्ड-196, अंक-10
शुक्रवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1880
(22 अगस्त, 1958 ई0)

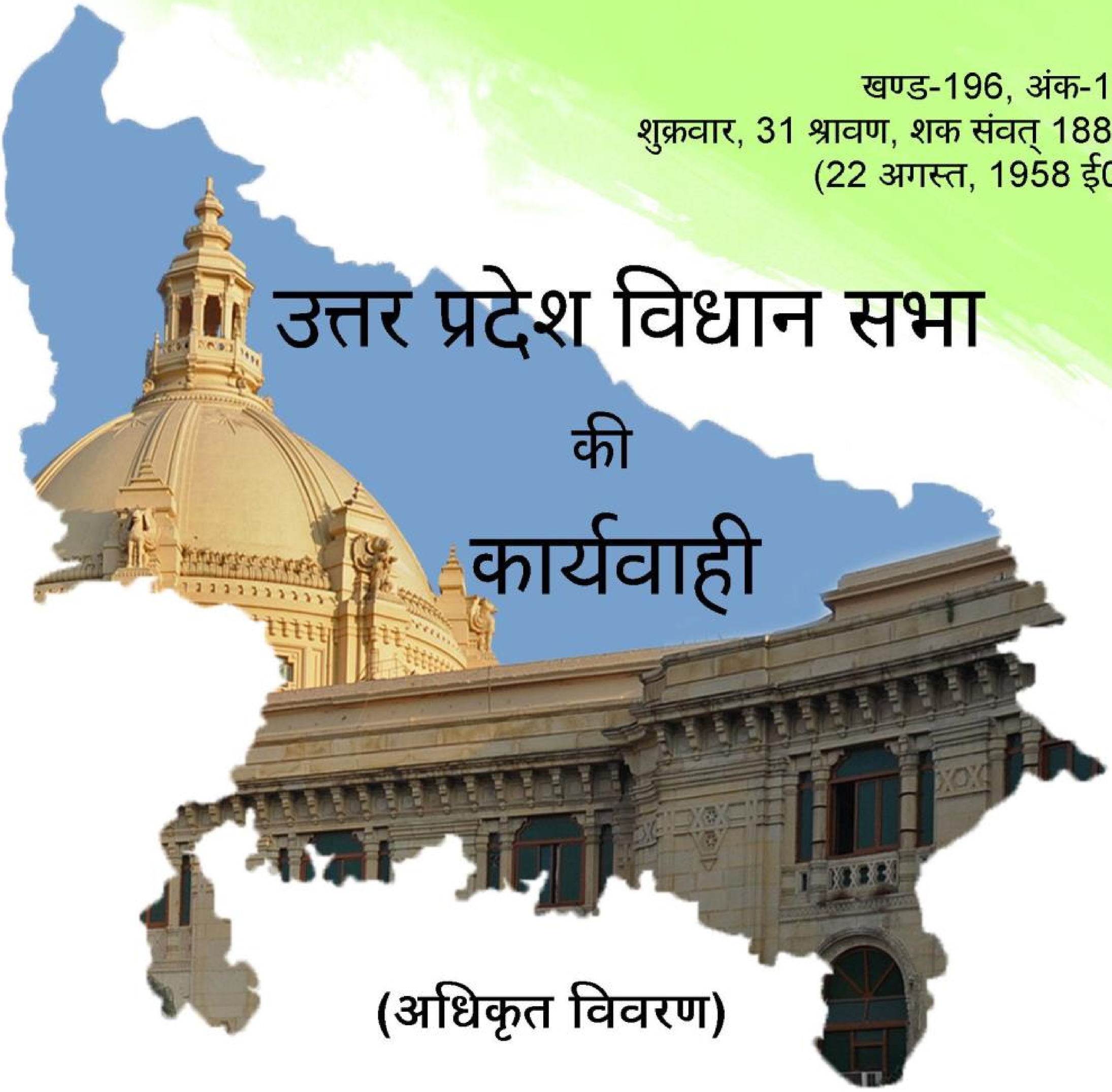

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	७५९–७६३
प्रश्नोत्तर	७६३–७८५
देवरिया कलेक्टरी कचहरी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा हुई ज्यादतियों के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७८५–७८८
रिहन्ड डैम के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७८८
बुलन्दशहर जिले की खाद्यस्थिति के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७८९
तहसील पडरौना, जिला देवरिया में भुखमरी से हुई मृत्युओं के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७८९
तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से चकबन्दी में असन्तोष होने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७९०
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (विवादार्थ स्वीकृत) ..	७९०
भुखमरी तथा अन्न समस्या को हल न कर सकने के संबंध में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७९०
विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयकों की प्रतिलिपियां (मेज पर रखी गयीं) ..	७९१
१२ वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन पाठ्य क्रम से हटाने के संबंध में संकल्प	७९१–८३०
नत्थियां	८३१–८४४

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम , श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मदहुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथ बहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया , श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को बन्द रखने पर आपत्ति

**१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के अभी तक न खुलने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—छात्रों की हड़ताल का किस्सा अभी तक अन्तिम रूप से तय न होना ही कालेज के न खुलने का कारण है।

**२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस कालेज के विद्यार्थियों को लखनऊ मेडिकल कालेज तथा अन्य ऐसे ही दूसरे कालेज में भर्ती होने के प्रश्न को अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय को न भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार ने निर्णय किया था कि यदि बी० एम० बी० एस० के सभी छात्र एकमत से एम० बी० बी० एस० के प्रथम वर्ष में भर्ती होने का निश्चय करेंगे तो सरकार इस प्रश्न को लखनऊ विश्वविद्यालय को भेजेगी। छात्रों में इस प्रश्न पर मतभेद होने के कारण उनका मत जानने के लिये सरकार ने २५ अगस्त को उनके बैलेट का प्रबन्ध किया है जिसका परिणाम घोषित होने के पश्चात ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें कितने छात्रों ने लिखित रूप से यह दे दिया कि वह एम० बी० बी० एस० पढ़ने को तैयार हैं और कुल कितने छात्र हड़ताल पर इस कालेज में थे ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—८३ या ८४ हड़ताल पर थे, एग्जेक्ट फिगर याद नहीं है और ७६ या कितने लड़कों ने लिखकर दिया है। उसमें से कुछ आकर के हमसे कह गए कि हमसे जबर्दस्ती दस्तखत कराये गए हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को वह कागज मिला जिस पर ७९ विद्यार्थियों के दस्तखत थे और जिसको त्रिलोकीसिंह ने माननीय मुख्य मंत्री को दिया था और यह उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग एम० बी० बी० एस० में दाखिल होने को तैयार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मिला था। ७९ ही हैं लगभग।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जब यह ज्ञात है कि लड़कों में आपस में मतभेद है तो आयुर्वेदिक कालेज को तुरंत न खोलने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब पक्के तौर से मालूम हो जाय तभी खोलना ठीक होगा। जिसके लिये कि हमने बैलट कराने का आदेश दे दिया है, उससे साफ-साफ जाहिर हो जायगा कि कौन किसके पक्ष में है ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मडिकल कालेज के स्टूडेन्ट्स का भी कोई उनके पास रिप्रेजेन्टेशन आया है इस आशय का कि बी० एम० बी० एस० के स्टूडेन्ट्स को एम० बी० बी० एस० में दाखिल न किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बैलट की व्यवस्था की गई है यह किसकी देखरेख में कराया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश की।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि बी० एम० बी० एस० के लड़कों ने इस बात का फैसला किया है कि वह सरकार द्वारा कराये जाने वाले बैलट का बायकाट करेंगे और उसमें हिस्सा नहीं लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उनकी तरफ से यह भी मांग आयी थी कि बैलट सीक्रेट न हो, खुला हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। बैलट माने हैं छिपा हो।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से बताने की कृपा करेंगे कि निश्चित रूप से सज्जा सहित कालेज कब खुल जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बैलट का रिजल्ट आउट होने पर फौरन खुल जायगा, या अगर लड़के उससे पहले दरख्वास्त देंगे या आकर के हमारे सामने कह दें तो पहले खुल जायगा।

श्री नवलकिशोर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंडियन काउन्सिल आफ मेडिसिन की जो यू० पी० ब्रान्च है उसने इस बात का गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट किया है कि बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० में दाखिल न किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गवर्नमेंट से नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबर अखबार में थी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि बी० एम० बी० एस० के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों ने इनकार कर दिया है कि वे एम० बी० बी० एस० नहीं होना चाहते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ ने इनकार किया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि यदि इनकी स्ट्राइक बन्द हो जायगी तो कालेज जल्दी खोल दिया जायगा और सरकार अपनी ओर से एक प्रपोजल भेजेगी कि इनको फर्स्ट ईयर में मेडिकल कालेज में भर्ती होने की सुविधा दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार की तरफ से यह आश्वासन था कि अगर सर्वसम्मति से बी० एम० बी० एस० के लड़के राजी हो जायं कि हां वे एम० बी० बी० एस० के प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे तो इस सवाल को सरकार यूनीवर्सिटी के पास रिफर कर देगी और जैसा यूनीवर्सिटी उचित समझेगी फैसला करेगी ।

श्री राजनारायण--यदि सर्वसम्मति से यह फैसला न हो तब भी बी० एम० बी० एस० के छात्रों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था करेगी सरकार ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आयुर्वेदिक कालेज में करेंगे ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे निश्चित रूप से कि उनके पास कितने विद्यार्थियों ने आकर यह कहा कि वह एम० बी० बी० एस० में नहीं मर्ज होना चाहते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--७, ८ ने आकर कहा है मुझसे ।

श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि जब ७९ लड़कों ने अपनी सहमति सरकार के पास लिखित माननीय नेता विरोधी दल द्वारा भेज दी तो उस हालत में बैलेट कराने का क्या कारण हुआ जब कि सरकार अगर उनको विशुद्ध आयुर्वेद की पढ़ाई की व्यवस्था सूबे के दूसरे आयुर्वेद के कालेज में भेज कर करा सकती थी? यह गड़बड़ी पैदा करने का क्या कारण हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शर्त यह थी कि यूनानिमिटी हो । जायंगे तो सब जायंगे नहीं तो कोई नहीं जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बी० एम० बी० एस० के छात्रों का जो आन्दोलन हुआ इसके पहले कुछ छात्र एम० बी० बी० एस० में भेज दिये गये थे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी हां, पहले कुछ गये थे ।

कुंवर श्रीपालसिंह--जो भेजे गये उनमें और जो नहीं भेजे गये उनमें क्या अन्तर था जिसकी वजह से कुछ लड़के भेज दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उनमें से कोई पास नहीं हुआ जहां तक मेरी इत्तला है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ७९ छात्रों ने जो दस्तखत करके दिये हैं शेष छात्रों के दस्तखत न होने का कारण यह है कि पिछले ६ महीने से कालेज बन्द होने के कारण विद्यार्थी अपने-अपने घर चले गये हैं इसलिये उनके दस्तखत प्राप्त नहीं हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, यह वजह नहीं है । जो दस्तखत कर गये हैं वह भी इनकार कर रहे हैं ।

श्री नवलकिशोर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले जो बी० एम० बी० एस० के छात्र एम० बी० बी० एस० में गये थे उनमें जो १ विद्यार्थी पास हुआ था उसको इंडियन काउन्सिल आफ मेडिसिन ने एफीलियेट करने से इनकार कर दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसका डेफिनिट जवाब देने के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ४ या ५ लड़के इस बात से असहमत थे उनको सरकार ने बनारस यूनिवर्सिटी, ऋषिकुल कालिज, हरिद्वार अथवा झांसी के कालेज में भेजने का सुझाव क्यों नहीं दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह कैसे हो सकता है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, वह चाहें तो जा सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बैलेट का नतीजा ४५ और ५५ प्रतिशत का आये तो वह क्या करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यही तय होगा कि यूनानिमिटी नहीं हुई ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बैलट को इतनी देर में रखने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत से लड़के घर चले गये थे और सब को नोटिस देना जरूरी था ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्व जो छात्र मेडिकल कालेज में दाखिल किये गये थे वह किस वर्ष में दाखिल किये गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अर्सा हुआ, ठीक साल नहीं मालूम ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वसम्मति न होने की हालत में सरकार ने अपनी कोई नीति निश्चित की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि सर्वसम्मति नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी को रिफरेंस नहीं किया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले के सुबेहा अस्पताल में स्थानाभाव

*१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम सुबेहा में जो अस्पताल है, उसके भवन का कितना रुपया किराया मासिक दिया जाता है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—दस रुपया मासिक ।

*२—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त अस्पताल में आपरेशन घर तथा असाध्य रोगियों के रहने के लिये जगह है या नहीं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—अस्पताल में कोई आपरेशन घर तथा इंडोर वार्ड नहीं है ।

*३—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह उक्त अस्पताल में दवा और नौकरों आदि पर सालाना कितना रुपया खर्च करती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—दवाओं पर २,५०० रुपया तथा नौकरों पर ५,३४६ रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इमारत में २ ही कच्चे कमरे होने के कारण डाक्टर तथा कम्पाउन्डर के रहने और दवा आदि का वहां ठीक प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फिलहाल जो व्यवस्था है वही कायम रहेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अस्पताल में आपरेशन वगैरह की और मरीजों को रखने की जगह नहीं है तो क्या भविष्य में इस पर विचार किया जायगा कि वहां कोई ऐसी जगह बनाई जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब काफी धन उपलब्ध होगा तो सोचा जा सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह ५,३४६ रु० जो नौकरों पर खर्च होता है और २,५०० रु० दवाओं पर खर्च होता है वह ५,३४६ रु० दवाओं पर खर्च हो और २,५०० रु० नौकरों पर खर्च हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त ऐसा करना मुमकिन नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब कम्पाउन्डर और डाक्टर के रहने के लिए कोई क्वार्टर का प्रबन्ध नहीं है, तो उसको बनवाने की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती।

*४-५---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६-८---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर की बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में पूछताछ

*९---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर बिजली सप्लाई कम्पनी की गत ३ वर्षों में बिजली उत्पादन की क्षमता क्या थी और इन वर्षों में उसने कुल कितनी बिजली वस्तुतः उत्पादन की है तथा इस उत्पादित बिजली में कितनी बिजली उद्योग के लिये तथा कितनी अन्य घरेलू कार्यों के लिये दी गई और उनकी दर क्या थी ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---४८,००० किलोवाट :

१९५६	२०६.७ मिलियन यूनिट
१९५७	२३६.१ " "
१९५८	२४७.२ " "

घरेलू कार्यों तथा उद्योग के लिये दी गई बिजली का ब्यौरा और दरों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

*१०---श्री देवकीनन्दन विभव---इस समय कानपुर सप्लाई कम्पनी में सरकार का कितना रुपया लगा हुआ है और उस पर उसे किस दर से ब्याज मिलता है ? इस सप्लाई कम्पनी में प्रशासनिक व्यय गत ५ वर्ष में प्रति वर्ष क्या रहा है तथा ब्याज अदा करने के बाद प्रतिवर्ष उसे क्या लाभ हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---३१ मार्च, १९५७ तक ५२४.३४ लाख रुपये; ४.५ प्रतिशत।

गत चार वर्षों का प्रशासनिक व्यय तथा ब्याज अदा करने के पश्चात् हुए लाभ का ब्योरा† मेज पर रख दिया गया है। ३१ मार्च, १९५८ को अन्त होने वाले वर्ष के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

*११---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्य सप्लाई कम्पनियों के अनुसार उसका बैलेन्सशीट और लाभ-हानि का ब्योरा तैयार होता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

---

† ब्योरा छापा नहीं गया।

श्री धर्मसिंह--जी हां।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो बिजली उत्पादित होती है उसमें से कितनी बिजली का तो पैसा आता है और कितनी बिजली ट्रांसमिशन लासिज में जाती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि उन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज को तो डेढ़ नये पैसे तक फी यूनिट बिजली मिलती है और छोटी इंडस्ट्रीज को १४ नये पैसे में मिलती है, तो क्या छोटी इंडस्ट्रीज में कम करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री धर्मसिंह--उसके लिए तो भिन्न-भिन्न रेट्स हैं जिसमें स्लाइडिंग स्केल भी आता है, स्माल इंडस्ट्रीज भी आती है, वह तो निर्धारित है। इस समय सरकार के सामने कोई प्रश्न नहीं है कि उसे कम किया जाय।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई करपोरेशन से कानपुर के देहातों में जो बिजली जाने वाली थी, वह कब तक जायेगी?

श्री धर्मसिंह--उसमें समय लगेगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्दी चली जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गत ३ वर्ष से 'केसा' की एलेक्ट्रिसिटी के कितने ड्यूज़ कानपुर के बड़े-बड़े लोगों पर बाकी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तादाद बताना मुश्किल है। थोड़ा बाकी था। अब कुछ दे रहे हैं और वसूल हो रहा है।

श्री उग्रसेन--एमाउंट क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वक्त बताना नामुमकिन है।

फेमिली प्लानिंग का ट्रेनिंग सेन्टर

*१२--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश में कितने फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स खुलेंगे?

डाक्टर जवाहरलाल रोतहगी--कोई नहीं।

*१३--श्री गनेशीलाल चौधरी--इनमें से कितने शहरी क्षेत्रों में और कितने देहाती क्षेत्रों में खुलेंगे?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार फेमिली प्लानिंग को आवश्यक नहीं समझती और उसी कारण उन्होंने इस वर्ष कोई सेंटर नहीं खोला?

श्री हुकुमसिंह विसेन--११ अगस्त से ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है और २० लड़कियां उसमें ट्रेनिंग पा रही हैं।

*१४-१५--श्री उग्रसेन--[हटा दिये गये।]

शारदा पावर हाउस से शारदा ग्रिड क्षेत्र को अपर्याप्त बिजली देने की शिकायत

*१६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोहिता हैड पर शारदा पावर हाउस की विद्युत् की उत्पादन शक्ति क्या है? इसमें से जिन जिलों के लिये वह पैदा की गई थी उनको कितनी दी जाती है तथा गंगा ग्रिड को कितनी?

श्री धर्मसिंह--शारदा पावर हाउस की विद्युत् उत्पादन शक्ति २३,००० किलोवाट है। इसमें से अब तक २०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न की गई है जिसमें से १०,००० किलोवाट शारदा ग्रिड क्षेत्र में और शेष १०,००० किलोवाट गंगा ग्रिड में दी गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि १०,००० किलोवाट से शारदा ग्रिड के जिलों की आवश्यकता पूरी नहीं होती है?

श्री धर्मसिंह--जी, पूरी होती है, क्योंकि यदि कोई भी आदमी बिजली मांगता है तो इस बात की व्यवस्था है कि उसको बिजली दी जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि जिन्होंने एक अर्सा हुआ दरख्वास्तें दी थीं उनको बिजली के कनेक्शंस नहीं मिले?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई दरख्वास्त देता है तो हम उसको फौरन बिजली दिलायेंगे।

श्री नवलकिशोर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शारदा पावर हाउस की जितनी कैपेसिटी है उससे ५० प्रतिशत कम बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसके विशेष कारण क्या हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ट्रांसफार्मेशन सब-स्टेशन की लिमिटेड कैपेसिटी में विकास होन पर और पानी काफी तादाद में मिलने पर उसमें इजाफा हो सकता है।

श्री नवलकिशोर--क्या यह सही है कि वहां जो तीन टर्बाइन्स हैं वह वर्किंग आर्डर में नहीं हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी सूचना मुझे नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी कितनी शक्ति है और कितना उत्पादन हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फर्म कैपेसिटी २३,००० किलोवाट है और २०,००० किलोवाट उत्पन्न होती है।

*१७-१८--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[हटा दिया गये।]

*१९--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)--[हटा दिया गया।]

फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इटावा द्वारा प्राप्त भूमि का मुआवजा

*२०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इटावा की फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने कस्बा इटावा के ४९ काश्तकारों की जमीन ७१.१२ एकड़ जिलाधीश की सहायता से सन् १९५६ में एक्वायर की है?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जी हां।

*२१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक सोसाइटी द्वारा १९५६ में एक्वायर की हुई जमीन के काश्तकारों को उनके मुआवजे का रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—भूमि अवाप्ति के समय उसकी अनुमानित लागत ५१,००० रुपये आंकी गई थी जिसे सोसाइटी ने जमा कर दिया और यह वायदा किया कि इसके अतिरिक्त जितनी भी धनराशि भूमि के सम्बन्ध में देय होगी वह उसे देगी। भूमि अर्जन अधिकारी ने ४–५–५७ को ९१,२४१.७५ रुपये तथा ६ रुपये प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष ब्याज सहित प्रतिकर निर्धारित किया। सोसाइटी ने इसके विरुद्ध रिट पिटीशन दायर किया जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तत्पश्चात् लगातार मांग करने पर भी सोसाइटी ने शेष धनराशि अभी तक जमा नहीं की। अब कुछ काश्तकारों को गत मास में मुआवजा दे दिया गया है तथा शेष को दिये जाने के लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि यह ५१,००० रुपया किस सन् में जमा किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह ५१,००० रुपया १६–११–५१ को जमा किया था।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि यह भूमि कितने रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो हिसाब लगाया जा सकता है। इसका रकबा दिया हुआ है और रुपया भी दिया हुआ है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—यह रुपया जिन काश्तकारों को दिया गया है क्या सरकार उनके नाम सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—काश्तकार जिनको रुपया दिया गया है उनके नाम मेरे पास नहीं हैं। अगर कोई माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हों तो मैं मंगा कर दे दूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन काश्तकारों की भूमि ली गई है, वह भूमिधर थे या सीरदार थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

गन्ने की फसल को रेड राट से बचाने के उपाय

*२२—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने गन्ने की फसल को Red Rot से बचाने के लिये क्या स्कीम बनाई है ?

श्री मोहन लाल गौतम—गन्ने को रेड राट तथा अन्य रोगों तथा कीड़ों के आक्रमण से बचाव के लिये गन्ना रक्षा सेवा का संगठन है और इस संगठन का प्रसार भी किया गया है। गन्ने की फसल को रेड राट से बचाने के लिये कोई नई तथा अलग योजना नहीं है।

हाल ही में इंडिया सेंट्रल शुगर केन कमेटी ने उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में इस बीमारी की रोकथाम के लिये एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत हमारे प्रदेश के पूर्वी भाग में (बिहार की सीमा पर) लगभग ३०,००० एकड़ गन्ने की खेती में, जहां इस रोग के प्रकोप का अधिक भय रहता है, कार्य चालू किया जा रहा है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीमारी से प्रत्येक वर्ष कितना गन्ना नष्ट होता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी सूचना है कि प्रदेश में रेड राट की बीमारी किस गन्ने की किस वराइटी पर ज्यादा हमला करती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। बाद में मिल सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस रेड राट की भीषणता को देखते हुये और व्यापक रूप से गन्ने का नुकसान देखते हुये इस योजना को सीड स्टोर के द्वारा चालू करने की कोशिश करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न तो मेरी समझ में नहीं आया कि सीड स्टोरों की तरफ से इसकी देखरेख कैसे हो सकती है। इसलिये मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पूर्वी जिलों में स्कीम चालू की गई है इसमें सरकार को सफलता मिली ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह थोड़े दिनों से चालू हुई है और इसमें अच्छी तरह सफलता मिल रही है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आज तक यह खोज की गई है या नहीं कि यह रेड राट की बीमारी होती क्यों है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

खटीमा पावर हाउस, जिला नैनीताल के निर्माण पर अनुमान से अधिक व्यय

*२३—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला नैनीताल के खटीमा पावर हाउस का निर्माण पूरा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*२४—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त पावर हाउस क निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री धर्मसिंह—७.४७ करोड़ रुपये।

श्री प्रतापसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ७.४७ करोड़ के इस पावर हाउस से कितने किलोवाट बिजली पैदा करने की योजना है और इस समय कितनी पैदा की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगले सवाल के जवाब में यह बता दिया गया है।

श्री प्रतापसिंह—मैंने मंत्री जी से यह पूछा कि कितनी किलोवाट बिजली पैदा करने की योजना है और कितनी पैदा की जा रही है ? यह उस सवाल के जवाब में कहां बताया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२३ हजार किलोवाट बिजली पैदा करने की फर्म कैपेसिटी है और इस समय २० हजार किलोवाट पैदा की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पावर हाउस को बनाने का ठेका किस कम्पनी को दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इंगलैण्ड की एक कम्पनी को दिया गया था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि खटीमा बिजली घर का ओरिजिनल इस्टीमेट कितना था और इस समय जो इतना बढ़ गया तो इतनी वृद्धि क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसा कि प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में बतलाया गया है ७.४७ करोड़ रुपया खर्च हुआ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—ओरिजिनल इस्टीमेट और कम्प्लीशन के बाद के खर्चे में जो फर्क है, उसको सरकार क्या बताने की कृपा करेगी कि उसमें इतनी वृद्धि क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब काम की शुरुआत हुई तो इसके डिजाइन में कुछ माडीफिकेशन करना पड़ा और इसके अलावा वहां की जमीन ऐसी थी कि अर्थ वर्क में काफी काम करना पड़ा और लेबर के चार्जेज भी बढ़ गये, मैटिरियल के दाम भी बढ़ गये। इन्हीं सब वजूहात से इसमें इजाफा हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या यह सही है कि खातिमा बिजलीघर जिस जमीन पर बना उसकी जमीन खराब होने के कारण फट गयी थी और उसको दुबारा ठीक किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अव्वल तो मैं यह बता दूं कि यह खटीमा है, खातिमा नहीं, और अर्थ वर्क में जो काम हुआ उसमें कुछ खराबी पैदा हो गयी थी जो दुरुस्त नहीं हुई। लिहाजा उसको दुरुस्त करने में भी कुछ खर्च बढ़ा।

श्री नवलकिशोर—क्या यह सही है कि जो इस्टीमेट इतना ज्यादा बढ़ गया उसकी जांच कराने के लिये सरकार ने कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठाई है या उसके बैठाने का खयाल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जानकारी हासिल करना चाहता हूं डेफिनिटली कि यह कैसे बढ़ा ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि किन-किन अधिकारियों की गलती के कारण इस प्रकार की गड़बड़ जमीन पर यह बिल्डिंग बनी जिसके कारण सरकार को इतनी हानि उठानी पड़ी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें किसी की गलती नहीं मालूम होती।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इसकी ओरिजिनल स्कीम १,००,००० किलोवाट बिजली पैदा करने की थी तो यह २३,००० किलोवाट किस तरह से रह गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—इसके डिजाइन का माडिफिकेशन इसके निर्माण कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे शुरुआत हुई तो देखा गया कि जरूरी है कि इसको माडीफाई किया जाय, इसलिये माडीफाई किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि लोकलेखा समिति में खटीमा पावर हाउस की जो जांच हुई उसके सम्बन्ध में अधिकारियों ने जो स्पष्टीकरण किया उससे उस समिति के सदस्यों को संतोष नहीं हुआ है और समिति ने यह तय किया है कि उसके सदस्य स्वयं जाकर उसको देखेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी मैंने वह रिपोर्ट देखी नहीं है। देखूंगा जरूर।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतलायेगी कि ऐसी कोई रिपोर्ट उस के पास आयी कि वहां के पानी में बालू इतनी ज्यादा है कि जब वह मशीनों के अन्दर जाती है तो उससे मशीनें नष्ट हो जाती हैं और इस कारण सरकार को फिर से मशीनें बदलनी पड़ीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ रेत आने लगी थी। लेकिन अब वह डिफेक्ट दूर हो गया।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या इसे जानने के बाद कि खटीमा पावर हाउस में एक्चुअल खर्चा मूल एस्टीमेट से कई गुना क्यों हो गया, माननीय मंत्री जी सदन को भी सारी परिस्थिति बतावेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब कोई माननीय सदस्य सवाल करेंगे तो बतलाना मेरा फर्ज होगा।

मझवारा, जिला आजमगढ़ में अस्पताल की इमारत

*२५---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मझवारा, जिला आजमगढ़ के एलोपैथिक अस्पताल में डाक्टर तथा कम्पाउन्डर अभी तक नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, चूंकि मझवारा, जिला आजमगढ़ में अभी तक अस्पताल की स्थापना ही नहीं की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल की स्थापना से उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इमारत बनाना, अस्पताल कायम करना, डाक्टर मुकर्रर करना और मरीजों की देखरेख करना।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां अस्पताल का भवन एक साल पूर्व बन चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले बन चुका था जबकि एलोपैथिक डिसपेंसरी खोलने की योजना थी। अब गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के मौजूदा आदेशानुसार एलोपैथिक डिसपेंसरी नहीं खुलेंगी बल्कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुलेंगे, उन जगहों पर जो कि एन० ई० एस० ब्लाक के हेडक्वार्टर होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इस भवन के बनने के बाद केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार का आदेश हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सम्भवतः ऐसा ही है, लेकिन शुरू होने के पहले ही आ गया था।

श्री झारखंडेराय---इस इमारत का सरकार अब क्या उपयोग करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डाइरेक्टर महोदय से सुझाव मांगे हैं, उसे हम अवश्य इस्तेमाल करेंगे।

*२६-२८---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---[हटा दिये गये।]

खीरी उपनिवेशन योजनान्तर्गत व्यय

*२९---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी की पलिया कालोनी म कितनी जमीन तोड़वाई गई और पूरी कालोनी में अब तक सरकार का कुल कितना रुपया किन-किन मदों में खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला खीरी में पलिया नाम की कोई कालोनी नहीं है। लेकिन यदि तात्पर्य खीरी उपनिवेशन योजना से है तो स्थिति यह है कि इस योजना म अब तक ७,३४५ एकड़ भूमि तोड़ी गयी है और सरकार का इस योजना पर कुल ६१,२०,७८६ रुपया इस तरह खर्च हुआ है :

लेखा शीर्षक		व्यय
		रु०
"४०—कृषि" वेतन तथा जमीन की तुड़वाई आदि	..	१८,२५,०७६
"त, ऋण तथा अग्रऋण" बसने वालों को दिया गया ऋण	..	८,२९,२५०
"८१—पूंजी लेखा" सड़कों आदि का निर्माण	..	१७,८८,९०४
"८२—पूंजी लेखा" इमारतों व मकानों आदि का निर्माण	..	१६,७७,५५६
	कुल योग ..	६१,२०,७८६

शीतला तथा कालरा संबंधित एक्सपर्ट कमेटी

*३०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश की जनता को हैजे और चेचक की बीमारियों से बचाने के लिये कोई विशेष योजना उसके विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में एक एक्सपर्ट कमेटी का आयोजन किया है जिसने प्रदेश में शीतला तथा कालरा संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया है और शीघ्र ही अपनी राय सरकार को भेजने वाली है जिससे इन महामारियों की रोकथाम हो सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य कितने हैं और कौन-कौन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज यू०पी०।

डाक्टर मांगलिक, प्रिंसिपल एण्ड डीन आफ दि फकल्टी आफ मेडिसिन, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ।

डाक्टर के० एन० गौड़, प्रोफेसर आफ मेडिसिन, मेडिकल कालेज, कानपुर।

डाक्टर एम०पी०गुप्ता, रीडर इन बैक्टीरियालाजी, मेडिकल कालेज, लखनऊ।

डाक्टर दीवान चन्द, डिप्टी डाइरेक्टर, मेडिकल ऐंड हेल्थ।

डाक्टर पी०एस०एम०मूरती, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, मेडिकल ऐंड हेल्थ।

डाक्टर के० के० गोविल, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, प्राविंशियल हाइजीन इन्स्टीट्यूट।

डाक्टर पी० के० टोपल, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, वीटरीनरी इन्स्टीट्यूट, पटवा डांगर।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस एक्सपर्ट कमेटी का आयोजन इतनी देरी से क्यों किया गया, पहले से क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब जरूरत महसूस हुई तब किया गया। ऐसी ज्यादा देरी तो नहीं हुई है।

श्री प्रतापसिंह—इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कब तक आवेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शीघ्रातिशीघ्र।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी इस कमेटी में कुछ वैद्यों को रखने की सोच रहे हैं क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रति दिन हवन करने से इन बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा तो हमने किया नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि हैजे और चेचक की बीमारियां यू०पी० में अधिक बढ़ी हैं जिसके कारण यह एक्सपर्ट कमेटी बैठानी पड़ी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब हमारा खयाल है कि हम इस बात की कोशिश करें कि यहां से इनकी जड़ें मिटें, चाहे ये कम हों या ज्यादा हों ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री जी ने इस कमेटी में किसी वैद्य को रखने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस वक्त स्ट्राइक नहीं हुआ था और न भाई पालीवाल जी ने सलाह दी थी ।

श्री राजनारायण—जब से मंत्री जी इन बीमारियों की जड़ मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं तब से इनमें वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वृद्धि नहीं हुई है । सैलाब जैसा समझिये कभी ज्यादा कभी कम । रोकने की कोशिश की जा रही है ।

गोंडा जिले में पोकनी रोग की रोकथाम के कार्यों पर व्यय

*३१—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष गोंडा जिले में पोकनी (Rinderpest) की रोकथाम के लिये intensive drive कब चला था और जिले के कितने गांवों में कितने टीके लगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—गोंडा जिले में पोकनी रोग की रोकथाम का कार्य अप्रैल, १९५७ में आरम्भ हुआ और मार्च, १९५८ तक होता रहा । जिले के १,२०० ग्रामों तथा खेड़ों में कुल १,४०,२८२ पशुओं को टीके लगाये गये ।

*३२—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस ड्राइव में कितने कर्मचारी लगाये गये और इस में वेतन, भत्ता, दवादारू में अलग-अलग कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस काम पर पूरे समय के लिये औसतन एक पशु चिकित्सक और १५ पशु सेवक साल भर लगे रहे और उन पर जो व्यय हुआ उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है । इन कर्मचारियों के अतिरिक्त समय-समय पर ९ पशु चिकित्सक तथा १६ पशु सेवक १५ दिन से ३ महीने तक इस कार्य पर लगाये गये ।

खर्च का विवरण	एक पशु चिकित्सक और १५ पशु सेवकों पर रुपया	नया पैसा
१—वेतन	१०,६२७	१६
२—भत्ता (यात्रा)	२,६६४	६२
३—महंगाई	४,३००	४२
४—दवा, सामान इत्यादि	३८७८	७८
योग ..	२१,४७०	९८

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी जाते हैं वे अन्य बीमारियों की दवाई क्यों नहीं देते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जब यह वबा फैलती है तो इसी को देखना होता है, लेकिन ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि दूसरी बीमारियों की दवा न कर सकें।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि जब वे गांव में जाते हैं और पशुओं को दूसरी बीमारियां रहती हैं तो उनको इस प्रकार की साज सज्जा और दवा दारू देने की व्यवस्था करें कि जिससे वे गांव में पोकनी के साथ-साथ दूसरे इलाज भी कर सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम—जब यह वबा ज्यादा फैलती है तो इसी पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है ।

श्री बलदेवसिंह—क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है कि गोंडा जिले में रिन्डर पेस्ट की बीमारी कितने जानवरों को इस साल हुई और उनमें कितने अच्छे हुये ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी को कोई इस प्रकार की सूचना या शिकायत मिली है कि टीका लगाने के बाद भी उन जानवरों को रिन्डरपेस्ट हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय इस तरह की सूचना मुझे नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—इस योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी काम पर भेजे जाते हैं वे नये भरती किये जाते हैं या पशु चिकित्सालयों से या पशु सेवा विभाग से लिये जाते हैं ? यदि ऐसा है तो वहां क्या व्यवस्था बाद में की जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—डाक्टर तो विभाग से लिये जाते हैं। बाकी जो काम करते हैं वे अगर जरूरत हो तो बाहर से भी ले लिये जाते हैं।

*३३—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जमुरिया नाले में बाराबंकी शुगर मिल का गन्दा पानी गिरने से फाइलेरिया व मलेरिया फैलने की शिकायत

*३४—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी शुगर मिल का गन्दा पानी जमुरिया नाला में गिरने से बाराबंकी शहर में मच्छर और मक्खियों की संख्या में वृद्धि हुई है और फाइलेरिया की बीमारी बढ़ रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां, बाराबंकी शुगर मिल का गन्दा पानी जमुरिया नाल में गिरता है परन्तु इस गन्दे पानी के गिरन से मक्खियों तथा मच्छरों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। फाइलेरिया (Filaria) की बीमारी इस नाले में केवल शुगर मिल के गन्दे पानी के गिरने के कारण नहीं बढ़ी है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि बाराबंकी शहर के निवासी और सोशलिस्ट पार्टी ने यह मांग की थी कि मच्छरों के बढ़ने से फाइलेरिया और मलेरिया बढ़ रहा है, उसको रोका जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मांग तो समझ में नहीं आयी, लेकिन बाराबंकी के कुछ लोगों ने यह जरूर कहा था कि वहां मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा उसकी रोकथाम की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फाइलेरिया और मलेरिया बीमारियों के बढ़ने के और क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसके इर्द गिर्द बहुत से गड्ढे हैं जिनमें मच्छर पैदा होते हैं, उनको पटाने का उपाय किया गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस गंदे पानी से इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, उसके निकास की व्यवस्था करवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं यह तो मानता नहीं कि इससे ही बीमारी फैल रही है। लेकिन फिर भी शुगर मिल के प्रोप्राइटर को यह हिदायत कर दी गयी है कि वह गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो अधिक गड्ढे वहां हैं, उनको पाटने की भी सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरी ऐसी इत्तला है कि वहां पर लोग करीब से ही मिट्टी खोदकर घर बनाते हैं इसलिये इधर पटाया जाता है उधर खोद लेते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुरिया नाला बाराबंकी से कितनी दूर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नापा तो नहीं लेकिन करीब ही है। कचहरी और शहर के बीच ही से गुजरता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां इस तरह के गड्ढे हैं, वहां पानी भरने से मच्छर पैदा होते हैं, उन मच्छरों को नष्ट करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फाइलेरिया और मलेरिया निरोधक यूनिट्स वहां काम कर रहे हैं।

बुलन्दशहर जिले में दादरी टाउन एरिया को बिजली देने की मांग

*३५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टाउन एरिया दादरी, जिला बुलन्दशहर में कब तक बिजली पहुंच जायगी ?

श्री धर्मसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है और उस के उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि दादरी कस्बे में बिजली का प्रश्न सन् १९५२ से सरकार के विचाराधीन है तो फिर उसके बारे में सूचना इकट्ठा करने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई खास सन् तो नहीं बता सकता, लेकिन यह सच है कि बहुत अर्से से मामला चल रहा है। तो जब मामला पुराना हो जाता है तो उसके वाकयात दरियाफ्त करने में देरी लगती है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सूचना को इकट्ठा करने का काम किस कर्मचारी को सौंपा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--किस कर्मचारी को सौंपा गया है, यह इस वक्त बताना मुश्किल है ।

रफी अहमद किदवाई स्मारक चिकित्सालय, जिला बाराबंकी के अधिकारियों व कर्मचारियों का भष्टाचार के आरोप में स्थानान्तरण

*३६--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास मार्च, अप्रैल तथा मई सन्, १९५८ के अन्दर बाराबंकी जिले के रफी अहमद किदवाई स्मारक चिकित्सालय, के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कुप्रबंध एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं? यदिहां, तो सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां। सरकार के पास बाराबंकी के रफी अहमद किदवाई स्मारक चिकित्सालय के सम्बन्ध में शिकायतें आई थीं, जिनकी विधिवत् जांच की गई, और उसके फलस्वरूप उक्त अस्पताल के अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो शिकायतें आयी थीं वे किस बात की विशेष शिकायतें थीं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--जैसा कि सवाल में संकेत किया गया है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनका स्थानान्तरण किया गया वे कितने थे तथा कौन-कौन कर्मचारी थे, डाक्टर या कम्पाउन्डर या और कौन लोग थे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--तादाद तो नहीं बतला सकता हूं, लेकिन सिविल सर्जन से लेकर कम्पाउन्डर तक सब बदल दिये गये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शिकायतें जो आयी थीं वे बहुत ही गम्भीर किस्म की थीं और उनके ऊपर जो इस प्रकार का दंड दिया गया है, केवल स्थानान्तरण ही किया गया है या कुछ को बरखास्त भी किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--अभी इनक्वायरी जारी है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह पता है कि बाराबंकी के इस अस्पताल में जो सिविल सर्जन साहब थे वे किसी कम्पनी के डाइरेक्टर थे (सालोमन कम्पनी के डाइरेक्टर थे) और उन्होंने उसी कम्पनी से ऐसी दवाइयां मंगायीं जिनका जीवन एक महीना या डेढ़ महीने ही बाकी रह गया था ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--यह तो मैं नहीं कह सकता कि वे कहां के डाइरेक्टर हैं, लेकिन इन सब बातों की इन्क्वायरी अभी जारी है ।

*३७--श्री नारायणदत्त तिवारी--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

विद्युतीकरण हेतु नगर

*३८--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७-५८ ई० में जिन १५ जिलों के ३६ नगरों के लिये २०·६८ लाख रुपया विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हुआ है क्या उनमें से बाराबंकी भी एक है ? यदि हां, तो बाराबंकी जिले पर कितना धन उक्त धनराशि में से व्यय किया जायेगा और कहां-कहां ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं ।

*३९--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--१९५६-५७ ई० में विनिर्दिष्ट १५ जिलों के ३६ नगरों के लिये २६·५४७ लाख में कहां-कहां कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह—सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८३ पर)

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला जो विद्युतीकरण में था, किन कारणों से निकाल दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५७-५८ में नहीं था।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि इसको दूसरी योजना में रखने का वे कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब आगे देखा जायगा।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्युतीकरण हेतु जो ३६ नगर हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—फतेहपुर में बिन्दकी, खजला और फतेहपुर, बहराइच में नानपारा, प्रयागपुर और रिसिया, गोंडा में उतरौला, नवाबगंज, मानकपुर, क्लोनेलगंज और तुलसीपुर, वाराणसी में ज्ञानपुर, भदोही और गोपीगंज, आजमगढ़ में फूलपुर, जौनपुर में मछलीशहर, शाहगंज और बादशाहपुर, बरेली में नवाबगंग, बहेड़ी और फरीदपुर, शाहजहांपुर में पवायन और जलालाबाद, खीरी में मोहम्मदी, सीतापुर में मिसरिक, गोरखपुर में सिसवा बाजार, इलाहाबाद में फूलपुर और जंघई, कानपुर में अकबरपुर, पोखरायां, गौसगंज और महाराजगंज, जालौन में जालौन, कालपी और उरई और बाराबंकी में हैदरगंज।

बाराबंकी जिले में हरिजन विद्यार्थियों को सहायता

*४०—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ के शिक्षण काल में जिला बाराबंकी में हरिजन विद्यार्थियों को प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट की कक्षाओं में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई तथा कितने हरिजन विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मुफ्त पुस्तकें दी गयीं ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३३ पर)

*४१—श्री नत्थाराम रावत—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सन १९५७-५८ के शिक्षण काल में जो पुस्तकें खरीदी गयीं वे किस सन् के किस महीने में कितने मूल्य की खरीदी गयीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सन् १९५७-५८ में प्राइमरी में १,४७८, मिडिल में ५८१, योग २,०५९। कीमत के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नत्थाराम रावत—किस महीने में और किस सन् में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—महीने के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नत्थाराम रावत—किस सन् में ?

श्री अध्यक्ष—उसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और इंटरमीडियट में प्रत्येक छात्रवृत्ति कितने-कितने रुपये की दी जाती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि सन् १९५७–५८ में जो पुस्तकें विद्यार्थियों को दी गयीं वे मार्च, १९५८ में खरीदी गयी थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जातीयता के आधार के अतिरिक्त दरिद्रता के आधार पर भी अन्य जाति के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सहायता देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—[हटा दिया गया ।]

जौनपुर जिले के चिकित्सालयों में हरिजन कम्पाउन्डर न होने की शिकायत

*४२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के चिकित्सालयों में कुल कितने कम्पाउन्डर और चपरासी कार्य कर रहे हैं और उनमें पिछड़ी जाति और हरिजनों की संख्या कितनी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—(१) ३९ कम्पाउन्डर काम कर रहे हैं । उनमें से ६ पिछड़ी जाति के हैं । हरिजन कोई नहीं है ।

(२) कुल एक चपरासी है वह पिछड़ी जाति का या हरिजन नहीं है ।

चपरासी के अतिरिक्त इन चिकित्सालयों में ८० निम्न श्रेणी के कर्मचारी (inferior servants) काम करते हैं, जिनमें ५३ पिछड़ी जाति के और २३ हरिजन हैं ।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३९ कम्पाउन्डरों में से एक भी हरिजन कम्पाउन्डर नहीं है तो भविष्य में हरिजन कम्पाउन्डरों को रखने की व्यवस्था सरकार ने क्या की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब तो कम्पाउन्डर्स ट्रेन्ड होते हैं । ट्रेन्ड हो जायेंगे तो वे भी रखे जायेंगे ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—जब हरिजनों की जगहों को २ साल तक रिजर्व रखने का नियम है तो वह क्यों नहीं रखी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह नयी भर्ती नहीं है ।

*४३–४४—श्री अहमदबख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—[सिंचाई मंत्री से संबंधित पांचवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८३–८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देवरिया जिले में स्थित कुबेरनाथ ग्राम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के लिये प्रार्थना

*४५—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि कुबेरनाथ, जिला देवरिया में गत ६ वर्षों से अब तक कितने चिकित्सालय (एलोपैथिक, होमियोपैथिक तथा आयुर्वेदिक) खोलने के प्रार्थना-पत्र आये हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—दिनांक १५ अप्रैल, सन् १९५५ को जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया ने केवल एक प्रार्थना-पत्र उप संचालक (आयुर्वेद) के कार्यालय में देवरिया जिले में स्थित कुबेरनाथ ग्राम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित करने हेतु भेजा था ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की पूर्ण आख्या अभी तक प्राप्त न होने के कारण इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव न हो सका। उक्त सूचना प्राप्त होते ही सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

२—इसके अतिरिक्त, उक्त ग्राम में एलोपैथिक अथवा होमियोपैथिक चिकित्सालय के स्थापना हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उक्त आख्या कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ख्याल ऐसा है कि जल्द आज आ जायगी।

बांदा जिले में हरिजन सोशल वर्कर

*४६—**श्रीमती सियादुलारी** (जिला बांदा)—क्या हरिजन कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में कितने सोशल वर्कर हैं तथा उनमें कितने हरिजन हैं ? इनमें कितने ऐसे हैं जो अपने कार्य की अवधि समाप्त होने पर पुनः रख लिये गये हैं ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—बांदा जिले में एक सोशल वर्कर नियुक्त है जो हरिजन है। गत वर्ष यही सोशल वर्कर नियुक्त था और इस वर्ष पुनः नियुक्त किया गया है।

*४७-४८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण १२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों में हरिजनों का न होना

*५०—**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में कितने क्लास वन (Class one) के आफिसर हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में ४० क्लास वन (Class one) के आफिसर हैं। इनमें कोई हरिजन नहीं है।

*५१—**श्री रामलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में एक साल के अन्दर सन् १९५७-५८ ई० में कितने डिप्टी डायरेक्टर रखे गये हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५७-५८ में केवल दो डिप्टी डायरेक्टरों की नियुक्ति हुई। उनमें कोई हरिजन नहीं है।

*५२—**श्री जयराम वर्मा** (जिला फैजाबाद)—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५५—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—[हटा दिये गये।]

*५६-५७—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८—**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ)—[६ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मुण्डेरवा बाजार, जिला बस्ती को बिजली देने की प्रार्थना

*५९—श्री रामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बस्ती, तहसील बस्ती में मुण्डेरवा बाजार में बिजली देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय इस नगर का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोरखपुर को कूड़ा घाट के कथित हाइडिल स्टेशन से बिजली देने की जानकारी

*६०— श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर शहर को कूड़ाघाट हाइडिल स्टेशन से बिजली कब तक दी जाने लगेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कूड़ाघाट में कोई हाइडिल स्टेशन नहीं है ।

*६१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिया गया ।]

मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के सम्बन्ध में शिकायतें

*६२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार के पास इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू अस्पताल के कुप्रबंध की कोई शिकायत आई है और क्या इस शिकायत पर हेल्थ मिनिस्टर वहां की जांच करने स्वयं गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ शिकायतें इस सम्बन्ध में सरकार के पास आई है जो कि साधारण प्रकार की हैं। उनमें मुख्य शिकायत इस अस्पताल में स्थानाभाव, गन्दगी, संकुलन (congestion) इत्यादि से संबंधित है। इन शिकायतों पर स्वास्थ्य सेवा संचालक द्वारा जांच करवाई गई । अस्पताल की नई इमारत बन रही है अतः इमारत बन जाने पर वहां की वर्तमान असुविधायें दूर हो जायेंगी ।

'हेल्थ मिनिस्टर' वहां की जांच करने स्वयं नहीं गये थे । उप स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस अस्पताल का निरीक्षण २४ सितम्बर, १९५७ को किया था ।

*६३-६४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६५-६६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिये गये ।]

*६७-६८—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिया गया ।]

*७०-७१—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिये गये ।]

*७२—श्री देवनारायण भारतीय—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७३-७४—श्री भगवतीसिंह विशारद—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७५-७६—श्री झारखंडे राय—[हटा दिये गये।]

हरिजन कल्याण अधिकारी, जिला प्रतापगढ़ के पास हरीबेगार एवं अस्पृश्यता संबंधी शिकायतें

*७७--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या हरिजन कल्याण राज्य मंत्री को पता है कि इस वर्ष हरीबेगार एवं अस्पृश्यता सम्बन्धी तहसील पट्टी के तीन प्रार्थना-पत्र जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ के पास भेजे गये हैं ? यदि हां, तो भारतीय दण्ड विधान और सामाजिक असमर्थता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगलाप्रसाद--जी हां ।

कथित तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें हरी बेगार की शिकायत की गई थी । जांच के बाद एक मामला पेशबन्दी का पाया गया । अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई । दूसरा मामला पंचायत अदालत के सुपुर्द हो गया है । तीसरे मामले में प्रार्थी ने अपनी शिकायत वापस ले ली । अतः कोई कार्यवाही न हो सकी ।

*७८--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--[४ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७९--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

राजकीय कुष्ठाश्रम, मेरठ में कुष्ठ रोगियों की संख्या

*८०--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कुष्ठाश्रम, मेरठ में कितने कुष्ठरोगी स्त्री, पुरुष तथा बच्चे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--राजकीय कुष्ठाश्रम, मेरठ में इस समय २० कुष्ठ रोगी हैं ? जिनमें २ पुरुष, १४ स्त्री और ४ बच्चे हैं ।

*८१--श्री गंगाप्रसादसिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८२--श्री नारायणदत्त तिवारी--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८३-८४--श्री मदन पांडेय--[हटा दिये गये ।]

देवरिया जिले में 'क्रापकटिंग' के आधार पर औसत पैदावार

*८५--श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में १३६५ फसली की रबी की फसलों में 'क्रापकटिंग' के आधार पर औसत जौ, गेहूं, चना की पैदावार प्रति एकड़ कितनी हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अनुमान है कि गेहूं की ८·३८ मन, जौ की ७·३१ मन और चने की ५.७५ मन प्रति एकड़ पैदावार हुई ।

*८६--श्री उग्रसेन--क्या सरकार १३६५ फसली रबी के क्राप कटिंग की तहसीलवार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--क्राप कटिंग की तहसीलवार रिपोर्ट नहीं तैयार की जाती ।

*८७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

*८८—श्री रामशरण यादव—[हटा दिया गया ।]

*८९—श्री नारायणदत्त तिवारी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिले के ग्राम कसया व भलुही महीरा पट्टी में पावर-हाउस के लिए प्राप्त भूमि का मुआवजा

*९०—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कसया व भलुही महीरा पट्टी (जिला देवरिया) में जो पावर हाउस बनाया गया है उसमें कितनी एकड़ जमीन ली गई है और काश्तकारों को जो मुआवजा दिया गया है वह कितना है ?

*९१—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त पावर हाउस में कितने काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जटहा बाजार, जिला देवरिया की इमारत खराब हो जाने की शिकायत

*९२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय, जटहा बाजार, जिला देवरिया का मकान ध्वस्त हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय कहां रखा जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

कोई दूसरा प्रबन्ध किया जावेगा ।

श्री गंगाप्रसाद—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । वह यह कि अभी कुंवर श्रीपालसिंह ने जातीयता, दरिद्रता और गरीबी के आधार पर जो कहा है उससे हरिजन समाज के ऊपर आक्षेप होता है । यह आक्षेप है कि वह यहां पर....

श्री अध्यक्ष—आप बहुत जोर से बोल रहे हैं । आप जरा धीरे बोलें तो समझ में आ जाय ।

श्री गंगाप्रसाद—कुंवर श्रीपालसिंह ने अभी कहा है कि जातीयता के आधार पर जो यह किताबें दी जाती हैं वह संविधान के अनुसार ....

श्री अध्यक्ष—इसमें कौन सी अवैध बात है ?

श्री गंगाप्रसाद—जातीयता के आधार पर कहा है उन्होंने , इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें कि विधान सभा के अन्दर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने स्पष्ट यह बात पूछी कि जातीयता के आधार को छोड़ कर अन्य आधार पर यानी दरिद्रता के आधार पर भी मुफ्त कोई किताबें आदि देने की व्यवस्था करने का सरकार विचार कर रही है ? जातीयता के आधार पर का मतलब उनका यह है कि जो

हरिजनों को आज मुफ्त किताबें देते हैं उसी प्रकार से और भी गरीब आदमी हो सकते हैं, उसके लिये उन्होंने पूछा है। तो इस में नाराज होने की कोई बात नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद—श्रीमन्, जातीयता के आधार पर नहीं दी जाती हैं, वह तो पिछड़ेपन की वजह से दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—खैर, मैंने यह कहा कि उसमें कोई अवैधानिक बात नहीं है।

देवरिया कलेक्टरी कचहरी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा हुई ज्यादतियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने जो दिया था उस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि आज वह सूचना देंगे।

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, कल जो कमरोको प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया था उनके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उसमें यह कहा गया है कि १०,तारीख की रात को कुछ घटनायें हुईं। हमारी सूचना यह है कि १० तारीख को इतवार था। १० तारीख को किसी प्रकार का कोई आन्दोलन हुआ नहीं और इसलिये १० तारीख को किसी किस्म की घटना न तो सरकारी अफसरों की तरफ से हुई और न जो 'घेरा डालो' आन्दोलन चला रहे थे उनकी तरफ से हुई। लेकिन खैर, यह एक छोटी सी बात है, हो सकता है तारीख में गलती हो गई हो, दूसरी तारीख हो।

फिर इसमें कहा गया है कि श्री चन्द्रबलीसिंह को पुलिस वालों ने उठाकर फेंका। मेरी सूचना यह है कि फेंकने का कोई सवाल नहीं है। श्री चन्द्रबलीसिंह जो गिरफ्तार किये गए, जब वह शौक से नहीं गए तो उनको उठाकर रखा गया, यह बात सही है। फेंकने का कोई सवाल नहीं था। इसके बाद इस में यह कहा गया है कि ५०० नर-नारियों को जबर्दस्ती उठा-उठा कर पुलिस ने फेंका और उनको ५०, ६० मील की दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया। इसकी बाबत उनका कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर यह कहा गया है कि १८ अगस्त तक चार नवयुवक लापता थे। इसकी बाबत यह कहना है कि उनको किसी किस्म की किसी के भी लापता होने की कोई खबर नहीं हुई, न तो पुलिस में कोई रिपोर्ट की गई, न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई खबर दी गई।

फिर यह भी ध्यान देने की बात है कि २१ तारीख को कामरोको प्रस्ताव आया। १८ तारीख की बात है। १८ और २१ के बीच में क्या हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। जिलाधिकारियों को इसकी कोई सूचना नहीं है।

इसमें एक बात और कही गई कि गैरकानूनी ढंग से जेल में बन्द कर दिये गए। गैरकानूनी ढंग से कोई नहीं जेल भेजा गया। जेल वाले जब तक रिमांड का आर्डर न हो तब तक किसी को ले ही नहीं सकते। जितने लोग गिरफ्तार किये गए कानूनी ढंग से किये गए और सब के लिये रिमांड आर्डर था। फैक्ट्स के बारे में मुझे इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इसकी आप अर्जेन्सी बतायें और दूसरे इससे सरकार से क्या संबंध है और इसकी निश्चितता के बारे में भी यानी तीनों बातें आप बतायें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो कामरोको प्रस्ताव आपकी सेवा में मैंने पेश किया है ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं अर्जेन्सी के लिये इस समय पूछ रहा हूं। ९ तारीख का वाकया है जिसे आप १० की बात कह रहे हैं और उसे २१ तारीख को आप सदन में ला रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं वही कह रहा हूं। "जब रोटी दो और रोटी अगर न दे सरकार तो जेल ही में ले जाय" यह मांग हुई और इसको लेकर के लोग एकत्रित हुए। तो वहां पर सरकार की ओर से दमनात्मक कार्यवाही हुई। इसकी खबर हमने गृह मंत्री जी को उसी समय दी और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया। फिर रात में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारा फोन नहीं मिला, रात में ७ बजे के करीब, फिर मेरी ९ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी से फोन पर बात हुई जिसमें उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का घर चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमने कहा कैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बंगला घिर सकता है? मैं खुद देवरिया गया हूं और उनके घर को देखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को जिलाधिकारियों ने गलत खबर दी होगी क्योंकि लोग उनके घर पर नहीं गये थे वे तो कलेक्टरी और कचहरी गये थे.....

श्री अध्यक्ष—आप पहले यह बताइये कि आप इसे अर्जेण्ट कैसे समझते हैं? क्योंकि आपने खुद अर्जेन्सी नहीं समझी ९, १० को छोड़कर तारीख १३ तक सदन की बैठक हुई और आप इसे सदन में २१ को ला रहे हैं, इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री राजनारायण—वही मैं बता रहा हूं इसकी खबर उग्रसेन जी १३ को यहां आये उन्होंने दी और उग्रसेन जी ने भी वहां के बारे में सारी घटना बतायी। हमने उसी समय गृह मंत्री जी से बातचीत की। मैंने कल ही कहा था कि गृह मंत्री जी की बात से मुझे यह आभास हुआ था कि उनको इसकी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का घेरा पड़ेगा तो इस तरह की घटना संभव हो सकती है। मैं खुद वहां १८ तक था और १७ तारीख को देवरिया में आम सभा थी उसमें मैं भी बोला था और डाक्टर राममनोहर लोहिया भी बोले थे.....

श्री अध्यक्ष—आप अर्जेन्सी बतायें।

श्री राजनारायण—मैं वही बता रहा हूं कि किस लिये इसको तात्कालिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह क्रम वहां पर फिर जारी है और हम लोग जेल में भी मिल कर आये हैं। जेल में जितने हमारे साथी हैं वह आज भी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडयूस नहीं किये गये, १८ तारीख तक। सरकार की जो सूचना है कि कानून के मुताबिक जेल में रखे गये हैं मैं समझता हूं यह बिल्कुल गलत है। यह घटना एक ही जगह की नहीं है अब तो यह काम सरकार द्वारा रोज ही हो रहा है, हर जगह। यदि इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे तो परिस्थिति और गम्भीर होती जायगी। वहां पर कोई दफा १४४ भी नहीं लगी हुई थी.....

श्री अध्यक्ष—आप तो मेरिट्स पर जा रहे हैं। आप दो, तीन बातें बतायें। आपको प्रश्न उठाने में देर क्यों हुई?

श्री राजनारायण—मैं १८ को गया। यहां पर २० को देर से आया। २० को नियम के मुताबिक मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव दे नहीं सकता था इसलिये मैंने २१ को दिया। २१ को आपने मुख्य मंत्री जी से सूचना प्राप्त करने के लिये स्थगित किया। तो हमारी तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ। हम निश्चित हो करके इसको तात्कालिक महत्व का समझ कर वहां गये थे और यह समझते हैं कि यदि इस पर विचार नहीं होगा और महिलाओं के साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया जायगा तो विक्षोभ फैलता ही जायेगा। कल जौनपुर में घटना हुई। तो हमने कहा कि सारे प्रदेश में जो अवैधानिक कार्यवाही हो रही है सरकार की ओर से यह विक्षोभ पैदा कर रही है। इसलिये यह निश्चित भी है और सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें और हमारी रिपोर्ट में मतभेद है। मैं वहां से होकर आ रहा हूं और सरकार

दूसरे की सूचना के आधार पर कह रही है। इसलिये यह निश्चित हो जाता है कि इसके ऊपर विचार हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---एक निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, अगर अपने जरिये से आप किसी तरह से यह पता लगवा लें कि ६ लारियों में ५०० महिलायें मूसलाधार पानी में देवरिया से ५० मील की दूरी पर पठेरवा नामक स्थान पर नहीं छोड़ी गई हैं तो मैं कहता हूं कि मैं विधान सभा की सदस्यता छोड़ने को तैयार हूं।

श्री राजनारायण---और माननीय मुख्य मंत्री जी मुकदमा भी चलायें।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें। मैं समझता हूं आप सरकार से इसके ऊपर बात कर सकते हैं।

जहां तक कामरोको प्रस्ताव का संबंध है उस की अनुमति देने के लिये दो, तीन बातें देखी जाती हैं। एक तो वह निश्चित होना चाहिये, अर्जेन्ट होना चाहिये और सार्वजनिक महत्व का होना चाहिये और कामरोको प्रस्ताव के विषय में यह भी सिद्धान्त है कि जिस विषय के बारे में प्रस्ताव आता है उसका सरकार से सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये, यानी सरकार की ओर से उस विषय में कोई कमी रह गई हो या उसकी ओर से कोई ज्यादती हुई हो। जो स्थानीय शासन का विषय हो नियमों और कानून के अमल करने में अगर स्थानीय शासन द्वारा कोई कमी हो जाती है तो उसके लिये कानूनी तरीके से अदालतों में चाराजोई हो सकती है, लेकिन उसके लिये सदन में बहस नहीं होती। इस कामरोको प्रस्ताव के विषय में मैंने श्री राजनारायण जी से दो तीन बातें पूछी थीं। वाकया ९ का हो या १० का हो, लेकिन वाकयात बराबर होते रहे और उनका कहना है कि १० की रात्रि को २ बजे ५०० नर नारियों को दूर ले जाकर छोड़ा गया---इसकी निश्चितता और अनिश्चितता का प्रश्न मैं छोड़े देता हूं, लेकिन अगर उन को यह मालूम हो गया था तो उन्हें यह प्रस्ताव तारीख ११, १२ या १३ को ही लाना चाहिये था, वह तत्काल ही आना चाहिये था, उस की अर्जेन्सी दिखलाने के लिये जितने शीघ्र हो सके वह लाना चाहिये। वह स्वयं कहते हैं कि उन्होंने ९ तारीख को माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत की, तो उन को ९ तारीख को वाकया मालूम था ऐसा उन्होंने माना है। इसलिये मैं समझता हूं कि इन बातों से यह स्पष्ट है कि वह अर्जेन्सी जो होनी चाहिये वह इसमें नहीं थी और इस कारण से कामरोको प्रस्ताव लाने में नुक्स है। दूसरे इस का सम्बन्ध सरकार से नहीं, स्थानीय शासन से आता है। तीसरे माननीय मुख्य मंत्री जी जब कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो यह निश्चित भी है या नहीं इस में भी शंका है। इन कारणों से मैं इजाजत नहीं देता कि इस को पेश किया जाय।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह निश्चित रूप से बतायेंगे कि क्या ९ की रात्रि को या १० की रात्रि को किसी भी रात्रि को २ बजे, यानी १० को २ ए० एम०, दस की २ बजे प्रातः पर लारी में औरतों और मर्दों को लाद कर ४०-५० मील पर नहीं फेंका गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, जहां तक तारीख की बात है मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह १० की बात नहीं है ९ की है। सम्भव है माननीय राजनारायण जी ने ९ का १० लिख दिया हो, लेकिन ९ हो या १० इस से कोई मतलब नहीं है। जहां तक घटना का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में हमारी सूचना है कि ऐसी कोई घटना ९ को या १० को या उनकी बीच की रात्रि को नहीं हुई, ऐसी जिलाधीश की रिपोर्ट है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पता लगायेंगे.....

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना हुई है और मंत्री जी इस की इन्क्वायरी करा लें . ....

श्री अध्यक्ष—अच्छा हो कि आप मंत्री जी को व्योरेवार सूचना दे दें जो आप को पता लगा है क्योंकि मंत्री जी तो यहां से तार से या फोन से ही पता लगा सकते हैं । इसलिये तरीका यह हो सकता । है कि आप मंत्री जी के कमरे में जाकर उनको पूरी इत्तला दे दें, लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव द्वारा नहीं हो सकता, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जैसे अब तक एकोमोडेट करते रहे हैं वह आपको करेंगे ही ।

श्री राजनारायण—वह हम को एकोमोडेट करते रहे हैं या हम उनको करते रहे हैं ? श्रीमन्, जिस तरह की चीजें वहां हो रही हैं उनके अनुसार सदन की कार्यवाही निश्चित रूप से स्थगित होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

रिहन्ड डैम के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री आनन्दब्रह्मशाह जी का कामरोको प्रस्ताव यह है कि "रिहंड डैम के निर्माण फलस्वरूप १०८ ग्राम जिन की जनसंख्या लगभग ४०,००० के है डूब क्षेत्र में आ गये हैं । फलतः वहां की परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय तथा गम्भीर हो गयी है । पांच गांवों के उजाड़ देने से विशेष रूप से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है जो कि महत्वपूर्ण, निश्चित तथा सार्वजनिक प्रश्न है और उस पर विचार करने के लिए आज सदन का कार्य स्थगित किया जाय ।"

माननीय सिंचाई मंत्री इस विषय में कुछ जानकारी रखते हैं ?

*सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—इस साल बरसात होने से पहले रिहंड डैम की जितनी ऊंचाई होने वाली थी उसकी बुनियाद पर जो जानकारी की गयी थी उस लिहाज से सिर्फ पांच गांव पानी में डूबने वाले थे । उन गांवों की जमीनों को बाकायदा ऐक्वायर कर लिया गया, उन लोगों को मुआविजा दे दिया गया और ५ मील की दूरी पर वह गांव बसा दिये गये हैं । वहां पर पानी पीने के लिये दो कुएं बना दिये गये हैं और एक बन रहा है, दो बांध बना दिये हैं, ताकि पानी को रुकावट हो जाय और जानवरों और खेती के लिए पानी मिल सके ।

श्री अध्यक्ष—यह कह रहे हैं कि "रिहंड डैम के निर्माण के फलस्वरूप १०८ गांव डूब क्षेत्र में आ गये हैं" यानी डूबने वाले हैं ।

श्री राममूर्ति—जी हां, जैसा इसमें कहा गया है, जब यह बांध पूरा हो जायगा तब १०८ गांव डूबेंगे जिनकी आबादी ४०,००० होगी, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है । आज तो जो पांच गांव डूब में आने वाले थे, जिसकी संभावना थी उनको अलग बसा दिया गया है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी को कोई ऐसा प्रश्न लाने की आवश्यकता हो ।

श्री अध्यक्ष—अनिश्चितता के कारण मैं इस प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुलन्दशहर जिले की खाद्यस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री छत्तरसिंह का है कि बुलन्दशहर की खाद्य-स्थिति बहुत चिन्ताजनक हो गयी है। इसके बारे में मैं कह चुका हूं कि खाद्य-स्थिति पर पहले भी काफी बहस हो चुकी है, इस कारण अनुमति नहीं देता।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमन्, आज यहां प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। उसने बताया है कि . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री छत्तरसिंह—मुख्य मंत्री जी १८ को हवाई जहाज से गये थे . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कोई तात्कालिक सवाल नहीं है। यह नीति का सवाल है, वह चल रही है।

तहसील पडरौना, जिला देवरिया में भुखमरी से हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—ब्रजनारायण तिवारी जी का एक काम-रोको प्रस्ताव है कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया के निम्नलिखित व्यक्तियों के अन्नाभाव के कारण उपवास करते हुए अविराम भूख से मरने, तथा सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण जो गम्भीर एवं क्षुब्ध वातावरण उत्पन्न हो गया है, इस लोक महत्व के आवश्यक तथा निश्चित विषय पर विचार करने के लिए यह सदन आज का कार्य स्थगित करता है।

नाम जो दिये हैं उनमें जुमराती, दमरी और नकछेद तो बढ़हरा गांव के हैं और श्री ढेबर एक हैं चाफ के और सोभरिया मिश्रौली गांव की और प्रगाश मुसहर की पत्नी शाहपुर की हैं। इनके मरने का कारण भूख से बताया जाता है। मैं इस विषय में जानना चाहता हूं कि कोई जानकारी माननीय खाद्य मंत्री को है ?

*वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, कोई जानकारी गवर्नमेंट को इस बात की नहीं है कि ये लोग भूख से मर गये। ५ को और ९ को मरे हैं यानी १५-२० रोज पहले और आज ऐडजर्नमेंट मोशन आ रहा है, इतनी अर्जेंसी है। गवर्नमेंट के पास कोई इत्तला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी भी अनिश्चितता के कारण इजाजत नहीं देता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मेरे पास १५ तक और व्यक्तियों के मरने की सूचना है और जब मैं गया तो १७ तारीख को यह बात मालूम हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई आपके पास दरख्वास्तें इस सिलसिले में आई हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह—कोई दरख्वास्तें, जहां तक मुझे याद पड़ता है आयी नहीं हैं और मैं ऐसी दरख्वास्तों की तहकीकात कराने की जरूरत नहीं समझता जब तक कि एम० एल० ए० साहब खुद न बतायें कि उन्होंने खुद तहकीकात कर ली है कि कैसे डेथ हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से चकबन्दी में असन्तोष होने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री कोतवालसिंह भदौरिया का एक काम रोको प्रस्ताव है। वह इस प्रकार है, कि "तहसील छिबरामऊ, जिला फरुखाबाद में सरकारी अधिकारियों की असावधानी व लापरवाही व कानून की खामियों तथा व्यापक भ्रष्टाचार के कारण चकबन्दी से घोर असन्तोष है।"

यह कोई रिसेण्ट अकरेन्स की घटना नहीं है, इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन से इस प्रस्ताव के उपस्थित करने की अनुमति मांगता हूं:

"विधान सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है।"

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव वैध है इसलिये मैं इसको पढ़कर सुनाये देता हूं और नियमों के अनुसार मैं सदन की राय लूंगा और जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वह अपने स्थान पर खड़े होंगे।

"विधान सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है।" जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों, वह कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हों।

(संख्या गिनने के उपरान्त)

मैं निश्चित संख्या तो नहीं बतला सकता, लेकिन अनुमति के लिये ८६ सदस्य पक्ष में होने चाहिये, उससे अधिक हैं और १०० के करीब हैं। एक दो का फर्क पड़ सकता है। इसलिये सदन की अनुमति है। इसके लिये जो तारीख निश्चित करनी है, वह मैं बाद में निश्चित करके सदन को बतला दूंगा।

भुखमरी तथा अन्न समस्या को हल न कर सकने के संबंध में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—दूसरा इसी तरह का श्री राजनारायण जी का प्रस्ताव है। लेकिन एक प्रस्ताव सदन के सामने आ चुका है, इसलिये उनको बोलने का तो मौका मिलेगा ही। विरोधी दल के नेता को अनुमति मिल गई है, इस कारण अब राजनारायण जी को इसे उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक व्यवस्था हम चाहते थे। हमारा मकसद तो हासिल हो गया है और मुख्य मंत्री जी का भी मकसद हासिल हो गया है, क्योंकि उन्हें शिकायत थी कि नेता विरोधी दल के पास से प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये अब उनकी अभिलाषा पूरी हो गई है।

श्री अध्यक्ष—आपकी मंशा पूरी हो जाने से क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसलिये हम कह रहे थे कि इसको पढ़ दें, क्योंकि इसमें एक पटीक्यूलर डिगनिटी है। इसमें अन्न की समस्या और प्रजा के कष्टों की समस्या तथा गोली की समस्या है।

विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयकों की प्रतिलिपियां

श्री अध्यक्ष—अब आज की कार्यवाही प्रारम्भ होगी। सचिव विधान सभा सदन की मेज पर विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयकों की प्रतिलिपियां रखेंगे।

सचिव, विधान सभा—मैं विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३४ पर)

(२) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३५ पर)

(३) उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३६–८४४ पर)

१२ वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन-पाठ्य क्रम से हटाने के संबंध में संकल्प

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रादेशिक शासन की राष्ट्रभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विस्तार और वृद्धि एवं प्रयोग संबंधी लक्ष्य व नीति को सम्मुख रखते हुये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आगामी वर्ष से केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो अन्य सब ही १२ वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन पाठ्य-क्रम से अनिवार्य अथवा वैकल्पिक रूप से हटाकर अन्त कर दिया जावे।"

इस सम्बन्ध में.....

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि १५ वर्ष तक अंग्रेजी ही इस देश की भाषा होगी। तो क्या इस माननीय सदन में कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है कि किसी को भी अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार न रहे ?

श्री अध्यक्ष—संविधान का जो अनुच्छेद है वह आप पढ़ कर सुनाइये।

श्री प्रतापसिंह—मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३४३ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में यह लिखा है कि:

"(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1) for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement."

तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस सदन में कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो संविधान की धारा के विपरीत पड़ता हो ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आफिशियल लैंगवेज के बारे में है। यहां पर आप इसको कैसे लागू करते हैं ?

श्री प्रतापसिंह—संविधान इस बात की पूरी अनुमति देता है कि कोई विद्यार्थी अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव इसके विपरीत जाता है ।

श्री अध्यक्ष—इस संकल्प में तो यह है कि "१२ वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन पाठ्य-क्रम से अनिवार्य अथवा वैकल्पिक रूप से हटाकर अन्त कर दिया जावे"। तो वह १२ वर्ष से कम ४, ५, ६ और ७ वर्ष के भी हो सकते हैं । यह संविधान ५० में पास हुआ जिसको अब ७,८ वर्ष हो गये और ७, ८ साल के बाद सर्वत्र हिन्दी ही हो जायगी । इस कारण यह संविधान के विरुद्ध नहीं होगा । १२ साल से कम ५ वर्ष वाले विद्यार्थी भी होंगे और ८ वर्ष वाले भी होंगे । ७, ८ साल के बाद उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह हिन्दी को इस्तेमाल करें । इसलिये मैं समझता हूं १२ वर्ष से कम बच्चों के लिये हिन्दी में पठन पाठ्य-क्रम की बात निश्चित करना कोई बाधक नहीं होती है । इसलिये मैं करार देता हूं कि आपकी यह आपित्त वैधानिक नहीं है ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—मुझे बड़ा दुःख है कि अपरिपक्व बुद्धि के कारण जिनको वैधानिक ज्ञान पूर्णतया नहीं है हमारे एक साथी ने इसमें वैधानिक आपत्ति खड़ी कर दी । इसका मुझे घोर दुःख है ।

मुझे यह प्रस्ताव लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि गत १० वर्षों से स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भी मुझे यह अनुभव हो रहा है कि हमारे बालकों के साथ शिक्षा के सम्बन्ध में बराबर खिलवाड़ की गई । उनकी भाषा को तरह-तरह से बदलने का प्रयोग किया गया और इस समय फिर से उनको वही पहले की तरह से भ्रष्ट भाषा को पढ़ाने के लिये बाध्य किया गया । छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार से प्रयोग करना किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिये शर्मनाक है । इस प्रकार का प्रयोग कब तक हमारे देश के साथ होगा । यह मैकाले की भाषा बहुत दिनों तक हमारे देश को भ्रष्ट करती रही है । वह तो यह चाहते थे कि हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा सभी भ्रष्ट करें और आज यह भ्रष्टाचार हमारे सिर पर चढ़ रहा है । तो आखिर हम को किसी न किसी स्थान पर इसको रोकना पड़ेगा । कहीं न कहीं हमको अपनी संस्कृति और सभ्यता की रीति चलानी पड़ेगी और उस के लिये यही आधार है । आप इन बालकों की शिक्षा और अधिक बर्बाद न कीजिये । मुझे अपने बचपन की शिक्षा की याद आती है, पढ़ाया जाता था मात्र सेवको भवः, पितृ सेवको भवः गुरु सेवको भवः । सारे देश में आवाज सुनायी पड़ रही है कि बच्चों में अनुशासनहीनता है, हमारे शिक्षालय भ्रष्ट होते जा रहे हैं ।

मुझे बड़ा दुःख हुआ कि काशी जैसी नगरी में, जहां शंकर का सुन्दर स्थान है और हमारे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जहां से ही हमारी सरकार के सर्वोपरि शक्तियों में जो हैं, वे आ रहे हैं, वहां विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो चीज चल रही है, वह बड़ी दुखजनक है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण मैं आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि हमारी बुनियादी और मौलिक शिक्षा का ठीक न होना है, रोज-रोज नये नये प्रयोग किये जाते हैं । शिक्षा प्रयोगों से नहीं ठीक होती । उसके लिये तो साधना करनी पड़ती है । बगैर साधना के हम अपने राष्ट्र को सहारा नहीं दे पायेंगे । चरित्रवान, निर्भय, स्वस्थ एवं अनुशासनप्रिय राष्ट्र के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने बाल मस्तिष्कों का निर्माण करें । पहले से ही उनकी शिक्षा कुछ मौलिकता लिये हुए हो जिसमें हमारी यह संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, यह हम सीखें । जिसमें कुछ हमारे कला-कौशलों के सिखाने की व्यवस्था हो, कुछ अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाय । किन्तु इस प्रकार की शिक्षा का अब अंत हो गया है । मैंने देखा और मुझे बड़ा दुःख हुआ कि इसी सरकार ने बालकों की शिक्षा के लिये जो पुस्तकें छपवायीं उनमें मैंने पढ़ा बादशाह राम, बेगम सीता । कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम प्रभाव की बातें बादशाह राम से व्यक्त हो सकती हैं ? कहीं सम्मानित सीता की बातें बेगम सीता के नाम से असर डाल सकती हैं ? फिर इस तरह की चीजें. . . .

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा क्या यह पूछ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की किस पाठ्य पुस्तक में यह चीजें हैं और कब की ?

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—यह मैं मान सकता हूं कि वह आपकी कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनने के बाद की बात है और मैं इस के बारे में निश्चित हूं। यह किस सन् की पुस्तक है इस के बारे में मैं निश्चित नहीं। किन्तु मैं इसको दिखा सकता हूं। अगर बादशाह राम और बेगम सीता उसमें न हों तो. . . .

श्री अध्यक्ष—यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की है या बिहार की ?

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—मैं बता दूं कि एक शिक्षा डायरेक्टर हमारे यहां थे। वह हमारी बदकिस्मती से उर्दू के अधिक पक्षपाती थे। नाम था श्री उबैदुर्रहमान खां साहब, इसी पर तो टंडन जी ने, जो हमारी शिक्षा समिति के थे, उसमें कहा था कि इस तरह के भ्रष्टाचार को आप हमारे बालकों की बुद्धि में मत घुसाइये। उनको इस प्रकार की बातें बताइये कि वह किस प्रकार देश के नव-निर्माता बनें। तो मैं आदरणीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि अब यह नीति बन्द हो। हमारी बाल बुद्धि को भ्रष्ट करने का यह इरादा और यह भाषा अब समाप्त होनी चाहिये। इसका कहीं न कहीं अन्त होना ही चाहिये और एक नये भारत के निर्माण के लिये, भव्य भारत के भविष्य के लिये कुछ अच्छे विचारों से युक्त बातों को लेकर बाल पुस्तकें तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिये। मेरा इस संकल्प को लाने से तात्पर्य यह है कि सरकार जो देश के नव निर्माण की बातें करती है और तरह-तरह के सुधारों की दुहाई देता है, अगर उसने इस प्रकार की बातें १०-११ वर्ष पहले की होतीं तो उसको अपनों द्वारा अपनों पर ही लाठियां, गोलियां बरसाने की आवयश्कता न होती, आज अपनों ने अपनों को प्यार करना सीखा होता, आज अपने ही देश में बेचारी अबोध बालिकाओं को भगाया न गया होता।

आज हमारी बाल बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार के द्वारा सरकार बालकों को बुद्धिविभ्रम में डाल रही है। जिसे अपने देश का गौरव होगा, वह इस प्रकार के कामों को आगे बरदाश्त नहीं कर सकता है। इस प्रस्ताव को लाने की मेरी गरज यही है कि जो इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है, उसका अन्त किया जाय।

मैं चाहता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बुद्धि पर अधिक भार न लादा जाय। केवल रटंत की शिक्षा से उनको बचाया जाय। इसी के कारण हम देखते हैं कि अंग्रजी का स्तर क्या हो रहा है। बेचारों की हालत बड़ी अजीब हो रही है और फिर यह विदेशी भाषा बहुत से बालकों के काम में भी नहीं आती है। कोई आठवीं कक्षा पास करके छोड़ देता है, कोई दसवीं पास करके छोड़ देता है इससे उनके जीवन में इस अंग्रेजी भाषा का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। अगर किसी को राजदूत बनना हो या और कोई ऐसा ही काम करना हो, उसके लिये तो खुली छूट है वह उसको पढ़ सकता है। मैं यद्यपि आंकड़ों के आरण्य में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग ३० लाख बालक-बालिकायें प्रारम्भिक शिक्षा पाते हैं और उनकी प्रारम्भिक शिक्षा कैसी होती है, यह हम जानते हैं। कुछ मांटेसरी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन वहां कोई अनुशासन और शिष्टाचार की शिक्षा नहीं दी जाती है। कहीं पर घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई देती है और कहीं पर और कुछ नजर आता है। मेरे खयाल से इसको बाल शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। अगर आपको अच्छे-अच्छे नृत्यकार बनाने हैं तो उनके लिये बड़े-बड़े स्कूल खोलिये, लेकिन बच्चों को अब इससे बचाइये। उनसे अपने देश के उद्धार की हमें आशायें हैं।

आज हमारे राष्ट्र के सारे नेता इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुल्क की शिक्षा पद्धति खराब है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को लाने की भी मेरी यही मंशा है। अब तक तो हमने बरदाश्त किया, लेकिन अब बरदाश्त नहीं किया जा सकता। बच्चों के साथ अब

[श्री रामसिंह चौहान वैद्य]

खिलवाड़ नहीं हो सकता। अब तो उनको भारत भारती की शिक्षा ही दी जानी चाहिये। अगर कोई उर्दू पढ़ना चाहे तो वह उर्दू पढ़ सकता है, बंगाली पढ़ना चाहे तो बंगाली पढ़ सकता है, लेकिन साहब अब इस अंग्रेजी भाषा को छोड़िये। यह डाहिन हमारे बच्चों का व्यर्थ में ही खून चूस रही है और इसी से अनुशासनहीनता बढ़ रही है। १० वर्ष के बाद भी आज यह रोना है कि अननुशासन बहुत बढ़ गया है। इसके लिये मेरा यही सुझाव है कि देश के नवनिर्माण के लिये आप नीचे से ही निर्माण शुरू कर दीजिये। अगर हमने यह नहीं किया तो हमको पछताना होगा तथा आगे और भी अधिक उच्छृंखलता बढ़ेगी। जो कुछ सरकार ने किया है वह केवल प्रयोग के रूप में ही किया है, लेकिन शिक्षा में प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकते। बड़े-बड़े तपस्वियों ने शिक्षा दी है, तपस्या के रूप में। तब कहीं जाकर उस प्रकार के लोग पैदा हुए हैं जिनसे आज हमारे देश का मस्तक ऊंचा है।

मेरे एक सम्मानित साथी का सुझाव है कि मैं कुछ जल्दी कर रहा हूं तो मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। तो श्रीमन्, मैं बतला रहा था कि जिस भारत का उद्देश्य विश्व में श्रेष्ठ बनने का था, आज उस देश की कैसी व्यवस्था हो रही है, यहां पर कैसे-कैसे अत्याचार हुए हैं जिनको हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हम करीब-करीब अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को और अपनी सभ्यता को बिलकुल भूल गये हैं और आज भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत में तो सदैव पारस्परिक सेवा और प्रेम की भावना रही है, दूसरों के प्रति और अपने से बड़ों के प्रति आदर की भावना रही है, लेकिन आज हम मदान्ध होकर उन्मत्त हो गये हैं और अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी उसी तरफ ले जा रहे हैं। हमें तो इस बात पर रोना आता है कि आये दिन विद्यार्थियों की हड़ताल की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। मैं कहता हूं कि यह हमारी आपकी अपनी ही करनी है जो हमारे आपके सामने आ रही है। इस संबंध में मैं अपने गांव की एक मिसाल दे दूं तो मैं समझता हूं कि उसे आप बुरा नहीं मानेंगे। वहां एक बेचारा कोली रहता है, एक दिन मैंने देखा कि उस कोली का लड़का उसे पीट रहा था, जब मैंने वहां जाकर उससे पूछा कि यह क्या कर रहे हो, तो उसने बतलाया कि मेरे दादा को भी यह इसी तरह से पीटते थे। तो इसी तरह से और यह क्रम जारी रहा तो हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता है वह खतरे में पड़ जायगी और हमारे राष्ट्र के भावी कर्णधारों के लिये भी रुकावट पैदा हो जायगी। इसका कारण यह है कि हम सभी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा यह कर्त्तव्य और धर्म है कि हम अपने राष्ट्र के बच्चों को ऐसी शिक्षा से वंचित करें, जिसने हमको भ्रष्ट किया और यहां पर तरह-तरह की बीमारी, बौद्धिक और शारीरिक पैदा की है। इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन हृदय से करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ थोड़े से सुझाव भी देना चाहता हूं जिनके ऊपर आप गम्भीरता से विचार करें और जो भी सुझाव आप इस सम्बन्ध में देंगे उनका मैं स्वागत करूंगा। यदि हमको अपने भावी भारत का अच्छा निर्माण करना है तो जहां तक हमारी संस्कृति और सभ्यता की बातें हैं, उन्हें अपने बच्चों में फिर से जागृत करना पड़ेगा। फिर उनके संबंध में अनुशासनहीनता की शिकायत आपको नहीं रह जायगी। हमको इन स्कूलों में अनुशासन पूर्ण गुरुओं को रखना पड़ेगा ताकि वहां अच्छी शिक्षा दी जाय, सेवा के संबंध में शिक्षा दी जाय, पारस्परिक प्रेम के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय, सहयोग के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और बड़े लोगों के प्रति आदर करने की शिक्षा दी जाय। इस क्रम से शिक्षा देने की कृपा कीजिये और यह शिक्षा ११, १२ वर्ष तक चलाने का क्रम होना चाहिये तभी हम वास्तव में भावी राष्ट्र के लिये अच्छे नागरिक तैयार कर सकेंगे। फिर इस तरह के उच्छृंखल विद्यार्थी आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इस तरह की हड़तालों का तमाशा आपके देखने में नहीं आयेगा जो कि आपको आये दिन देखने को मिलता है।

कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबारों में कुछ न कुछ विद्यार्थियों की कहीं न कहीं हड़ताल का जिक्र न हो। इसलिये अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दीजिये क्योंकि यह देखा गया है कि जैसा बड़े करते हैं उसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। जब आप स्वयं अनुशासनहीन होंगे तो दूसरे कैसे अनुशासन का पालन कर सकते हैं। अगर हम अपने बालकों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे और अपनी भाषा में शिक्षा नहीं देंगे तो उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। उसका कारण यह भी है कि उनके ऊपर किताबों का बड़ा भारी बोझ डाल दिया जाता है जब कि उनके लिये यह प्रथम सीढ़ी ही है। अपनी भाषा और अपने कर्तव्यों का ज्ञान, यह आवश्यक है कि, शुरू ही में हो कि उनको कैसे नम्र बनना चाहिये, कैसे सुशील बनना चाहिये, कैसे वे अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। मैं बारबार कहता हूं कि यह स्वभाव उनका छूटता जाता है और छूट गया है, लेकिन उसके लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्र अच्छी सहयोग समितियां बना पायेगा, कैसे आपस में पारस्परिक प्रेम बढ़ेगा? तो मैं आपसे बताता हूं कि हमें जो शिक्षा मिलती थी उसका यह प्रभाव है।

मैंने भी काशी नगरी में संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। मैं अपनी दादी की गोद में रहा तभी बालपने में इस बात की शिक्षा मिली और मैं समझता हूं कि आज तक यह उसी का असर है। मैं अपने बालपने के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि आज हमारी वह शुभ आदतें समाप्त प्राय हैं। मुझे बताया गया था कि "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।" लेकिन मैं देखता हूं कि आज मुझे जो बुरा लगता है वही मैं दूसरे के प्रति करने लगता हूं। इतने आदर्श की बातें मुझे बतायी गयीं थीं जो मुझे अभी तक याद हैं। अगर हम अपने प्राचीन आदर्शों पर चलें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक नयी और अच्छी सभ्यता और संस्कृति का फिर निर्माण होगा, उदय होगा, एक अच्छी संस्कृति का जिसे आज हम भूल रहे हैं। ऐसे पुरुष पुङ्गवों का पुनर्निर्माण होगा जिससे हमारा राष्ट्र पुनः बलशाली बनेगा और सारे संसार को बलशाली बना पायेगा।

इन्हीं भावनाओं को लेकर यह प्रस्ताव लाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव का स्वागत किया जायगा। जो सम्माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे उन्हें स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे तो बड़े-बड़े शिक्षाविदों की कमेटियां बनीं, बड़े-बड़े सुझाव आये, लेकिन पता नहीं क्यों यह राष्ट्र के निर्माता, गांधी जी के चरणों की सौगन्ध खाने वाले, अहिंसा के पुजारी बनने वाले पदच्युत हो रहे हैं। मुझे तो याद आता है कि ईशू के उपासक ईसाइयों ने जिस प्रकार यूरोप में और विश्व में हिंसा का दौर चलाया। वैसे ही आज बापू, गांधी के चरणों में शिक्षा पाने वाले और उनके नाम की दुहाई देने वाले हिंसा पर उतर आये, यह देख कर मुझे दुख होता है। क्या इसी प्रकार चलेगा यह देश? क्या बड़े-बड़े मानवों और महात्माओं की वाणियां इसी प्रकार व्यर्थ चली जायेंगी?

जो होना था सो हो गया। आज से हम संकल्प करें कि अपने बच्चों और अपने भावी भविष्य के निर्माण के लिये हमें वही शिक्षा देनी है जो उनके जीवन भर काम आयेगी, उनके रोजी और रोटी का प्रश्न हल करेगा और यही नहीं केवल उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी बल्कि अन्य लोगों की रोजी और रोटी नहीं छिनेगी। इस प्रकार की भावना तभी बन सकेगी जब कि बालपन से उनके हृदय में इसी प्रकार के अंकुर जमाये जायं। इसीलिये यह प्रस्ताव आपकी तरफ से सदन के सम्मुख आया है। मेरा आपके द्वारा सदन से यह नम्र निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और उसको स्वीकार कर भावी भारत के निर्माण के लिये, अपने प्रदेश के निर्माण के लिये सहयोग दें यही सम्माननीय सदन से विनम्र प्रार्थना है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस निर्माण में अपना सहयोग अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष—(श्री सीताराम शुक्ल से) मैं आपके संशोधन के लिये पहले पूछ लूं। अगर किसी को आक्षेप न हो तो वह आ सकेगा। आपके संशोधन का एक हिस्सा तो यह है कि

[श्री अध्यक्ष]

"तथा अंग्रेजी उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालयों द्वारा पढ़ाना प्रारम्भ किया जाय, सो भी अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक" । और दूसरे आप यह चाहते हैं कि "१२ वर्ष से कम उम्र के" वाक्य को निकाल दिया जाय । इसमें क्या किसी को आपत्ति है ?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मुझे भारी आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष—(श्री सीताराम शुक्ल से) तो फिर मैं संशोधन की इजाजत नहीं दूंगा । आप अपना भाषण आरम्भ करें ।

श्री सीताराम शुक्ल—(जिला बस्ती) माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले प्रस्तावक महोदय को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आज आपने इस सदन में इस प्रस्ताव को पेश किया । विरोधी वृन्द की तरफ से बहुत से प्रस्ता आते हैं किन्तु उससे कुछ खटक मालूम होता है, लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि विरोधी पक्ष की तरफ से भी बड़े ही मौके से बड़ी ही अच्छी चीज पेश हुई । लेकिन उसके पक्ष में जो दलील दी गई उससे मैं सहमत नहीं हूं । यह मेरी बदकिस्मती है क्योंकि अंग्रेजी भाषा बुरी नहीं है । अंग्रेजी पढ़ने से नहीं बल्कि, अयोग्य अध्यापकों के कारण उच्छृंखलता पैदा होती है । वह तो बड़ी मीठी जबान है, बड़े काम की है । बहुत सी बातें हमको मालूम होती हैं । लेकिन प्रश्न यह होता है कि दुनिया में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, बड़ी मजेदार हैं, बड़े काम की हैं, लेकिन हम उतना ही कर पायेंगे जितना कि हममें शक्ति है । चीज बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी शक्ति के बाहर है । उसे हम कैसे कर पायेंगे । यह बड़ी अच्छी चीज है कि बच्चे बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ें, हिन्दी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, उर्दू भी पढ़ें और फारसी भी पढ़ें । 'अधिकस्या धिकम् फलम्' क्योंकि हमें हर एक देश में राजदूतों को भेजना होगा, हर एक भाषा की किताबों का अनुवाद कराना होगा, हर एक मुल्क का रेडियो सुनना और समझना पड़ेगा अतः बचपन से ही कई भाषाओं का पढ़ना अधिक अच्छा होगा । मगर एक दिक्कत पड़ती है वह यह कि छोटे बच्चों पर बोझा अधिक पड़ जायगा । मान लीजिए हमारे सामने खाना है कई किस्म का, हलुआ, पूड़ी, पराठा, बरफी, लड्डू वगैरह वगैरह, लेकिन हमें उतना ही खाना चाहिये कि जितना हम हजम कर सकें । उससे ज्यादा खायेंगे तो बदहजमी हो जायगी, हम बीमार पड़ जायेंगे । पढ़ने के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है कि चीज बहुत अच्छी है, लेकिन हम उतना ही सीखें कि जितना सीख सकें । हम छोटे बच्चों को यदि सब भाषाएं पढ़ाने लगें, यह भ आ जाय और वह भी आ जाय, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । न यह आयेगा न वह आयेगा । एक देहाती मसल है कि "आधी तजि सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे ।" इसलिए उन्हीं बच्चों को अंगेजी पढ़ायें जो कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज हों ।

जब अंग्रेज यहां थे तब तो मजबूरी थी क्योंकि नौकरी ही तब मिलती थी जब कि लड़का अंग्रेजी पढ़ ले यह अर्थकारी विद्या थी, पैसा देने वाली थी, इज्जत मिलती थी । साहब बहादुर बने कि पैसा मिलने लगा । लिहाजा होने लग गई कोशिश कि अंग्रेजी पढ़ाओ बच्चों को बचपन से । तब यह ठीक था । फिर भी यह आदर्श नहीं था । बाज लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं पढ़ायेंगे अंग्रेजी, भीख मांग कर पढ़ायेंगे, लेकिन संस्कृत पढ़ायेंगे, अरबी पढ़ायेंगे, फारसी पढ़ायेंगे, लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ायेंगे । तब भी लोग ऐसे खयाल के थे । लेकिन अगर किसी ने अंग्रेजी पढ़ाया तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं । लेकिन अब तो आपका राज है, आपकी हुकूमत है । बड़ी मुद्दत के बाद अपना राज बना । इसी हाउस ने पास किया सर्वसम्मति से कि यहां की सरकारी कार्यवाही हिन्दी में हो । संविधान ने मंजूर किया । मगर हुजूरवाला, वह अंग्रेजी अब भी चली जा रही है बड़ी तेजी के साथ । उस में दिक्कत यह पड़ती है कि हिन्दी और अंग्रेजी बचपन से पढ़ायी जाय बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, बोलचाल करते कराते, चिट्ठी पत्री भी अंग्रेजी में करते हैं कि कहीं अंग्रेजी में भूल न हो जाय, नौकरी न मारी जाय । हिन्दी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो मातृ-भाषा है आपसे

आप आ जायगी। इसीलिए सारा कारोबार अंग्रेजी में करते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि न उनको अंग्रेजी आती है न हिन्दी आती है। आजकल कालेजों से लड़के निकलते हैं, एम० ए० पास हैं अंग्रेजी हिन्दी दोनों का सार्टिफिकेट उनके पास है। लेकिन हुजूरवाला, आप सुनकर ताज्जुब और अफसोस करेंगे कि न उनकी हिन्दी अच्छी है न अंग्रेजी अच्छी है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, वह आती नहीं, हिन्दी पढ़ते नहीं। तो न इधर के हुए न उधर के हुए।

अभी मैं अपने बच्चे जिले में गया था तो वहां एक कालेज के मास्टर आये, कहने लगे कि साहब कालेज में तो अध्यापकों की कमी की जा रही है, माली हालत खराब है, निकाला जा रहा हूं, मुझे बचाइये। मैंने पूछा क्या बात है उन्होंने कहा कि विद्यालय की माली हालत खराब है इसलिये रिट्रेंचमेंट हो रहा है। तो मैंने कहा, हां, बात तो सही है, लेकिन कुछ आप लोग भी खतावार हैं। उन्होंने कहा हमारी क्या खता है मैंने कहा आप लोग पढ़ने लिखने में कम दिलचस्पी लेते हैं कृपा करके दो पेज लिखिये, आपको हिन्दी नहीं आती अभी प्रमाण मिल जायगा। मैंने उनसे कहा कि आप लिखिये कि विद्यालय की हालत क्यों खराब है। तो इस नोट बुक में दो पेज उन्होंने लिखा जिसमें तीन तो मामूली गलतियां हैं और एक भयंकर गलती है। उस का नतीजा है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसको अगर ठीक करना चाहते हैं तो हम उसी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ायें जो कि तेज हो।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध ?

श्री अध्यक्ष—समर्थन कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं अर्ज कर रहा हूं और आपके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। मैं १६ आने समर्थन कर रहा हूं। अच्छा होता अगर मेरा संशोधन आ जाता। अगर नहीं आया तो आधा ही सही, आपकी बात मान ली जाय।

मैं अर्ज कर रहा था कि यह अकलमन्दी नहीं है कि दो जबानें पढ़ायी जायं। जो लड़के तेज हों उन्हीं को आठवीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाय। सो भी अनिवार्य नहीं बल्कि इच्छानुसार ताकि कम से कम एक जबान तो अच्छी तरह से वे जान लें।

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमन्, एक सूचना दे दूं। एक जबान का जहां तक संबंध है हिन्दी १२वीं कक्षा तक अनिवार्य है। इसका मतलब हो गया कि वह १६ वर्ष की आयु तक कम्पसलरी है।

श्री सीताराम शुक्ल—हिन्दी कम्पलसरी है, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी भी कम्पलसरी है।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, अंग्रेजी १२ वीं कक्षा तक कम्पलसरी नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—यह मेरी गलती है। मुझसे किसी साहब ने फिर बतलाया कि नहीं साहब कम्पलसरी है और मैंने कई स्कूलों में पूछा वहां भी बताया गया। मेरा पौत्र कालविन कालेज में पढ़ता है उसको मजबूर किया जाता है अंग्रेजी पढ़ने के लिये। तो हम पर जो बीती है मैं तो समझता हूं सब पर बीत रही है। इसलिए प्रार्थना है कि कहीं भी अनिवार्य मत रखिये।

हुजूरवाला, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। कुछ जिलों में कानून बना कि शराब खोरी बन्द हो मगर फिर भी चालू है, घूसखोरी बन्द हो इसका भी कानून बना है, फिर भी जारी है। तो जरूरी है कि दाहिनी तरफ की बेंचेज पर जो लोग बैठते हैं वह जरा मालूम करें कि उनके यहां दरख्वास्तें आती हैं हिन्दी में किन्तु उन पर हुक्म होता है अंग्रेजी में। हम लोगों पास चिट्ठी आती है प्लानिंग आफीसर, जिला मैजिस्ट्रेटों के यहां से अंग्रेजी में। मेरा कहना

[श्री सीताराम शुक्ल]

है जब तक यहां से नहीं पूछा जायगा कि हाउस ने जब यह पास किया है कि हिन्दी में काम हो तो १० साल हो गये अभी तक क्यों अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी जाती है तब तक हिन्दी में कार्य नहीं होगा। इसलिये जब तक अंग्रेजियत है और साहब बहादुर लोग हैं तब तक कानून बना देने से कोई असर होने वाला नहीं है। हमारे सूबे का सारा काम आसानी से हिन्दी में हो सकता है। आल इंडिया का काम भी हिन्दी में होना तय कर दिया गया है। हुजूर-वाला, माइनारिटी अर्थात् अल्प संख्यकों का फायदा है कि वे हिन्दी सीखें इसलिये कि इसको ज्यादा लोग समझते हैं, फालो करते हैं।

मैं पंजाब की मिसाल देता हूं। वहां की जबान आज भी उर्दू है, आज भी वहां सारा कारबार उर्दू में होता है, लेकिन आइन्दा के लिए वहां उर्दू का नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह गया है। वहां पर झगड़ा जो है वह पंजाबी और हिन्दी का है, उर्दू का नहीं है। वह होशियार लोग हैं, जानते हैं कि भावना से काम नहीं चलेगा, राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी होगी। जो समझदार महाराष्ट्र वाले हैं, गुजरात वाले हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि हमारे यहां हिन्दी होगी। किन्तु यहां अभी व्यवहार में हिन्दी नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं कि हिन्दी यहां से शुरू होगी तब वह आगे बढ़ेगी।

केवल एक बात और कह कर अपना व्याख्यान मैं समाप्त करूंगा। यदि आप दरअसल हिन्दी की सफलता चाहते हैं तो आप हिन्दी सीखिये, इसमें शर्माइये नहीं, आप कोई होशियार हिन्दी का स्टेनोग्राफर शीघ्र लिपिक रखिये, उससे कहिये कि वह अच्छी सी मसविदा शुरू-शुरू में कुछ दिन आपके लिये लिख कर ले आये। आप केवल दस्तखत कर दीजिये, आप जरा सी कोशिश से स्वयं पढ़ना सीख लेंगे। वह सुन्दर सा नोट बना कर लाये आप केवल दस्तखत हिन्दी में करिये देखिये फिर कहां दिक्कत रह जाती है। आप अपने यहां से हिन्दी शुरू कीजिये तभी आपके कर्मचारी हिन्दी में काम करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि:

" यद् यदाचरति: श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।'

यानी जैसा बड़े लोग करते हैं उसी की नकल छोटे लोग करते हैं। महात्मा जी चर्खा चलाते थे, ऊंचे से ऊंचे पालिटिक्स डील करने के बाद भी वह चर्खा चलाते थे। उसका नतीजा यह हुआ कि आज बहुत से लोग चर्खा चलाने लगे इसलिए हमें अपने बच्चों को यदि कम से कम मातृ भाषा में विद्वान् बनाना है। जिन नौनिहालों के हाथ में हमें अपने देश का भार देना है तो बुद्धिमान अपना दिन प्रतिदिन का काम हिन्दी में करना होगा। हां, जो बच्चे बहुत प्रतिभावान् और बुद्धिमान हों उन्हीं को अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं को ऊंचे दरजे से पढ़ाना प्रारम्भ कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--श्री प्रतापसिंह जी का संशोधन है, यदि इसके बारे में किसी को आक्षेप है कि यह बे वक्त आया है तो मैं इजाजत पेश करने की नहीं दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष--प्रतापसिंह जी संकल्प की पुष्टि कर सकते हैं या इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन संशोधन पेश नहीं कर सकते।

श्री प्रतापसिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसिंह जी ने प्रस्ताव को रखते हुये कहा था कि मैं संविधान का जानकार नहीं रखता, मैं तो केवल संविधान का एक विद्यार्थी हूं, पंडित तो वह हैं, मुझे तो उनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उस में हिन्दी का जो कम्पलसरी रूप वह चाहते हैं उसको तो मैं मानता हूं, लेकिन यह कि दूसरी भाषाओं को या अंग्रेजी को आप्शनल तरीके पर भी न पढ़ाया जाय, इसका मैं समर्थन नहीं करता।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--श्रीमन्, मेरा जो प्रस्ताव है उसमें वैकल्पिक है।

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि 'वैकल्पिक' शब्द इस में से हटना चाहिये।

*श्री प्रतापसिंह--मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी देश में उस भाषा का ज्ञान सभी को होना आवश्यक है जो उसकी राष्ट्रभाषा हो। लेकिन जब हम दूसरे देशों का इतिहास देखते हैं, जो दूसरे देश हैं—रूस, नार्वे, स्वेडन आदि वहां कम से कम एक फारेन लैंग्वेज का जानना आवश्यक होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो लड़के अंग्रेजी पढ़ना चाहें उनको अंग्रेजी पढ़ने से वंचित न रखा जाय। देश की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि यहां के नागरिक दूसरे देशों की भाषाओं का भी ज्ञान रखें क्योंकि बिना इसके हम दूसरे देश के लोगों से संबंध नहीं रख सकते और अपने ज्ञान को उनके विषय में बढ़ा नहीं सकते। हमारे यहां मालवीय जी जैसे अंग्रेजी के महान पंडित हुये हैं जिनको पारितोषिक भी मिला है। मैं समझता हूं कि संविधान में जिन लोगों ने आर्टिकिल ३४३ रखा था वह सोच समझकर ही रखा था और इस वास्ते १५ साल तक अंग्रेजी को आफिशियल भाषा रखा था और इस बीच में अगर पूरी-पूरी कोशिश की जाय तो हम हिन्दी को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां हम मातृभाषा पर जोर देते हैं वहां हमें यह नहीं भूल जाना है कि यहां पर बहुत से लोग रहते हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी अपनी मातृभाषा की तरह से समझते हैं। इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय से आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा कि मैं प्रस्ताव का समर्थन उस दिन जरूर करूंगा जिस दिन मैं इस बात को मानूंगा कि इस प्रस्ताव में जहां उन्होंने कम्पलसरी के साथ-साथ आप्शनल रखा है वह न हो। क्योंकि अगर आज हम इस प्रस्ताव को इस रूप में पास कर लेते हैं तो नतीजा क्या होगा? आज यहां पर बहुत से कालेजेज हैं, बेलजली स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है जहां पर वह विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है वह भी वहां पढ़ते हैं। प्रस्ताव की इस बात को मैं मानता हूं कि जिनकी अंग्रेजी भाषा है उनके लिए लागू नहीं होता, लेकिन उन कालेजों में आज भी देखा जाता है कि ५ वर्ष का होने के बाद वहां भर्ती किया जाता है और अंग्रेजी उनको पढ़ाई जाती है। अगर इस प्रस्ताव को जिस रूप में वह हमारे सामने आया है उसको मान लेते हैं तो विधान की कुछ धाराओं के वह खिलाफ पड़ता है। उदाहरण के लिए धारा ३० है "राइट टू एड"। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं और अगर किसी विधान में लिखा है कि उस लैंग्वेज को कोई कालेज नहीं पढ़ायेगा तो उनको एड नहीं देंगे, तो अगर यह चीज सिलेबस में जाती है और यह प्रस्ताव पास होता है तो सरकार को एड देने में अड़चन पड़ जायगी। धारा १६ है, "राइट आफ एम्पलायमेंट"। कोई आदमी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, १२ और ११ साल के बच्चे ऐसे होते हैं, कितनों ही को आपने देखा होगा कि नौकरी की तलाश में आते हैं और बहुत से नौकरियां ऐसी होती हैं कि उनके लिये अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक होता है। अगर उनको वंचित रखा जाता है तो यह धारा १६ के खिलाफ पड़ता है। एक है राइट आफ ईक्वेलिटी। "ईक्वलिटी" का मतलब यह नहीं है कि किसी को १,००० तनख्वाह मिलती है और किसी को १०० रुपया मिलती है तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, बल्कि यह कि पढ़ाई और शिक्षा के संबंध में समानता का बर्ताव बरता जाय। अगर आज हम यह कहें कि सिलेबस में अंग्रेजी नहीं रहेगी तो मैं समझता हूं कि यह संविधान के खिलाफ पड़ता है।

साथ ही अगर १२ वर्ष के बच्चों के लिए कम्पलसरी रूप से अंग्रेजी शिक्षा न रखी जाय तो जब तक शिक्षा विभाग का यह नियम है कि विद्यार्थी को १५ वर्ष की आयु में हाई स्कूल पास कर लेना होता है तो बच्चे का क्या हाल होगा? इस समय जबकि अंग्रेजी पढ़ने का पूरा अधिकार प्रत्येक विद्यार्थी को है तो मेरे कथन का आज शिक्षा मंत्री जी भी समर्थन करेंगे कि आज हाई स्कूल का परीक्षा फल इस बात का द्योतक है कि अंग्रेजी में २८ फीसदी विद्यार्थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

पास किये गये और ५ फीसदी ग्रेस दी गयी, फिर भी हजारों लड़कों की लिस्ट निकलती है और मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि हजारों लड़कों की सप्लिमेंटरी लिस्ट आती है जो कि अंग्रेजी में फेल हैं। तो मैं तो नहीं चाहता था कि इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन यहां लाया जाय जिसमें यह कहा जाय कि अंग्रेजी को आप्शनल रूप से भी हटा दिया जाय। वह तो बहुत ही अनुचित होगा। हम क्यों शुरू से ही एक ऐसी व्यवस्था डालें जिसमें लोगों को कहने का मौका मिले कि हमारी लैंगुवेज लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं या हमारी लैंगुवेज से लोग घृणा करते हैं।

अंग्रेजी को अगर कम्पलसरी रूप से हटा दें तो पाठ्य पुस्तकें जो आज पढ़ायी जायंगी वह भी पूरी नहीं हैं। हमें पहले विदेशी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करना होगा, उनको समझना होगा तभी हम उनके साथ अपनी पाठ्य पुस्तकों का स्टैंडर्ड मिला सकते हैं। जैसा मैंने कहा, रूस में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है ४ वर्ष के बच्चों को।

एक सदस्य--क्या आप रूस गये हैं? कहां से आपने नोट किया?

श्री प्रतापसिंह--मैं रूस नहीं गया, लेकिन पढ़ा है। मुझे कहने का अधिकार तो है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--कहने का उनको अधिकार है।

श्री प्रतापसिंह--अब मुझे यही कहना है कि प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि वैकल्पिक रूप से अंग्रेजी को हटा दिया जाय, वह नहीं आना चाहिए था। यह संविधान की धारा के विपरीत पड़ता है। तो हाई स्कूल में और इंटर में अंग्रेजी कम्पलसरी है, जिन बच्चों को अंग्रेजी प्रारम्भिक काल से नहीं पढ़ाई जायगी और अंग्रेजी निकाल दी जायगी तो मैं समझता हूं कि यह उन बालकों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय के इस प्रस्ताव के इस अंश का समर्थन करता हूं कि जो १२ वर्ष तक की उम्र तक ही पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाय।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी का आगमन इस देश में अंग्रेजी शासन के साथ हुआ था और वह केवल डेढ़ लाख शासन करने वाले आदमियों की भाषा थी जो जबर्दस्ती ३०-४० करोड़ लोगों के ऊपर लादी गई थी। किसी देश की मातृ भाषा ऐसी होती है जैसे मां का दूध। आप जानते हैं कि एक समय था जब अंग्रेजी को यूरोप में एक भोंडी भाषा समझा जाता था और फ्रेंच भाषा वहां की राष्ट्र भाषा मानी जाती थी। अंग्रेजी भाषा के पास इतने शब्द नहीं थे, लेकिन बढ़ते-बढ़ते आज १० लाख शब्द हो गये हैं। इसी तरह से हिन्दी के पास भी पहले शब्द अधिक नहीं थे, लेकिन थोड़े से समय में ही २ लाख हो गये हैं। पहले भारतवर्ष के लिये कहा जाता था कि मौलिकता और प्रतिभा की कमी है। क्यों न हो? जब हम अपना बहुत सा समय विदेशी भाषा के ज्ञान प्राप्त करने में लगा देते हैं। इसीलिये भारत में १५० वर्षों में सर्वश्री जगदीश चन्द्र और रमन के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं हुआ तो आश्चर्य की क्या बात है?

हमारे एक भाई ने कहा कि रूस में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं कहता हूं कि रूस ने जो आज इतनी उन्नति की है वह अपनी भाषा के ही द्वारा की है। पूना के शिक्षा शास्त्रियों का स्पष्ट मत है कि अंग्रेजी के प्रभाव के द्वारा बच्चों की ६ वर्षों की हानि होती है। जब तक हम विदेशी भाषा का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी भाषा की कंगाली बढ़ती ही रहेगी। इसलिये हमें ध्यान देना चाहिये कि हम कैसे अपनी भाषा की उन्नति करें। अंग्रेजी हमारे भारतीय मानस के विरुद्ध पड़ती है और इसी प्रकार हमारे संस्कारों के भी विरुद्ध पड़ती है। हम यह नहीं कहते हैं कि यह वैकल्पिक रूप में भी न रहे। लेकिन हमारा कहना तो यह है कि हमारी शिक्षा का माध्यम

हमारी मातृ भाषा में हो जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इसी तरह से हम अंग्रेजी भाषा के इतिहास को देखें तो ज्ञात होगा कि यह ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं से सम्पन्न हुई है। इसी तरह से आज हम लोग बिना अंग्रेजी के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे भारतीय मानस के विरुद्ध है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन होना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामजीसहाय--उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक संविधान का हवाला दिया गया, संविधान में भी बहुत से संशोधन हुये हैं और एक समय आयेगा कि इस सम्बन्ध में भी विचार करने की आवश्यकता होगी। जहां तक कि लिपि का सम्बन्ध है रोमन लिपि जितनी दोषप्रद है उतनी दूसरी नहीं है। उसमें बी, यू, टी, बट लिखे या पी, यू, टी, पुट लिखें किस तरह से इसका उच्चारण होता है इसको आप देखें। उसकी जगह पर अगर हम नागरी लिपि को देखें जिसका कि उद्गम स्थान काशी है, उसमें जो आप उच्चारण करेंगे, दन्त से, ओष्ठ से, तालू से, वह उसी वैज्ञानिक तरीके से होगा और किसी भी देश की भाषा का शुद्ध उच्चारण उस में हो सकता है। इसलिये नागरी लिपि रखें तो उससे यह होगा कि हमारी मराठी, गुजराती बंगाली और हिन्दी जो कि एक ही जननी की पुत्री हैं, वह एक दूसरे के निकट आयेंगी। इसी तरह से दक्षिणोत्तर के विद्यार्थियों के लिये किसी एक दक्षिणी भाषा का सीखना अनिवार्य होना चाहिये। जिस तरह से आज अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया है उसी तरह से दक्षिण की भाषा को सीखना अनिवार्य होना चाहिये क्योंकि दक्षिणी भाषा तामिल आदि में बहुत रत्न पड़े हुये हैं यदि उन भाषाओं का पठन-पाठन दूसरे स्थानों में होगा तो राष्ट्र को हम एक दूसरे के निकट ला सकते हैं। किन्तु आज हम विदेशी भाषा के द्वारा आत्म वंचन करते हैं और आत्म विश्वास खो देते हैं।

आप जापान को देखें कि आज उसने कितनी प्रगति की है। उसने अपने शिक्षा शास्त्रियों को विदेशों में भेजा और वे लोग वहां जाकर वहां से भाषा को और वहां के ज्ञान को लाये और उन्होंने अपनी भाषा में लोगों को ज्ञान का आदान-प्रदान किया। यदि वे लोग अंग्रेजी को अपने स्कूलों, कालेजों में रखते तो शिक्षा तो फैल सकती थी, लेकिन वह ज्ञान नहीं फैला सकते थे। इसी तरह से वे इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। इस तरह से चीन में भी प्रगति की गई। बहुत दिनों की बात है जब माननीया विजय लक्ष्मी ने बतलाया था कि वहां जब वह गईं तो वहां पर लोग दुभाषिये के द्वारा बात करते थे। वह साहित्य वगैरह उसका जानते थे, लेकिन अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। इन तमाम चीजों को देखते हुये हम लोगों को इस बात पर आना है कि हमारे इस देश में किस तरह से एक भाषा हो। इसलिये गांधी जी के शब्दों में देश की एक भाषा होनी चाहिये जिसके जरिये हम देश में अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। इस सम्बन्ध में मैं अधिक न कह कर गांधी जी के कुछ शब्दों का उद्धरण आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। "बालकों पर विदेशी माध्यम का असर। मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आत्महत्या ही करते हैं। यह उन्हें अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करती है। विदेशी माध्यम से बालकों पर अनावश्यक जोर पड़ता है। वह उनकी सारी मौलिकता का नाश कर देता है। विदेशी माध्यम से उनका विकास रुक जाता है और वे अपने घर और परिवार से अलग पड़ जाते हैं। इसलिये मैं इस चीज को पहले दर्जे का राष्ट्रीय संकट मानता हूं"।

फिर उन्होंने यह कहा, "विदेशी शासन के अनेक दोषों में, देश के नौजवानों पर डाला गया विदेशी भाषा के माध्यम का घातक बोझ इतिहास में एक सब से बड़ा दोष माना जायगा।

[श्री रामजीसहाय]

इस माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति हर ली है, विद्यार्थियों की आयु घटा दी है, उन्हें आम लोगों से दूर कर दिया है और शिक्षण को बिना कारण खर्चीला बना दिया है। अगर यह प्रक्रिया अब भी जारी रही, तो जान पड़ता है यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर देगी। इसलिये शिक्षित भारतीय जितनी जल्दी विदेशी माध्यम के भयंकर वशीकरण से निकल जायं, उतना ही उनका और जनता का लाभ होगा।"

गांधी जी अंग्रेजी भाषा के अच्छे ड्राफ्ट्समैन थे और उनका इस भाषा पर बड़ा अधिकार था। कांग्रेस के शुरू के दिनों में उनको ही इसका पूरा और अच्छा ज्ञान था कि कहां और कितना क्या कहना चाहिये। उस पर उनको बड़ा कमांड था, किन्तु अपने पूरे जीवन के अनुभव के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे देश में एक ऐसी भाषा आनी चाहिये कि जो हमारे रा ट्र को आगे बढ़ावे। इस सम्बन्ध में जो विचार मैंने व्यक्त किये उनको सामने रखते हुये, मैं कहना चाहता हूं कि अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी तो कौरवी भाषा है। जो भाषा कुरुक्षेत्र के आस-पास बोली जाती है, उसको हम उर्दू कहें, हिन्दुस्तानी कहें या हिन्दी कहें, मैं समझता हूं कि उसे हमको हिन्दुस्तानी कहना चाहिये, वह है और उसे आज हम हिन्दी के रूप में जानते हैं। उसको अपना कर इस तरह से हम अपने देश को शक्तिशाली बनायेंगे और हमारी भाषा की कंगाली जो बनी हुई है वह मिट जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस से पूर्व कि कुछ कहूं, अपने साथी माननीय रामसिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया। यूं तो अंग्रेज भारतवर्ष से सन् १९४७ में ही चले गये थे और उन के चले जाने के बाद उनके साथ ही इस अंग्रेजी भाषा को भी चला जाना चाहिये था, परन्तु हमारे देश के नेताओं ने मान्यवर, इसे उचित समझा कि इस अंग्रेजी को अगले १५ साल के लिये और रखा जाय और जब संविधान बना सन् ५० में तो उसमें इसके लिये १५ वर्ष की मियाद रखी कि इस परिवर्तन काल में हम को आवश्यकता है कि हम अंग्रेजी को यहां बनी रहने दें और इस १५ साल की अवधि में अपने देश में नागरी भाषा और नागरी लिपि इस दर्जे तक उन्नति करे कि जब हमें अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आज हम को आजाद हुये ११ साल बीत चुके हैं। हमारी आजादी का यह १२ वां वर्ष चल रहा है। हमें आज यह देखना है कि हमारी आज स्थिति क्या है, हम १२ सालों में कितना आगे बढ़े हैं और कितना हमने अंग्रेजी के प्रयोग को छोड़ा है और अंग्रेजी गुलामी की जो भावना है उससे कितने भाई अपने को मुक्त कर सके हैं। आज हमारे देश में बेकारी और भुखमरी अपना शासन किये हुये हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद जो प्रभाव अंग्रेजी भाषा का रह गया है उसका यह परिणाम है। ज्यों-ज्यों अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हम मुक्त होते चले जावेंगे त्यों-त्यों हमारे देश की भुखमरी और बेकारी दूर होती चली जायगी और हमारा देश उत्तरोत्तर उन्नतिशील होता चला जावेगा।

आज आमतौर पर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अनुशासनहीन बतलाये जाते हैं। मैं अंग्रेजी भाषा को इसका भी कारण मानता हूं और इसलिये भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो माननीय रामसिंह जी ने पेश किया है। यदि हम अपने नवयुवकों में से अनुशासनहीनता को दूर करना चाहते हैं तो हमें इस अंग्रेजी भाषा के प्रेम को जल्दी से जल्दी तिलांजलि देने की आवश्यकता है। हमारे विश्वविद्यालयों में ६५ फीसदी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होती है। जो उत्तीर्ण होते भी हैं उनमें से ५० फीसदी तीसरी श्रेणी में पास होते हैं। प्रथम और द्वितीय डिवीजन के विद्यार्थी, जिनकी हमारे देश को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण कार्यों में सहायता देने तथा उनको उन्नत बनाने के लिये जरूरत है, आज भी आवश्यकतानुसार नहीं मिलते हैं। आज १२ वर्ष की आजादी के बाद भी कोई तरक्की इनकी संख्या में नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इसका भी कारण अंग्रेजी भाषा ही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि १२ वर्ष की आयु से कम के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन-पाठन समाप्त कर दिया जाय। मैं समझता

हूं कि हमारी राष्ट्र भाषा की गोद में जो विद्यार्थी पोषण पावेंगे वे उन भावों से ओतप्रोत निकलेंगे जो राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सरकार को सहयोग दे सकेंगे। आज का नवयुवक समाज में अपनी जगह पाने पर भी भ्रष्टाचार और अनेक बुराइयों का शिकार रहता है और वह हमारी स्वाधीनता के लिये एक प्रकार का कलंक बन जाता है। इसे भी मैं अंग्रेजी भाषा का ही परिणाम मानता हूं।

हमारे एक नवयुवक साथी, श्री प्रतापसिंह जी ने संविधान का उद्धरण देते हुये इस प्रस्ताव पर आपत्ति की थी। उन्होंने संविधान की धारा ३४३ का उद्धरण दिया। संविधान की धारा ३४३ इस प्रकार है कि संघ की राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसी धारा के दूसरे खंड में है कि "खंड १ में किसी बात के होते हुये भी इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि के लिये संघ उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा। जिनके लिये संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी"। श्रीमन्, इस प्रस्ताव के द्वारा हम संविधान की किसी धारा की अवहेलना या उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि १२ वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा हमारी राष्ट्र भाषा में ही दी जाय। अभी १५ वर्ष पूरे होने में ७ वर्ष बाकी हैं और १२ वर्ष का विद्यार्थी ७ वर्ष बीतने पर १९ वर्ष का होगा। वह १९ वर्ष की अवस्था में अगर विद्या प्राप्त करता होगा या छोड़ चुका होगा, तो वह समाज और देश की सेवा के लिये अथवा किसी विभागीय सेवा के लिये अपने आपको प्रस्तुत करेगा। उस समय संविधान की धारा और प्रतिबन्ध समाप्त हो चुके होंगे। इसलिये मैं माननीय प्रतापसिंह जी से मतभेद रखता हूं कि उन्होंने यह आपत्ति संविधान की धाराओं के चक्कर में पड़कर ही की है और इसे भी मैं अंग्रेजी भाषा का ही प्रभाव मानता हूं जो उनके चित्त पर से दूर नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे नवयुवक तैयार हों जो संविधान की धाराओं के चक्कर में न पड़कर, उनसे बाहर निकल कर, तूफान का मुकाबिला करना सीखें। उनके अन्दर ऐसी प्रतिभा हो कि वे कानून के चक्कर में न पड़े रहकर देश को नया रास्ता दिखावें जिससे देश ज्यादा तेजी के साथ आजादी को सुरक्षित रखने में ज्यादा मजबूत हो सके।

मैं जोरों के साथ कहना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना है तो उसकी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक आजादी का खो जाना उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि उसकी भाषा को नष्ट करना होता है। अंग्रेजी शासन ने जो हमारे साथ सबसे बड़ी बुराई की है वह यह है कि उन्होंने हमारी राष्ट्र भाषा को नष्ट करने का प्रयत्न किया। २०० वर्ष के अंग्रेजी शासन में लार्ड मेकाले के अनुसार यहां पर उन गुलामों की जरूरत थी जो सरकारी कर्मचारी बनकर अंग्रेजी शासन की जड़ को मजबूत करें और साथ में ऐसा मनोविज्ञान देश के नौजवानों में पैदा करें जो अंग्रेजी शासन से सन्तुष्ट रहकर अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा की प्रभुता का गान करते रहें। उसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के ११ वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हमारे नौजवानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के उनकी गुजर नहीं हो सकती और अंग्रेजी छोड़ देने से संसार के बाजार में उनकी कद्र या कीमत घट जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज से २०० वर्ष पहले जब इस भारत ने सूरदास और तुलसीदास जैसे कवि पैदा किये थे, जिनकी बराबरी पर संसार का कोई समकालीन कवि नहीं पहुंच सका है, तब अंग्रेजी भाषा हमारे देश में कहां थी? आज संसार में हमें अंग्रेजी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि हमें अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिये अपनी राष्ट्र भाषा का प्रचार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

इस प्रस्ताव के विवाद के बीच में बोलते हुये हमारे माननीय मित्र कैलाशप्रकाश जी ने कहा कि अंग्रेजी कम्पलसरी नहीं है। मैं सिलेबस की बात बताना चाहता हूं। सिलेबस में लिखा है:—

First two years course classes 9th and 10th—3 compulsory subjects in all groups.

नवें और दसवें में अनिवार्य विषय कम से कम तीन होंगे:

(1) Hindi with Sanskrit, (2) a modern Indian language other than Hindi as given in VIII Schedule of the Indian Constitution

[श्री देवनारायण भारतीय]

or a modern European language, English, French or German, (3) Mathematics.

मैं मान्यवर, इस बारे में बताना चाहता हूं। सिलेबस के अनुसार हमारी दूसरी भाषाओं में से किसी अन्य भाषा का अथवा अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन में से किसी भाषा का होना अनिवार्य: आवश्यक है। मान्यवर, मैं कैलाशप्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज हमारे प्रदेश में किसी भी विद्यार्थी को मराठी, गुजराती या बंगाली पढ़ने का प्रबंध है ? क्या सरकार ने स्कूलों में ऐसे अध्यापक नियुक्त किये हैं जो ऐसे विषयों को पढ़ा सकें या उन स्कूलों में ऐसा कोई प्रबंध है कि वे फ्रेंच, जर्मन या दूसरी कोई भाषा पढ़ सकें ? मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी मजबूर होते हैं हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिये। उनके लिये इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता है। यों कागज पर लिखने के लिये आप चाहे जो कुछ लिख दें जिये कि किसी भी दूसरी भाषा को विद्यार्थी पढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने जिस सुन्दरता से इस बात को रखा है उतनी सुन्दरता से उस पर अमल करने की सुविधा नहीं दी है। अमल तो यह होता है कि आज छोटे छोटे बच्चों को हमारे प्रान्त में, उस प्रान्त में जो मुख्य रूप से राष्ट्र भाषा हिन्दी का एक मुख्य केन्द्र है, बालक और बालिकाओं को अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है। उस भाषा को पढ़ने का परिणाम यह होता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडियट पास करके वे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान अपरिपक्व होता है और वे न तो हिन्दी ही सीख पाते हैं और न अंग्रेजी ही सीख पाते हैं और उसका परिणाम यही होता है कि वे अयोग्य साबित होते हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार का उद्धरण मैं सिलेबस से इंटरमीडियट के बारे में भी दे देना चाहता हूं। जहां हाईस्कूल के लिये ३ विषय अनिवार्य रखे गये हैं, यहां केवल दो विषय ही अनिवार्य रह जाते हैं। उन दो में से हिन्दी और संस्कृत है और दूसरे में वही " माडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, इंगलिश, फ्रेंच, जरमन और रशियन" रखा गया है। मैं श्रीमन्, अब यह कहना चाहता हूं कि चाहे इंटरमीडियट में, चाहे हाईस्कूल में, कहीं पर भी, जैसा कि माननीय कैलाशप्रकाश जी ने कहा, वैसी बात नहीं है कि अंग्रेजी आप्शनल हो, वह तो अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है और हमारे विद्यार्थियों के लिये और कोई दूसरा उपाय रह नहीं जाता है सिवाय इसके कि वे अंग्रेजी का अध्ययन करें।

श्रीमन्, आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिये कि जिससे हमारे देश और राष्ट्र का निर्माण हो सके। आज हमारे सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, भुखमरी और खाद्य समस्या दोनों ने मिलकर एक ऐसा भयंकर रूप हमारे सामने धारण कर लिया है कि कोई नहीं कह सकता कि आगे जाकर यह समस्या कौन-सा भयंकर रूप धारण कर ले। ऐसे भयंकर समय में हमारी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य रामसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं आशा करता हूं कि सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। यह प्रस्ताव केवल इसी विचार से रखा गया है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण ठीक ढंग से हो और विद्यार्थियों की जो कम योग्यता अधूरी रह जाती है वह पूरी हो सके। नौजवान प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में मारे-मारे फिरते हैं और आज हमें इंजीनियरों और डाक्टरों की जरूरत है, लेकिन हमारे नये और पुराने विश्वविद्यालयों से बी० ए० और एम० ए० ही होकर निकल रहे हैं। इस काम में हमें विश्वविद्यालयों से कोई सहायता नहीं मिल रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष--तो आप बीच में इंटरवीन करना चाहते हैं।

*श्री कैलाशप्रकाश--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज्ञा दी कि कुछ स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो यहां विचार व्यक्त किये गये हैं, और प्रस्ताव के समर्थक चाहे इस ओर के हों, चाहे उस ओर के हों, उनके भाषणों को सुना और इस लिये मुझे यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि मैं माननीय सदन का समय बचाने के लिये कुछ स्थिति को स्पष्ट कर दूं। प्रस्ताव का आशय यह है कि १२ वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिये अंग्रेजी पढ़ना बन्द कर दी जाय। न इसे अनिवार्य रूप से पढ़ाने की आवश्यकता है और न वैकल्पिक रूप से। श्रीमन्, मेरे खयाल में माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ वर्ग हैं। पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक जिसको कि हम प्राथमिक कक्षा कहते हैं, और जिसमें समझा जाता है कि ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों को वह शिक्षा दी जाती है जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है उसमें किसी रूप में भी अंग्रेजी का समावेश नहीं है, न वह अनिवार्य रूप में है और न वैकल्पिक रूप में है। अलावा इसके कि कुछ एंग्लो-इंडियन स्कूल्स हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा शुरू से पढ़ाई जाती है। इसलिये जहां तक प्रस्ताव का आशय है, इन एंग्लो-इंडियन स्कूल्स को छोड़ कर तो वह प्रस्ताव आज भी कार्यान्वित है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब प्रश्न एक यह रह जाता है कि जो ये एंग्लो-इंडियन स्कूल्स हैं, इनमें भी अंग्रेजी की पढ़ाई रोक दी जाय और कोई भी बच्चा उनमें न पढ़ सके। प्रस्तावक महोदय ने स्वयं इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वे तो अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है वे अंग्रेजी न पढ़ सकें। तो प्रश्न केवल इतना रह जाता है कि इन एंग्लो इंडियन स्कूल्स के अन्तर्गत जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, उनके लिये भी अंग्रेजी पढ़ना बन्द कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे यहां प्राथमिक स्कूलों की संख्या ३३,३१९ है जिनमें २९,१४,००० और कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें तो किसी रूप में भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। और एंग्लो इंडियन स्कूलों की संख्या केवल ४९ है जिनमें केवल ९,००० विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन ९,००० विद्यार्थियों में भी वे विद्यार्थी अवश्य सम्मिलित हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, इसलिये उन पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। प्रभाव उन पर पड़ता है जो ९,००० विद्यार्थियों में ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है और उनको भी उस स्कूल में जाकर अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। श्रीमन्, यह भी कोई अनिवार्य नहीं है। यह किसी भी अभिभावक के ऊपर है कि वह अपने बच्चे को इन स्कूलों में भेजे या न भेजे। अगर वह चाहे तो अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेज सकता है। किसी को अगर अंग्रेजी की पढ़ाई से चिढ़ है जैसा कि हमारे कुछ दोस्त महसूस कर रहे हैं तो इन स्कूलों में अपने बच्चे को भेजना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी जगह बहुत से स्कूल खुले हुये हैं, जहां इस तरह की सुविधा है, वहां वे अपने बच्चे को भेज सकते हैं। इसलिये इस प्रस्ताव का असर उनके ऊपर नहीं पड़ सकता है।

यहां पर मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ये जो एंग्लो-इंडियन स्कूल्स हैं, इनको यदि हम बन्द भी करना चाहें तो संविधान के अन्तर्गत उनको नहीं बन्द कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा ३० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, संविधान की धारा ३० का पहला खंड यह है :—

"All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish or administer educational institutions of their choice."

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। इसके लिये मुझे विरोध नहीं है और उसके कोट करने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--वह कहते हैं कि एंग्लो इंडियन स्कूलों के लिये वे नहीं चाहते हैं। उसके बारे में तो उनके प्रस्ताव में व्यवस्था है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश - -अगर ऐंग्लो इंडियन स्कूलों के लिये वे नहीं करना चाहते तो जहां तक प्राइमरी स्कूलों का सम्बन्ध है वहां तो ११ वर्ष तक के लिये यह प्रस्ताव लागू हो गया, क्योंकि वहां उसको कोई संख्या ही नहीं, न वैकल्पिक रूप से और न अनिवार्य रूप में ही।

अब थोड़ा-सा प्रश्न यह रह जाता है कि मेरे मित्र ने जो आयु का प्रश्न उपस्थित किया है कि १२ वर्ष की आयु तक यह किया जाय, हम समझते हैं कि ११ वर्ष के बाद १२ वें वर्ष का मंशा ६वीं कक्षा से है। श्रीमन्, इसमें स्थिति यह है कि ७ वें और ८ वें क्लास में बच्चे को हिन्दी तो अनिवार्य रूप में पढ़ना ही है और उसके साथ कुछ थोड़ा-सा संस्कृत भी होती है। जो संस्कृति की बात कही गयी, उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं जब उत्तर देने का अवसर आयेगा तब उन बातों के सम्बन्ध में कहूंगा, इस समय तो केवल जो कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये हैं उनको स्पष्ट कर दूं इस पृष्ठ भूमि में ही मैं कुछ बातें बतला रहा हूं। हिन्दी के अतिरिक्त उसमें यह कहा गया है कि एक विषय और लेना पड़ेगा। उस विषय में अंग्रेजी ले सकते हैं या हमारे देश की अन्य भाषाओं में से ले सकते हैं जो भाषायें संविधान में दी हुई हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) - -पढ़ाने की कोई व्यवस्था हो तब न ?

श्री कैलाश प्रकाश - -आप हमें अगर समय देंगे तो हम उसको स्पष्ट कर देंगे। अभी तो मैं केवल जिस पृष्ठ भूमि में कुछ बातें कही गयी हैं उनको स्पष्ट कर रहा हूं जिससे सदन का समय बच सके।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) - -आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह जो संकल्प है उस पर २५ मिनट से ज्यादा मिनिस्टर कंसर्न्ड नहीं बोल पायेंगे। मंत्री महोदय बार-बार यह कह रहे हैं कि हम बाद में स्पष्टीकरण देंगे जैसे वे यह समझते हैं कि इस समय के अलावा २५ मिनट उन्हें बाद में और मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष - -प्रस्तावक के लिये आप क्या कहते हैं ?

श्री राजनारायण - -उसको राइट होगा। नियमावली आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष - -आप उनको अभी बोलने दीजिये।

श्री राजनारायण - -मैं तो यह इसलिये कह रहा हूं कि कहीं उनको यह भ्रम न हो कि बाद में २५ मिनट फिर मिलेंगे क्योंकि मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि अभी तो वैसे स्पष्टीकरण दे रहा हूं और बाद में बोलने का जब अवसर मिलेगा तब और बातें बतलावेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश - -श्रीमन्, इधर तो भ्रम कम ही हुआ करता है।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि वह एक दूसरा विषय ले सकता है। उन भाषाओं में से, जो संविधान में दी हुई हैं, एक ले सकता है। एक क्लासिकल्स में ले सकता है, म्यूजिक ले सकता है, कामर्स ले सकता है। इसलिये ६वीं क्लास में वह कम्पलसरी नहीं है।

अब प्रश्न वैकल्पिक का आता है। हां, वैकल्पिक रखा है उसके लिये कि अगर वह ६वें क्लास में प्रवेश कर तो वह चाहे तो अंग्रेजी पढ़ ले। हमारे यहां, जैसा मैंने निवेदन किया कि ६वें, ७वें और ८वें का एक ग्रूप है। प्रस्तावक महोदय ने यह प्रस्ताव किया है कि ७वीं क्लास में तो जाकर उसे अंग्रेजी पढ़ने का अवसर होना चाहिये, लेकिन ६वीं क्लास में उससे जबरन कह दिया जाय कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। श्रीमन्, यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न है और उस प्रश्न में मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता कि किस आयु के बच्चे को दूसरी भाषा की तालीम देनी चाहिये, लेकिन प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहा है कि १२वें वर्ष के बाद १३वें वर्ष में प्रवेश करने पर ७वीं कक्षा में जब वह चला जाय तो अंग्रेजी वह पढ़ सकता है। इसमें उन्हें एतराज नहीं है।

जहां तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आदि की बातें उठायी गयी हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वे प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। लेकिन जो मैंने बतायी है वह वास्तविक स्थिति ६वें क्लास के बारे में है। इस स्थिति के होते हुये मैं यही

समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं देखेंगे कि इस प्रस्ताव में इस बात की गुञ्जाइश नहीं है। मैं केवल यही प्रार्थना करूंगा कि जो विचार-विनिमय हो वह विचार-विनिमय इस पृष्ठ-भूमि को सामने रख कर हो क्योंकि मैं यह देखता हूं कि यहां पर अंग्रेजी वरसेज हिन्दी का सवाल हो गया है। क्योंकि अंग्रेजी तालीम कैसी होनी चाहिए इसकी बिल्कुल मंशा प्रस्ताव में नहीं है। इसलिये, श्रीमन्, आवश्यक हुआ कि मैं थोड़ा-सा इस चीज का स्पष्टीकरण कर दूं। मैं इसके लिये आपका बड़ा आभारी हूं।

श्री राम सिंह चौहान वैद्य--मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने मांटेसरी स्कूल हैं और उनमें से कितनों को सरकार सहायता दे रही है तथा उनकी मातृभाषा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष--इसका वे आप को अन्त में जवाब दे देंगे।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से दोनों तरफ से जो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा गया है उसे सुना है। उसे सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रस्तावक महोदय में और मंत्री महोदय में कोई विशेष विभिन्नता नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव में जो चीज मांगी गयी है वह पहले से चल रही है। तो मैं कुछ कहने से पहले माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब वह पहले से आपके यहां चल रही है तो आप इस संकल्प को मान लें।

श्री कैलाश प्रकाश--मैंने तो यह कहा कि पांचवें क्लास तक चल रही है और छठे दर्जे में जब बच्चा चला जाता है तो वह १२ वर्ष की आयु में आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--एक वर्ष का झगड़ा है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--मैं इस प्रस्ताव का मन्यतव्य जो समझ सका वह यह है कि इस प्रस्ताव के जरिये से हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हम गुलामी की जंजीर को जो आज तक हमारे पैरों में पड़ी हुई है उसे तोड़ फेकना चाहते हैं। क्योंकि प्रस्ताव यह कहता है कि १२ वर्ष से पहले हमारे यहां अंग्रेजी न पढ़ायी जाय और मंत्री जी यह मानते हैं कि हमारे यहां १२ वर्ष से पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ायी जाती है तो विवाद का कोई विशेष प्रश्न नहीं रह जाता है। विवाद का प्रश्न तो यही रह जाता है कि वास्तव में अंग्रेजी पढ़ने से हमारा लाभ है या नहीं। इसको देखने के लिये, श्रीमन्, कि अंग्रेजी की पढ़ाई से हमारे यहां लाभ है या नहीं, हमें यह देखना होगा कि कब से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हुई और क्यों शुरू की गयी? अंग्रेजों ने जब भारतवर्ष पर कब्जा किया, भारतवर्ष को गुलाम बनाया तो उनके सामने 'भारतीयता' एक बड़ी भारी अड़चन के रूप में आ पड़ी। उन्होंने सोचा कि भारतीयता को किस प्रकार से खत्म किया जाय। ज्यादा हो-हल्ला न मचे और अपना काम भी निकल जाय। उसके लिये सबसे आसान तरीका जो उन्हें मालूम पड़ा वह यह कि इनकी भाषा को इनसे भुलवा दो ताकि वे अपने पूर्वजों की चीजों को न पढ़ सकें और न यह समझ सकें कि हम क्या थे। जैसा उस शेर के बच्चे को मालूम पड़ा जो कि भेड़ों ने पाला था और वह भी अपने को भेड़ समझने लगा था। ठीक उसी प्रकार से भारतीयों को अपनी चीजें भुला देने के लिये अंग्रेजी शिक्षा का प्रलोभन दिया गया। वह प्रलोभन यह दिया गया कि राज्य अंग्रेजों के हाथ में था, राजकीय नौकरियां उनके हाथ में थीं अतः कुछ जो राजकीय नौकरियों के लिये लालायित थे तथा कुछ राजकीय कार्यों में अपना भी हाथ रहे इसलिये अनेक भारतीयों ने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और इस तरह से अंग्रेजी का प्रचार तथा प्रसार भारतवर्ष में हुआ।

अब यह देखा जाय कि अंग्रेजी भाषा हमें क्या सिखाती है? तो हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारी भाषा उससे उत्कृष्ट है या उससे न्यून है। अगर देखा जाय श्रीमन्, तो आज भी अंग्रेजी भाषा अधकचरी है। उसमें जो लिखा जाता है ठीक वही नही पढ़ सकते। कर्नल

[कुंवर श्रीपालसिंह]

शब्द को लिखेंगे कालोनल और पढ़ेंगे कर्नल। पी यू टी पुट और बी यू टी बट। यानी इस किस्म की त्रुटियां उसमें अनेक हैं। वह भाषा अभी परिपक्व नहीं है। परिपक्व इसलिए नहीं है कि अंग्रेजों की सभ्यता भी अभी कितने दिनों की है, उंगलियों पर गिना जा सकता है। अभी मुश्किल से १ हजार या डेढ़हजार वर्ष तो उनको आग का पता लगाये हुए हुआ। इसके पहले वे जंगलों में फिरा करते थे। अभी भी उनका भोजन अधपका मांस है। लिवर यानी कलेजी के टुकड़े बना कर के उनके सामने रखे जायं तो सबसे उम्दा वही माना जायगा जिसमें काटते वक्त खून निकल आये। आज भी श्रीमन्, ऊपर से देखने में चमड़ी जरूर सफेद है, लेकिन रोजाना के जीवन में देखा ज य तो वह जबान तक नहीं छीलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह विषय अंग्रेजी का हो सकता है, अंग्रेजों का नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—अंग्रेजी अंग्रेजों से ही संबंधित है। आखिर अंग्रेजों से ही तो अंग्रेजी आयी।

तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जिन लोगों की अंग्रेजी भाषा है वह यदि अभी भी सभ्य नहीं हो पाये हैं तो उनकी भाषा से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि उससे हम उन्नति करेंगे।

आज आप देखें श्रीमन्, स्कूल्स, कालेजेज, यूनिवर्सिटीज आदि में जरा-जरा सी बातों के ऊपर झगड़ा होता है, आन्दोलन खड़ा हो जाता है, गालियां दी जाती हैं। जो पूज्य हैं उनको गालियां दी जाती हैं। यह क्या है? यह इसी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें गुरु का पद पिता और माता से भी ऊंचा हुआ करता था। बेशक, आचार्यों का पिता और माता से भी उनका स्थान ऊंचा इसलिए था कि पिता और माता तो केवल पुत्र को इस संसार में जन्म दे देते थे। मगर पैदा होने के बाद उस बच्चे को आदमी बनाने का काम आचार्य का हुआ करता था। यदि उसे आवश्यक शिक्षा-दीक्षा न होती तो वह आदमी न होकर जानवर की ही कोटि में रह जाता। श्रीमन्, अगर अपना प्राचीन इतिहास देखा जाय तो उसके मुकाबिले में अंग्रेजी के किसी भी अध्यापक को वह गौरव नहीं प्राप्त हो सकता है जो प्राचीन आचार्यों को प्राप्त था। कर्ण का किस्सा अगर लिया जाय श्रीमन् किस्सा नहीं इतिहास है, परशुराम जी से उन्होंने जिस वक्त शिक्षा ग्रहण की, परशुराम जी उनके जंघे पर सिर रख के सोये, वज्रकीट कीड़ा पृथ्वी से निकला, उनकी रान भेद कर निकल गया, मगर गुरु की निद्रा न भंग हो, इसलिए उन्होंने अपनी रान हिलाई तक नहीं। अर्जुन ने गुरु द्रोण से शिक्षा पाने के बाद अपने प्राणों की बाजी लगा कर युद्ध करके महाराज द्रुपद को बांध लिया और लाकर गुरु के चरणों में रख दिया। श्रीमन्, एक ऐसा ही प्रमाण और है। एक ऋषि थे जिनका अरुणी नामक शिष्य था। खेत में मेड़ कट गई थी। उसको बांधने के लिए गुरु ने भेजा। मिट्टी गीली थी। पानी रुक नहीं रहा था। इस कारण स्वयं वहां लेट कर उसने पानी को रोका।

एक सदस्य—इससे इसका सम्बन्ध क्या है?

कुंवर श्रीपाल सिंह—इससे सम्बन्ध यह है कि आचार्यों की इतनी बड़ी इज्जत थी उस जमाने में। आज के आचार्यों की इज्जत क्या है, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर देख लीजिए जिसकी बदौलत आपको अभी छितवापुर में गोली चलानी पड़ी है। जो अपने बुजुर्ग हैं, विद्वान् हैं उनकी बातों को न मानना ही इस अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। यही हमें सिखलाया जाता है अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा। तो श्रीमन्, दूसरी चीज जो है वह यह है कि जिस वक्त बच्चा पढ़ने जाता है अगर उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाय तो सब से पहले तो उसको अपने मां-बाप के नाम का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, यानी जहां से वह पैदा हुआ अपने घर की हर एक चीज को समझने के लिये उसे अंग्रेजी शब्दों को सीखना पड़ता है। उसमें उसका कितना समय व्यर्थ जाता है।

एक चीज और श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो वह अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव में भी है। तो मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी अपनी स्पीच में मातृभाषा का स्पष्टीकरण कर देंगे कि मातृभाषा है कौन-सी? जो माता के जरिये बोली जाती है वह, या जो देश की भाषा हो वह है मातृभाषा? इसमें जो डिफरेंस हो उसे बतलाने की कृपा करेंगे क्योंकि जहां तक आम तौर से समझा जाता है मातृभाषा के माने अपने देश की ही भाषा को लोग समझते हैं। अगर माता वाली भाषा को ही मातृभाषा माना जाय तब तो कुछ की मातृभाषा अंग्रेजी हो सकती है और यदि देश की भाषा ही मातृभाषा है तो हिन्दुस्तान में किसी की भी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती।

श्रीमन्, अंग्रेजी भाषा ने ही हमको यह बतलाया कि हम बन्दरों की औलाद हैं। अंग्रेजी भाषा ने हमें यह बताया कि छत्रपति शिवा जी, तांतिया टोपे डाकू थे। अंग्रेजी भाषा ने ही हमें यह बतलाया कि महाराणा प्रताप देशद्रोही थे। अंग्रेजी भाषा तो इस देश में इसीलिये आयी थी कि हमें बरगला दे, हमें अपने पथ से भ्रष्ट कर दे, हममें देशभक्ति का लेशमात्र भी न रहने दे। इसीलिये अंग्रेजी भाषा पढ़ायी जाती थी। मगर आज भी अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर लादी जा रही है। आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजी का भूत क्यों सवार है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जब कि हमें आजाद हुए १० वर्ष से अधिक हो चुके, दुनिया के सामने हमारी एक अलग नेशनैलिटी है और हम इस बात पर भी गर्व करते हैं कि संसार की इनी-गिनी बड़ी शक्तियों में से हम भी एक हैं, ऐसी परिस्थिति में दूसरे की भाषा के ऊपर डिपेंड करना, क्या है हमारी समझ में इसके लिये वही एक शब्द प्रयुक्त होता है जो संसद में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने इस्तेमाल किया था कि यह गुलामाना जहनियत है।

श्रीमन्, जब तक अंग्रेज मौजूद थे तब तक हम पोलिटिकली गुलाम थे, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद तो अंग्रेजी ने हमारी बुद्धि और आत्मा को भी गुलाम कर दिया। बड़े अफसोस की बात है कि आज इतना सुन्दर प्रस्ताव आने पर भी, जिसके जरिये से इस दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हम वास्तविक आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका भी विरोध किया जाता है और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो चीज मांगी जा रही है वह हमारे यहां प्रचलित है, लेकिन फिर भी उसका विरोध होता है, इससे अधिक दुःख की बात हो ही क्या सकती है।

अन्त में मैं माननीय राम सिंह चौहान जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने जो अभी-अभी बात कही कि प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं कही गई है वही बात कही गई है जो प्रचलित है, तो वह कृपा कर इसको मान लें।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय रामसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध का जो मुख्य कारण है वह यह है कि उन्होंने यह बताया कि अंग्रेजी शिक्षा इसलिये खत्म होनी चाहिये क्योंकि इससे इनडिसिप्लिन पैदा होती है। मैं समझता हूं कि शायद यह दलील ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि यह बात नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा से अनुशासनहीनता आई है। अंग्रेजी भाषा उस देश की भाषा है जिन लोगों में डिसिप्लिन की कमी नहीं कही जा सकती बल्कि दुनिया के सभ्य देशों, सब से ज्यादा सभ्य जातियों में अंग्रेजों की गिनती है, उन्होंने ही डेमोक्रेसी जैसी चीज संसार को दी है। उनकी भाषा से इनडिसिप्लिन आयेगी ऐसा मैं नहीं समझता। मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है कि उससे इनडिसिप्लिन पैदा नहीं हो सकती।

यह बात कही गई कि अंग्रेजी को यहां पर लार्ड मेकाले ने इसीलिये इम्पोज किया क्योंकि यहां पर क्लर्कों की जरूरत थी, लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे यह न भूलें कि अंग्रेज यहां चाहे जिस खयाल से भी अंग्रेजी लाये हों परन्तु उसके पढ़ने के बाद यहां पर उसका उल्टा ही प्रभाव हुआ और उसके पढ़ने से यहां के लोगों में स्वतन्त्रता की भावना पैदा हुई। अंग्रेजी भाषा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बीरसेन]

बारे में तो यह बात मशहूर है और सारा संसार इस बात को जानता है कि अंग्रेजी भाषा एक लिबर्टी और फ्रीडम की भाषा है। अंग्रेजों का अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का इरादा कुछ भी रहा हो परन्तु अंग्रेजी पढ़ने से जो आजादी की भावना सोई हुई थी, जो खत्म हो चुकी थी, वह फिर जागृत हुई। अगर आप अंग्रेजी के साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका सारा लिटरेचर लिबर्टी और फ्रीडम का लिटरेचर है। चाहे आप जोन मिल्टन का 'एरियोपेजीटिया' पढ़ें या स्टुअर्ट मिल का 'लिबर्टी' पढ़ें, यह ऐसे पेम्फलेट हैं जिनको पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि उनका लिटरेचर क्या सिखाता है। मैं यह कह सकता हूं कि इन चीजों के पढ़ने के बाद ही हमारे यहां के विद्वानों में आजादी की भावना आई। आप गौर करें कि जिन लोगों ने इस देश में आरम्भ में आजादी का झंडा उठाया वह कौन लोग थे? मैं समझता हूं कि यह वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा पाकर आजादी की कीमत को समझा था।

यहां यह दलील दी गई कि अंग्रेजी शिक्षा लादने पर विद्यार्थियों पर ज्यादा बोझ हो जाता है और १२ साल तक उन्हें इस भार से मुक्त रखा जाय और इस तरह से होता यह है कि वह न हिन्दी सीख पाते हैं और न अंग्रेजी ही सीख पाते हैं। मेरा खयाल इससे जुदा है, मैं समझता हूं कि ऐसा खयाल गलत है। असल में छोटी उम्र ही ऐसी उम्र है कि जब बच्चे आसानी से हर भाषा सीख सकते हैं। मिसाल के लिये जो फारेनर्स यहां आते हैं और उनके घर में जो इस देश के नौकर, आया वगैरह रहती हैं उनके द्वारा वह बच्चे बड़ी आसानी से यहां की भाषा सीख जाते हैं और उनके बोलने से मालूम होता है कि वह हिन्दी और अंग्रेजी बराबर बोलते हैं, उनके लिये हिन्दी फारेन भाषा होते हुये भी कोई फर्क नहीं मालूम होता। लेकिन जो लोग अधिक उम्र में यहां आते हैं वह हिन्दी आसानी से नहीं सीख पाते और नहीं बोल पाते इससे जाहिर है कि छोटी उम्र ही ऐसा समय है कि कोई भी भाषा अच्छी तरह से सिखाई जा सकती है। इसलिये १२ साल से नीचे के बच्चों को किसी भाषा के सीखने से वंचित करना उचित नहीं है।

एक बात मैं और कहूंगा कि डायरेक्ट मेथड से अंग्रेजी पढ़ाने में बहुत असानी होती है और बोझ बच्चों पर नहीं पड़ता। यह जो कहा जाता है कि अंग्रेजी पढ़ने से इनडिसिप्लिन होती है उसका कारण यही है कि हमारा जो टीचिंग सिस्टम है वह खराब है और बहुत हद तक हमारे यहां के जो फेमिली एनवायरनमेंट्स हैं वह भी जिम्मेदार हैं। जो चीजें बच्चों को घर में ही अपने पेरेन्ट्स से बोलचाल में सीख लेनी चाहिये वह नहीं सीख पाते, वह यहां ज्यादातर रोटी-रोजी कमाने के कामों में व्यस्त होने के कारण बच्चों को नहीं देख पाते और सारा समय उनका उसी में लग जाता है और उनकी तरफ वह ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकते। अध्यापक लोग भी उतना गौर नहीं कर सकते हैं। दोनों चीजें मिल कर—फैमिली के सरकमस्टेंसेज और फेमिली की एकोनोमिक हालत—और साथ ही स्कूलों के टीचर्स के सामने विद्यार्थियों की तादाद बढ़ जाने से विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही दो-तीन फैक्टर्स हैं जिनसे इनडिस्सिप्लिन पैदा हुआ। अंग्रेजी का तो इनडिप्सिप्लिन से कहीं दूर का भी ताल्लुक नहीं है।

यह कहा गया कि अंग्रेजी ने यह सिखाया कि शिवा जी चोर और लुटेरा था। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो हिन्दी की किताबों से भी पढ़ाया जा सकता था और बहुत-सी हिन्दी की किताबों में बहुत से लोगों ने पढ़ा है।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगा कि अंग्रेजी का बहिष्कार करने का खयाल एक ऐसा खयाल है जो कि हिस्ट्री की करेंट के खिलाफ है। आप देखेंगे कि दुनिया नजदीक आती जा रही है, पास आती जा रही है और हम लोग एक-दूसरे के मुल्क के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अब तो एक-दूसरे की भाषा को लोग जानना चाहते हैं और उनके जानने से आदमी नजदीक आता है। तो अंग्रेजी का बहिष्कार करके हम उस हिस्ट्री की करेंट के खिलाफ

चले जायंगे। आज यह खयाल लोगों के दिलों में पैदा होता जा रहा है कि "वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट" तो इस तरीके से अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं का वहिष्कार करके हम वर्ल्ड हिस्ट्री की करेंट के खिलाफ चले जायंगे।

तीसरी बात यह है कि हिन्दी की जो लोग प्रगति चाहते हैं वह दो-एक बातें भूल जाते हैं। एक तो यह कि कोई भाषा किसी सेग्रिगेशन से तरक्की नहीं कर सकती। भाषा को बन्द करने से और सीमित करने से उसकी तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी भाषाओं के सम्पर्क में आकर ही कोई भाषा तरक्की कर सकती है। इसी के साथ एक चीज का और खयाल करना चाहिए कि जब हम हिन्दी के बारे में ऐसी आवाज उठाते हैं तो उसका साइकालोजिकल रिऐक्शन क्या होता है? साउथ में अंग्रेजी का पक्ष करने वाले बहुत से लोग हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जितना ही हम उत्तर भारत के लोग हिन्दी के बारे में ज्यादा बोलते हैं तो उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया वहां होती है। इस बात का वह लोग खयाल नहीं रखते जो हिन्दी के बारे में ज्यादा जोर देने वाले हैं कि उससे कैसी प्रतिक्रिया होती है और फिसिपेरस टेंडेंसीज प्रबल होती हैं, विभाजन की भावना उत्पन्न होती है जो कि देश के लिए घातक सिद्ध होगी। तो इसके बारे में प्रेक्टिकल कंसीडरेशन भी हमें करना चाहिए।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—देखिये साहब, यहां की भाषा हिन्दी है। विधान सभा में हिन्दी भाषा में सब लोग बोलें। वह अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें। मैं अपना काम जानता हूं। (श्री वीरसेन से) आप बोलिये।

श्री वीरसेन—यह हमको देखना चाहिए कि कितने अभिभावक और पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते। अगर हम यह देखें तो चाहे गुलाम जहनियत कहिये या आगे बढ़ने की कोशिश कहिये, लेकिन यह जरूर है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे देशों की भाषाओं को सीखें और ऐसे अभिभावकों की तादाद बहुत कम मिलेगी जो अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते। तो मेरा खयाल है कि यह गलत होगा और कांस्टीट्यूशन के खिलाफ होगा कि हम उन लोगों के लिए रास्ता बन्द कर दें जो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं।

तीसरी चीज यह है, यह जाहिर है कि अभी हिन्दी भाषा में ज्ञान का भंडार इतना नहीं है। वह धीरे-धीरे डेवलप कर रही है। जो विविध विषय हैं, ऐकेडेमिक चीजें हैं, लिटरेरी चीजें हैं उन पर हिन्दी में किताबें ही नहीं हैं। अगर ऐसे समय में पढ़ाई बन्द कर दी जाय तो हम ज्ञान के भंडार के द्वार को ही बन्द कर देंगे, जो कि देश के लिए घातक होगा। जब तक हमारी भाषा का इतना विकास न हो जाय, जब तक सब पुस्तकें हिन्दी में न मिल जायं तब तक अंग्रेजी का बहिष्कार करना नुकसानदेह होगा।

चौथी चीज यह है (विघ्न) संख्या आप लगा लीजिये कि जैसे-जैसे हमारे देश का दूसरे देशों से ताल्लुक है, ट्रेड और कामर्स का ताल्लुक है तो अंग्रेजी उसमें लिंगुआफ्रैंका है। इससे फारेन रिलेशन्स पर फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी का वहिष्कार करना देश के लिये घातक होगा और संविधान की दृष्टि से भी गलत होगा। इन सब बातों के कारण मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—श्रीमन्, रामसिंह जी का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी एक कांग्रेसी साथी ने कहा कि अंग्रेजी वह भाषा है जिससे भारतवासियों ने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा और जिसके कारण देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसी बात माननीय सदस्य की सुनकर मुझे दुख हुआ और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने गुलामी का इतिहास ही अपने मस्तक में रखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

है। उन्होंने शायद इस बात पर गौर नहीं किया है कि यह वह भारत है और हमारी भाषा वह भाषा है कि जब अंग्रेजों को बोलना तक न आता था और उन्हें तमीज और तौर-तरीके नहीं मालूम थे तो उस समय हमारे भारतवर्ष ने ही उनको शिक्षा दी थी और सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। हमारा भारत जगद्गुरु कहा जाता है। इसलिए श्रीमन्, यह कहना कि अंग्रेजी स्वतंत्रता की भाषा है और इसके कारण ही हम में प्रेरणा आई थी कि हम स्वतंत्र हों, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिन साथियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने को बलिदान कर दिया वे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ने के लिये इंगलैण्ड नहीं गये थे। महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया वे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे।

दूसरी बात यह कही गई है कि अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दक्षिण के लोग हैं। इसलिये जब यहां हिन्दी की बात उठती है तो वहां अंग्रेजी की बात उठती है। जहां तक दक्षिण का प्रश्न है वहां भारतीय भाषा का प्रश्न उठ सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अंग्रेजी के लिये प्रश्न उठाया जाय। जहां तक समर्थन का सम्बन्ध है तो देश में ऐसी चीज चली आई है कि समर्थन अच्छी और बुरी चीज सबका होता है। लेकिन देखना यह है कि किसी भाषा से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है? मान्यवर, मैं देखता हूं कि अंग्रेजी पढ़ने से हमारे बच्चों के मस्तक का विकास रुक गया है और अंग्रेजी ने उनके अन्दर विकार पैदा कर दिया है जिसका नतीजा हमारे और आपके सामने स्पष्ट रूप से है।

श्रीमन्, जैसा अभी उपमंत्री जी ने कहा प्रस्ताव में कहा गया है कि १२वर्ष तक के बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ाई जाय तो ११ वर्ष तक के बच्चों को तो इस समय भी नहीं पढ़ाई जाती है। यह उन्होंने इससे सिद्ध किया है कि छः साल की उम्र से कम्पलसरी एजूकेशन है। लेकिन यह चीज उन पर लागू होती है जिनके बच्चे छः साल के पश्चात् पढ़ना शुरू करते हैं और उसी का हिसाब मंत्री जी ने लगा लिया है। ऐसी बात नहीं है। आज कल अच्छे लोगों के लड़के चार साल की उम्र से ही पढ़ने लगते हैं और १२ साल की उम्र में नवीं, दसवीं में होते हैं। यदि यह कम्पलशन हो जाय, ऐसी चीज हो जाय कि कोई भी लड़का छः साल की उम्र से पहले पढ़ने नहीं पायेगा अगर ऐसी बात होती कि नहीं पढ़ पायेंगे तब भी कुछ अंश में इस प्रस्ताव की पूर्ति हो जाती, लेकिन श्रीमन्, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यदि यह देखा जाय कि चार साल की उम्र से बच्चे पढ़ने लगते हैं तो तब यह हमारे नवयुवक कहां पहुंचते हैं। छः, सात और आठ वर्ष की उमर से ही उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगती है। चूंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं होती इस लिये उनके मस्तिष्क में अंग्रेजी जबरदस्ती घुसेड़ दी जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे लड़के ठीक प्रकार से पोजीशन प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में पहले यही चीज पढ़ाई जाती है।

एक बात और कही गई अंग्रेजी के बारे में कि यह इतनी अच्छी चीज है कि विदेशों में यह बोली जाती है और विदेशी लोग जब यहां आते हैं तो उनकी बातें समझने के लिये यह जरूरी है। हम अपने को इतना गुलाम क्यों बनायें कि चूंकि विदेशी लोग यहां आयेंगे तो हम उनकी बातों को नहीं समझ पायेंगे इसलिये इसका सीखना जरूरी है। हम इतने हिम्मतवर क्यों न बनें कि हम उनसे अपनी हिन्दी में ही बातें करें और अपने यहां यह प्रचलित करें कि हम अपनी मातृभाषा में ही उनसे बात करें तब वे भी हमारी भाषा सीखने के लिये विवश होंगे। हमने देखा है कि जब किसी का शासन होता है या कोई जब ताकतवर होता है तो दुनिया उसकी नकल करती है। क्या वजह है कि हम अपने को कमजोर साबित करें और ऐसा साबित करें कि उनकी नकल हम करते चले जायं।

मान्यवर, पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब हमारे भारतवर्ष में हमारी इस भाषा को विदेशी पढ़ने आये थे और यहां से पढ़ कर गये थे, लेकिन हम अपने उस काल को भूल गये हैं और यह थोड़ा-सा काल जो बीच में आ गया है और जिससे भारत गुलाम बन गया है इसको याद रखते हैं और उसका गुणगान करते हैं। हमारे यहां आज जो राम और भरत का गुणगान

किया जाता है यह उस हिन्दी भाषा का ही परिणाम है जिसके कारण उनके अन्दर त्याग की क्षमता उत्पन्न हुई थी। राम ने अपने पिता की आज्ञा से राज्य को छोड़ा और उस राज्य को भरत ने स्वीकार नहीं किया था केवल इसलिये कि जिस भाषा को आदमी पढ़ता है उसी का आचरण करता है। आज सभी जगह जो अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है उसका यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा का चारों तरफ प्रभाव है। आज यूनिवर्सिटी और इन्टरमीडियेट कालेजों में जो आपको अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है यह भी इसी अंग्रेजी का कारण है, लेकिन जहां पर संस्कृत के विद्यालय हैं या छोटे विद्यालय हैं या प्राइमरी स्कूल हैं या जहां पर केवल हिन्दी विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है वहां पर विद्यार्थियों में इस प्रकार का वातावरण दिखाई नहीं पड़ता है।

अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि बी० एम० बी० एस० में क्या है? मैं निवेदन करूं कि वहां पर लड़कों की जो भर्ती की जाती है वह इन्टरमीडियेट लड़कों की भर्ती की जाती है और उनको ही लिया जाता है। हिन्दी पढ़ने वाले या संस्कृत पढ़ने वाले लड़कों को नहीं लिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो उद्दण्डता आज दिखाई देती है यह अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी पढ़ा-लिखा लड़का मितव्ययी नहीं हो सकता। अंग्रेजी पढ़ा-लिखा लड़का जिस प्रकार से बाजार में लूटमार करता है उससे भाषा कलंकित होती है। उससे देश और समाज की भी बदनामी होती है। मान्यवर, हम देखते हैं कि अंग्रेजी वेशभूषा पहने हुये चाहे गरीब आदमी ही वह क्यों न हो और भूखा मरता हो १।। रुपये की बुशर्ट और २ रुपये की पैन्ट ही पहने हो वह अपने हाथ में दो सेर वजन भी लेकर चलना अपनी शान के खिलाफ समझता है। जब कि वही हिन्दी पढ़ा-लिखा आदमी कीमती कुरता पहने हुए भी, कीमती धोती पहने हुये भी कई मन का बिस्तरा अपने कन्धे पर लेकर चलता है। यह केवल इसी भाषा की देन है। इसी भाषा के कारण इतनी बेकारी है। यही भाषा आज भी लड़कों को पढ़ाई जाती है। पढ़ने के पश्चात् लड़के हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट पास करके रोजगार के दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं। परन्तु उससे अपने घर में काम नहीं हो सकता। वह घर का काम नहीं कर पाते जब कि उनके यहां घर पर ६०, ७० रुपये महीने का काम करने के लिये नौकर होगा जो उनके घर का काम करेगा और वह स्वयं ४०, ५० रुपये की क्लर्की के लिये दरवाजे-दरवाजे ठोकरें खायेंगे और अर्जियां भेजते फिरेंगे। यह अंग्रेजी शिक्षा की देन है। इसके बाद कहा जाय कि अंग्रेजी बड़ी अच्छी शिक्षा देती है, यह सुन कर ही दुख होता है। आज १२ साल होने को आये भारत को स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत में सब से प्रथम कार्य यही होना चाहिये था कि हम अपनी पायी हुई स्वतंत्रता को कायम रखने की बात सोच सकते। दुःख है कि स्वतंत्र भारत में १५ साल तक अंग्रेजी को कायम रख कर अंग्रेजों की गुलामी को बनाये रखा गया।

अभी-अभी वीरसेन जी ने कहा कि अधिकतर लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। मैं भी यह मानता हूं केवल उसका कारण यह नहीं है कि हम अंग्रेजी के पक्षपाती हैं, बल्कि इसका एक मात्र कारण यह है कि आज अच्छी जगह पाने के लिये, अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिये हमारी सरकार की ओर से ऐसी मांग है कि व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी पढ़ा हो। यदि यह चीज न हो और हिन्दी भाषी व्यक्ति को अच्छे से अच्छे पद पर नियुक्त किया जाय उसको अंग्रेजी जानना जरूरी न हो तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी के स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भर्ती करने के लिये तैयार न होगा और अंग्रेजी के टीचर बैठे रहेंगे और साल भर के बाद उनका बिस्तरा यहां से बंध जायगा। अगर ऐसा न हो तो कहियेगा। न हो तो आप तजुर्बे के लिये ही यह बात मान लें और देखें। लेकिन कहा यह जाता है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते। जब-जब जिस भाषा का अधिकार होता है लोग उसी भाषा को सीखना चाहते हैं। एक जमाना था कि जब यहां मुसलमानी राज्य था। उस समय अधिकतर लोग उर्दू और फारसी पढ़ते थे। क्यों? इसलिये कि उन्हें यदि इन भाषाओं का अच्छा ज्ञान होगा तो वे ऊंचे पद पा सकेंगे। आज भी लोग उर्दू और फारसी जानने वाले हमको मिलते हैं। लोग राजभाषा को ही अधिक सीखना चाहते हैं इसलिये कि वे शासनकर्ताओं के कृपा-पात्र बने रहें और यदि यह बात न हो तो न केवल भारत के निवासी ही अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे और हिन्दी पढ़ेंगे बल्कि इंगलैण्ड और अमरीका के लोग जो यहां आयेंगे वे भी सब से

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

पहले अपना नाम हिन्दी पढ़ने वालों में लिखायेंगे। क्या जरूरी है कि जब हम आजाद हो गये तब भी अंग्रेजी पढ़ें? क्या वजह है कि आजाद हो जाने के बाद भी हमारा मस्तिष्क आज आजाद नहीं हुआ है? यदि हम इन बातों को अच्छी तरह जान और समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह जो कार्य देश में चल रहे हैं यह अंग्रेजी की देन हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। हमारे बड़े-बड़े मुनि हो गये हैं, उन्होंने देश का किस प्रकार शासन किया। दशरथ आदि कितने बड़े-बड़े राजा हमारे देश में हो गये हैं, तब क्या राजकार्य चलाने के लिये अंग्रेजी थी? हमसे ही दुनिया ने सीखा है, हमसे ही शिक्षा ली है। यह भारत इसका गुरु है। हमें दुःख है कि हम आज इस बात को भूल गये, अपने पुराने इतिहास को भूल गये और उसके स्थान पर वह इतिहास हमें याद है कि जिसमें चरित्र और अनुशासन का कोई स्थान नहीं। हममें अपने छोटों और बड़ों के लिये कोई स्थान नहीं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में लड़का मास्टर के बराबर खड़ा होता है इसलिये उसके हृदय में मास्टर के लिये कोई स्थान नहीं होता। संस्कृत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आप देखें ४०, ५० साल की आयु के विद्यार्थी आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं किन्तु अपने गुरुओं का चरणस्पर्श करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि चरण दबाते हैं, भोजन बनाते हैं और उनके बर्तन साफ करके अनुशासन का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं। कोई डिग्री कालेज का विद्यार्थी मेरा खयाल है ऐसा नहीं होगा, जो अपने अध्यापकों का ऐसा सम्मान करता हो क्योंकि उसको ऐसा सिखाया ही नहीं गया। श्रीमन्, मैं अपनी बातों को समाप्त करने के साथ साथ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस बात को मान लेना चाहिये। हमें दुःख है कि इसमें माननीय प्रस्तावक महोदय ने केवल बारह साल तक के लिए ही रखा है, इसको तो समूल ही नष्ट होना चाहिये था। अंग्रेजी को एक मिनट भी रखने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रामसिंह जी का जो प्रस्ताव आया हुआ है, उसका मुख्य मतलब जहां तक मैं समझता हूं यही मालूम होता है कि हिन्दी भाषा का पूर्णतया विस्तार और प्रचार होना चाहिये। इसमें यहां के जितने निवासी हैं वे करीब-करीब एक मत हैं। इसको अधिक कार्यरूप देने के लिये यह प्रस्ताव रखा है कि १२ वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा न पढ़ाई जाय और इसके लिये कोई नियम बनाया जाय। उनका जो यह सुझाव है उसी के सिलसिले में मैं एक उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं, कृपया सदन उसको सुने।

मान्यवर, भाषा का प्रश्न किसी भी देश के लिये एक बहुत ही मौलिक प्रश्न हुआ करता है। यह निश्चित है कि जहां की भाषा बलवती नहीं होगी वहां का समाज बिल्कुल निर्बल होगा। इस देश की अत्यन्त समृद्धशाली भाषा संस्कृत रही है। जब तक वह समृद्धशाली रही, उसकी शिक्षा दीक्षा में जब तक यह देश चलता रहा, बहुत ही समृद्धशाली रहा। लेकिन समय बदलता रहता है पतन और उन्नति आती जाती रहती है। अंग्रेजी का प्रचार हुआ। अंग्रेजी के समर्थकों ने, यहां राज्य करने वालों ने यह अच्छी तरह से समझ लिया था कि जब तक हम अपनी भाषा को अच्छी तरह से न पढ़ा लेंगे हम राज्य नहीं कर सकते, इसलिये उन्होंने अंग्रेजी को राज भाषा का पद दिया। उस समय जो अंग्रेजी के दो-चार अक्षर पढ़ लेते थे, राजा राममोहन राय के जमाने में जो १०-२० अक्षर जान जाते थे तो उनको नौकरी मिल जाती थी और १० वीं पास कर लेता था उसको जरा अच्छी नौकरी मिल जाती थी। इस प्रकार से लोगों के सामने कुछ प्रलोभन आया और अंग्रेजी का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और देश के विचारकों ने उस समय की परिस्थिति पर विचार किया और उन सब बातों का ध्यान रखते हुये उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना। उसमें हमारी यही थोड़ी सी भूल हुई कि हम अगर हिन्दी को राष्ट्र भाषा न मान कर कहीं संस्कृत को राष्ट्रभाषा मान लेते तो उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयोग में किसी भी प्रान्त में कोई झगड़ा न होता, उत्तर दक्षिण, तामिल, कन्नड़, पंजाबी और बंगाली किसी भाषा भाषी को कोई परेशानी न होती। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि संस्कृत आसान चीज है, उसको रख लेना चाहिये और हम लोगों के कहने से अब वह बदली भी नहीं जा सकती। लेकिन संस्कृत राष्ट्रभाषा किसी कारण से नहीं मानी तो उनके सामने अनेक समस्यायें थीं उनको सुलझाना है और सुलझा भी रहे हैं। अब हिन्दी राष्ट्रभाषा उनको माननी पड़ी, इसी को प्रोत्साहित करना है, इसी को बढ़ाना है और आये दिन लोकसभा में और यहां भी बहुत चर्चा हुआ करती है। तो जहां तक इसको समुन्नत और कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, इसका मैं पक्षपाती नहीं हूं कि यहां पर कोई ऐसा नियम बने कि अंग्रेजी कोई न पढ़े। आपने बहुत से कानून बनाये हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। जैसे शारदा बिल ही है, जो बहुत पहले पास किया गया, लेकिन क्या उसका पालन आज हो रहा है? इसी तरह से अगर आप यह कानून बना दें कि १२ वर्ष की उम्र तक कोई अंग्रेजी न पढ़े तो इससे आप उतना बड़ा लाभ नहीं उठा सकते हैं।

एक बात यह है कि आप ऐसी भावना उत्पन्न करें ताकि अंग्रेजी पढ़ने की तरफ किसी की रुचि न हो। अगर इस तरह की भावना उत्पन्न करनी है तो वह हमारे और आपके सहयोग से ही हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। हिन्दी को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और सब को कैसे पढ़वायेंगे उसके लिये आवश्यक यह होगा कि हिन्दी की वे संस्थायें जो हिन्दी की पढ़ाई का प्रबंध करती हैं उनको आप प्रोत्साहन दें, उनके शिक्षकों को और उनके विद्वानों को आप अच्छे स्थान दें। अगर कोई कमी है तो आपकी यही है कि हिन्दी के पढ़ने लिखने वाले जो विद्वान् हैं, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्य रत्न हैं, वे इंटरमीडियेट की पढ़ाई के लिये तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको ग्रेड ७५ रुपये का ही दिया जाता है। ऐसे इंटरमीडियेट को पढ़ाने के लिये तो साहित्य रत्न और आचार्य क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको ग्रेड वही नहीं दिया जाता है जो एम०ए० पास करके आने वालों को दिया जाता है। तो हम लोगों को इस भेद को मिटाना है। अगर सब लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन, काशी विद्यापीठ या पंजाब में जो हिन्दी की संस्थायें हैं उन्हीं के द्वारा अपने लड़कों को हिन्दी भाषा ही पढ़ावें, लिखावें और उनको अंग्रेजी वालों के बराबर ही ग्रेड मिलने लगे तो सभी हिन्दी ही पढ़ना शुरू कर दें। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई नियम इस तरह का बना दिया जाय कि फलां भाषा कोई न पढ़े लिखे। सब भाषाओं का ज्ञान रखना तो हर नागरिक का कर्त्तव्य हुआ करता है। अब वह समय नहीं रहा कि फलां भाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और उसके बिना भी हम अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि पहले का जो भारत था वह भारत कुछ ऐसा था कि उस भारत में इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि आप इतने व्यापक रूप से बातचीत कर सकें। आज के समय में बिना एक दूसरे से बातचीत किये हुये काम नहीं चल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां हम हिन्दी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें वहीं अंग्रेजी भी पढ़ें, जर्मन भी पढ़ें या फ्रेंच भी पढ़ें। जिस भाषा में भी ज्ञान हो उससे हमको लेना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ उनके यहां जो रहन-सहन है उनसे अपने को बचाना आवश्यक है।

इसका प्रयोग हम कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसके लिये सुझाव यह है कि आज संस्कृत पाठशालाओं को और संस्कृत के विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाय। इसके लिये उनको अमरकोश पढ़ाना उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों में भी शुरू कर दिया जाय तो स्वभावतः सभी लोग अंग्रेजी की तरफ से हट कर हिन्दी की तरफ ही झुकेंगे और इस तरह से एक ऐसा वातावरण बन जायगा कि सब हिन्दी पढ़ने में अपना गौरव समझेंगे। आजकल जितने पढ़ने लिखने वाले हैं उनमें मुश्किल से १० प्रतिशत लोग ही ज्ञान के लिये पढ़ते हैं और ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो नौकरी के ख़याल से पढ़ते हैं। तो अगर नार्मल से या जे० टी०सी० से ही शिक्षण अधिकारी चुनाव करते समय यह करें कि जो हिन्दी वाले हों उनको पहले लें और हाई स्कूल पास वालों को रोके रहें तो जल्दी ही सब लोग हिन्दी पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसी दशा में हमको और आपको विचार करना है कि इसके लिये क्या किया जाय। अगर यही रहा कि जिस तरह से अभी तक

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

हिन्दी वाले और संस्कृत वाले उपेक्षित रहे हैं उसी तरह से ३,४ वर्ष तक और उपेक्षित रहें तो फिर आपके इस कानून के बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है कि अंग्रेजी कोई न पढ़े क्योंकि हिन्दी वालों को तो कहीं न कहीं लगाना है ।

दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी छोड़ने के लिये यह जरूरी है कि जो पहले की प्राचीन शैली के ग्रंथ हैं उनको यहां के सभी माननीय सदस्य अधिक पढ़ें । मैं देखता हूं कि यहां पर जो-जो अधिकतर बातें होती हैं वे अपने ही को प्रतीक बना कर कही जाती हैं । अपने को अलग रख कर ही कोई बात कहनी चाहिये । यहां पर हमारे सदस्य किसी चीज का स्वयं सर्जन करके ही बात करते हैं । हम यह चाहते हैं कि उनको प्रकृति पर छोड़ा जाय, ईश्वर को भी कुछ हद तक स्थान दिया जाय और प्राचीन ग्रंथों का समग्र अध्ययन-अध्यापन हो और हमेशा उसको प्रोत्साहन दिया जाय । तब हिन्दी बढ़ सकेगी अन्यथा इस तरह से कि कभी बहुत-सा हो रहा है और कभी कुछ नहीं ही रहा है, कुछ नहीं होगा । विचार यह है कि जब सभी हिन्दी पढ़ेंगे तभी यह उन्नति सम्भव होगी ।

आज जो हमारे स्कूल्स और कालेजेज खुले हुये हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा पर जो १६ करोड़ रुपया व्यय कर रही है उनमें भी आप जायं तो देखेंगे कि बच्चे हिन्दी पाठशालाओं में कम जा रहे हैं और अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने जायेंगे । हिन्दी पाठशालाओं में भी अंग्रेजी वैकल्पिक विषय रख दिया गया है क्योंकि वे यह समझते हैं कि हम इसमें जल्दी कहीं न कहीं काम में लग जायेंगे । यहां पर भी जो हमारे नेता सदन हैं, या मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी मिनिस्टर्स हैं इनके लिये भी देखा जाता है कि अंग्रेजी की योग्यता इनकी कितनी है, अंग्रेजी का सर्टिफिकेट इनके पास है या नहीं । अगर शास्त्री, या कोई आचार्य या साहित्यरत्न हो, या इस तरह का कोई काबिल आदमी आये तो यहां भी उसको प्रोत्साहन देने के लिये तैयार नहीं होते क्योंकि वह समझते हैं कि एक परम्परा है और फिर बाहर के लोग आवेंगे उनसे बातचीत करना है और यह करना है, वह करना है । तो वह नहीं लिया जा सकता । आप ऐसी दशा में संयुक्त रूप से यह प्रयत्न करें कि हिन्दी के जानने वालों का यथोचित सम्मान हो । जैसे आई० सी० एस० की परीक्षा है, या पी०सी०एस० की परीक्षायें हैं इनमें जो हिन्दी और संस्कृत के जानने वाले हों, उनको आप स्थान दें । अगर ऐसा आप करेंगे तो स्वभावतः लोग इस तरफ चलेंगे और आपकी जो आकांक्षा है कि राष्ट्रभाषा समुन्नत हो और जल्द से जल्द कार्यान्वित हो वह आकांक्षा पूर्ण होगी ।

दूसरी बात यह है कि सरकार की ओर से भी कहा तो यह जाता है कि प्रयत्न किया जा रहा है । प्रयत्न हो भी रहा है, लेकिन प्रयत्न की और अधिक आवश्यकता है क्योंकि यह देखा गया है कि इसका जो संचालन हो रहा है वह सम्यक् नहीं है । आपके यहां की कार्यवाही हिन्दी में हो रही है लेकिन शासन के कार्यों में अभी अंग्रेजी का मोह वैसे ही है । अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेन्ट्स दिये जा रहे हैं और बहुत सी बातें हैं । यह चेष्टा होनी चाहिये कि हिन्दी के जानने वालों, हिन्दी की पाठशालाओं और हिन्दी के अध्यापकों और साथ ही हिन्दी की माता जो है संस्कृत उसकी पाठशालाओं, उसके अध्यापकों को शीघ्रातिशीघ्र प्रोत्साहन दें, उनको अच्छे से अच्छे पदों पर लगावें तो हिन्दी की अभिवृद्धि सचमुच वास्तविक हो ।

मैं आपको बतलाऊं । एक समय ऐसा था, संस्कृत के लिये लोग ऐसा कहते हैं कि भोज के समय तो मुसहर भी संस्कृत में बातचीत करते थे । उस समय सभी समृद्धशाली थे । एक कथा आपको उस समय की बतलाता हूं । एक समय जब भोज जंगल की तरफ गये हुये थे तो उनको धूप लगी । वे थके हुये थे । तो उन्होंने विश्राम करना आरम्भ किया था कि एक लकड़हारा लकड़ी का बोझ लेकर आया । वह लकड़हारा बहुत थका हुआ था । तो भोज ने उससे संस्कृत में कहा "स्कन्धौ बाधति" उन्होंने कहा कि तुम्हारे कन्धों पर भार बहुत है । लकड़हारे ने तत्काल ही उनको उत्तर दिया कि "स्कन्धौ न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते ।" उसने उनकी गलती पकड़ी । "बध" धातु संस्कृत में आत्मनेपदी में प्रयुक्त होती है और उस कारण उसका रूप "बाधते" होना चाहिये "बाधति" नहीं । तो लकड़हारे ने कहा कि राजन् लकड़ी

के भार से उतना दुख नहीं है जितना आपके इस "बाधति" शब्द के गलत प्रयोग से मुझे दुख हो रहा है। तो एक समय ऐसा था। इसलिये अंग्रेजी की जो दीक्षा है हमारी, जो हमको अंग्रेजी सरकार से कुरीतियां मिली हुई हैं, अंग्रेजों ने जो हमें हानि पहुंचायी है उन परम्पराओं का और उन कुरीतियों का हमें समूलोच्छेदन कर देना चाहिये और हिन्दी को जल्द से जल्द प्रोत्साहित करने के लिये और इसको प्रौढ़ रूप देने के लिये सबसे जरूरी है कि हिन्दी जानने वालों को अधिक से अधिक और उत्तम से उत्तम स्थान दिये जायें बमुकाबिले और भाषायें जानने वालों के। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामसिंह चौहान जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा पूरा अनुभव है कि जब तक इस प्रस्ताव को पूर्णतः लागू नहीं किया जायेगा और इस पर अमल नहीं किया जायेगा तब तक भारतवर्ष का उत्थान होना असम्भव है। हिन्दी का स्तर उस समय तक ऊंचा नहीं हो सकता है जब तक यहां से अंग्रेजी का खात्मा नहीं होगा। श्रीमन्, अभी हमारे कुछ साथियों ने बतलाया कि अंग्रेजी भाषा सुन्दर है, बहुत मधुर है। मैं तो कहता हूं कि उनको तो अंग्रेजी इतनी प्यारी हो गयी है और वे इससे इतने ओत प्रोत हो गये हैं जैसा किसी आदमी को बाल अवस्था से यह आदत पड़ जाय कि वह बायें हाथ से काम करने लग जाय और अगर उससे कहा जाय कि दाहिने हाथ से काम करो तो वह कहेगा कि नहीं बायें हाथ से ही ठीक काम होता ह। एक साथी न अभी बतलाया कि अंग्रेजी के लिये अभी लोगों में शौक है और वे अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि वे यह देखें कि विदेशों में हिन्दी का कितना मान होता है। अगर हिन्दी का विदेशों में मान नहीं होता ह तो यह हमारे लिये एक शर्म की बात है। मेरा विचार है कि जब तक अंग्रजी को यहां से खत्म नहीं किया जाता है तब तक हम अपने यहां से सारे दोषों को नहीं मिटा सकते हैं। इसको लिये मैं थोड़ा सा अपने गांव का भी जिक्र कर देना चाहता हूं। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे गांव में कोई भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है और जब मैं यहां पर विधान सभा का सदस्य होकर आया और किसी से पूछा कि भाई आपका टेलीफोन नम्बर क्या है या आप का वेतन क्या है तो मुझे अंग्रेजी में बतलाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यहां से अंग्रेजी नहीं हटती है तब तक हमारे समाज से सारे दोष नहीं जा सकते हैं। यह बातें तो आप को प्रस्तावक महोदय ही बतलायेंगे।

मैं तो एक देहात का रहने वाला आदमी हूं। मेरे गांव में जैसा मैं पहले कह चुका हूं कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है। अगर अंग्रेजी में कोई पत्र आता ह तो दूसरे गांव उसको पढ़ाने के लिये जाना पड़ता है। अब तो हिन्दी में भी पत्र आने लगे हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके ऊपर हर एक भारतवासी को गौरव है। हमारे गांव का २५ वर्ष से आज तक कोई भी झगड़ा अदालत में नहीं पहुंचा है। संविधान को तो हम लोग बहुत कम जानते हैं। मुझे तो ऐसे संविधान में विश्वास नहीं है। एक साथी ने कहा कि शारदा एक्ट पास हो गया, लेकिन अमल नहीं होता है। संविधान भी पास हो गया, लेकिन अमल नहीं होता है। जो कानून बनते हैं उनका पालन नहीं होता है। मैं तो अपने गांव की बात आप से कह चुका हूं कि वहां पर पिछले २५ वर्ष से कोई भी मुकदमा अदालत में नहीं गया है। जब हम कांग्रेस में थे तो गांधी जी ने ११ शर्तें रखी थीं जिनमें से एक यह थी कि मादक वस्तुओं का निषेध होना चाहिए। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि मेरे गांव में आज तक उस समय से मादक वस्तुओं का सेवन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बड़े-बड़े योग्य अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इन मादक वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं। आज तक हमारे गांव में कोई अपव्यय नहीं हुआ है। हमारे यहां सिनेमा, नाच और तमाशा नाम की कोई चीज नहीं है। संविधान की बात वह लोग नहीं जानते हैं। गांव की एक मामूली पंचायत है, झगड़े होते हैं छोटे-मोटे, लेकिन उसी

[श्री भगौतीप्रसाद बर्मा]

में तय हो जाते हैं। अनुशासन की जो आज बात चल रही है, रोजाना गोली चलानी पड़ती है सरकार को और अनुशासन का हमारे गांव में यह हाल है कि चाहे मूर्ख से मूर्ख आदमी हो, अगर अवस्था में बड़ा है, तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होगा तो वह भी उसका आदर करेगा। सवेरे उठकर प्रणाम करेगा, जय राम करेगा। यह नहीं है कि योग्यता देखी जाय। मुझे जो अंग्रेजी से घृणा हुई, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। हमारे एक बाबा थे, वह हमारे गांव से थोड़ी दूर एक दूसरे गांव में बरौली में एक रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। वह घुटने के ऊपर धोती पहने हुए थे। उधर से उनके यहां एक लड़का निकला जो अंग्रेजी पढ़ता था, उसने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बाद में पूछा गया कि क्या तुमने पहचाना नहीं, तो उसने कहा कि मैंने पहचाना, लेकिन हमारी सभ्यता में फर्क आ जाता अगर मैं कहता कि ये हमारे अजोज हैं। एक दिन वह था कि सुदामा पहुंचते हैं कृष्ण के यहां और उनका आदर होता है। लकिन आज वह दिन है कि बेटा अपने बाप को बाप कहने में शर्म महसूस करता है। तो जब तक अंग्रेजी के प्रभाव को दूर नहीं किया जायगा तब तक ऐसी ही हालत रहेगी।

हमारे बहुत से साथी हैं, उन्होंने इतिहास में देखा होगा, एक कथा पढ़ी होगी मन्दालसा की। मन्दालसा ने अपनी शादी नहीं की। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी कि जो मेरी सन्तान को १२ साल तक देख न सके। १२ साल तक मैं उसे शिक्षा दूंगी, खिलाऊंगी। किसी राजा ने वादा किया कि वह १२ साल तक सन्तान को नहीं देखेगा। तब उसने शादी की। उसके कई पुत्र हुए। १२ साल तक वह उन्हें खिलाती थी, अध्यात्मवाद की शिक्षा देती थी। मैं भौतिकवाद की निन्दा नहीं करता हूं। इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद विषय से बाहर हो जायगा। तो उस माता ने जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जिस अध्यात्मवाद का ज्ञान कराया, वह ज्ञान उसने उन बालकों को १२ साल में करा के महान धुरनधर विद्वान् बनाया। तो वह कितनी सुन्दर चीज है। मुझे बड़ी खुशी हुई, इस प्रस्ताव को देख कर और इसीलिए मैंने आज साहस किया बोलने के लिए। जब ऐसे-ऐसे प्रस्ताव आने लगे हैं तो मुझे आशा है कि भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा होगा।

तो श्रीमन्, मैं अंग्रेजी का दोष बता रहा हूं। मुझे शर्म लगती है जब कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वह आजादी की बात करते हैं और कहते हैं कि वह "अंग्रेजी की बदौलत हुई।" यह अंग्रेजी की बदौलत जो स्वराज्य मिला है वह सत्यानाश हो रहा है! समाज में सारे दोष जो आये हैं वह इसी अंग्रेजी की बदौलत आये हैं और यह दोष दूर नहीं हो सकता है जब तक अंग्रेजी को न हटायें।

मैंने एक मामूली अपने गांव का उदाहरण दिया। सन् १९४२ में भी जेल के अन्दर देखा कि जो पढ़े लिखे विद्वान् होते थे वह रात दिन सोचते थे कि कौन सा ऐसा तिकड़म किया जाय जिससे कि जेल से निकलें, और जो देहात के थे उनको एक लगन थी, गान्धी जी के वह भक्त थे, कभी भी वह इस बात को नहीं सोचते थे। इस पर अब अधिक न कह करके मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि जब तक इस तरह के कानून अमल में लाने के लिए पूरी कोशिश करके पास नहीं होंगे, नहीं बनायें जायेंगे तब तक गांधी जी का जो स्वप्न है, उनकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हो सकती है। श्रीमन् के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रभाषा हिन्दी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप कहते हैं कि स्वराज्य उन लोगों का दिया हुआ है। जरा पहले के इतिहास को देखें, अनुशासन यहां कितना था। हमारे अन्य साथियों ने भी बतलाया कि आज छोटी-छोटी बातों के लिए तिकड़मबाजी की जाती है। उस जमाने में राम ऐसे पुत्र होते थे जो इतने बड़े चक्रवर्ती राज्य को छोड़ कर चले गए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। आरुणि का अभी किसी साथी ने नाम लिया कि वह जाकर के मेड़ के ऊपर लेट गया। रात हो गई परेशानी आयी, ठिठुर रहा था,

लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। तो अगर पुरानी सभ्यता लानी है, भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा करना है तो इस अंग्रेजी को आपको बिदा करना होगा। मैं तो कहता हूं कि समूल विदा करना चाहिए। इसलिये जो प्रस्ताव है, उसे वही मन्दालसा की जो उपमा दी गयी है, जरूर अंग्रेजी का जो जहर है वह बाद में असर नहीं कर सकेगा अगर १२ वर्ष तक हिन्दी ही पढ़ायी जाय।

मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर फिर भारत का मस्तिष्क ऊंचा करना है तो सब साथी सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करेंगे। हमारे बहुत से साथियों ने अंग्रेजी के प्रति जो यह कहा कि उससे नौकरी मिलती थी, यह जरूर है, हमारी बाल्यावस्था में भी जब कोई जिलेदार होना चाहता था तो उसे आवश्यक था कि उर्दू सीखे, फारसी सीखे क्योंकि हुकूमत तबदील हुई थी और उसी समय अंग्रेज आये थे। इसलिये जिनको नौकरी करनी है उनके दिमाग में शायद राष्ट्रभाषा का महत्व न आवे। लेकिन हम सब लोग तो यहां देश भक्त बैठे हैं, देश सेवक हैं, तो यहां भी अगर अंग्रेजी का समर्थन हो तो ताज्जुब की और दुख की बात है। आप देखें दूसरे देशों में हिन्दी की कितनी इज्जत होती है। लेकिन हम इतने गिर गये हैं कि अंग्रजी के गुलाम बनना चाहते हैं।

अन्त में मैं माननीय रामसिंह चौहान जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का कुछ समय दिया। पहले मैं संकल्प का विरोध करती हूं, और मुझे आश्चर्य होता है कि हिन्दी भाषा के ऊपर हम लोग इतना जोर दे रहे हैं, यद्यपि हमारी सरकार स्वयं प्रयत्नशील है कि हिन्दी भाषा अंग्रेजी का स्थान ले। स्वराज्य मिलने के बाद से ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। उसके बाद ११ वर्ष की अवस्था तक, पांचवी कक्षा तक तो अंग्रेजी पढ़ायी नहीं जाती। छठी क्लास से अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आज हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा की उन्नति हो पर इस ओर हम लोग बहुत धीरे-धीरे ही प्रगति कर सकेंगे।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

१५ वर्ष का समय जो दिया गया है इसलिये दिया गया है कि हमारे यहां के सब लोग हिन्दी पढ़ लें और इस योग्य हो जायं कि वह अपने को सब काम करने योग्य पावें। अभी भी हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं वह हिन्दी पर इतना अधिकार नहीं रखते कि अभी हिन्दी में सब काम कर लें। और अभी बहुत से ऐसे आदमी हैं जैसे हमारे महामहिम राज्यपाल ने भाषण दिया था, यद्यपि वह हिन्दी पढ़ रहे हैं तो भी अभी वह हिन्दी में भाषण देने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इसलिये १५ साल का समय सरकार की ओर से रखा गया है कि हिन्दी में अपने को मनुष्य पटु बनायें और आवश्यक उन्नति कर लें।

इसके अलावा बहुत सी बातें हिन्दी के लिये कही गईं। मैं समझती हूं कि अभी हमारी भाषा में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हम अधिकार नहीं कर सके हैं, जैसे साइन्स का विषय है, मेडिकल साइन्स का विषय है, यदि आप अंग्रेजी यहां से समाप्त कर देंगे तो अभी हम इन विषयों में अपनी पुस्तकें नहीं बना पाये हैं कि सब काम हिन्दी में सुचारु रूप से चालू कर सकें और साइन्स और मेडिसिन आदि विषयों में हिन्दी में शिक्षा दिला सकें। इसलिये अभी वह समय नहीं आया है कि अंग्रेजी हम यहां से बिलकुल उठा दें।

दूसरे यह कहा गया कि अंग्रेजी से इनडिसिप्लिन फैलती है और बेकारी, भुखमरी और खाद्य समस्या सब अंग्रेजी के कारण ही फैली है। मैं नहीं समझ सकती कि भाषा से यह खराबी कैसे हो सकती है, भाषा का इनडिसिप्लिन से और इन सब चीजों से क्या सम्बन्ध? यह ठीक है कि लम्बी गुलामी के कारण अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गये, यह सही है कि

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

गुलामी के दिनों में हमने अपना बहुत कुछ खो दिया और हम कहीं से कहीं पहुंच गये, हम अपनी संस्कृति को भूल गये इसका अंग्रेजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अंग्रेजी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरु को अवहेलना सिखाती हो, माता-पिता का सत्कार न करो, ऐसी चीज अंग्रेजी की किसी पुस्तक में हमने नहीं पढ़ी। मेरी समझ में तो आज भी अंग्रेजी घरानों में डिसिप्लिन हमारे घरों से ज्यादा अच्छी है, वहां उनके बच्चे बड़े सुचारुरूप से नियमित ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। यह सही नहीं कि उनमें सब खराबियां हैं। यह ठीक है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और स्वराज्य प्राप्ति के बाद उसे अब बहुत दिनों तक यहां नहीं रहना चाहिये, यह मैं भी मानती हूं, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि अंग्रेजी से ही अनुशासनहीनता है, बेकारी है, भुखमरी है और तमाम खराबियां हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मेरा खयाल है कि अभी हमारे देश को बहुत अधिक अंग्रेजी की आवश्यकता है, आज हम उस जगह पर हैं जहां पर हमें संसार के अन्य देशों से सम्पर्क रखना आवश्यक है और उनसे बहुत कुछ सीखना है, यदि हम आजादी के बाद किसी ऐसी विदेशी भाषा को समाप्त कर देते हैं, तो हम उसके द्वारा जो सीखते हैं वह सीख भी नहीं सकते और न अपने विचार ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अभी हम बगैर उस माध्यम के सफल नहीं हो सकते। आज भी अमरीका और ब्रिटेन जो काफी दिनों से आजाद हैं, उनकी बहुत कुछ उन्नति हो चुकी है और बहुत कुछ अभी साइन्स आदि में हमें उनसे सीखना है और दूसरे विषयों के बारे में सीखना है। इसलिये मैं नहीं समझती कि हमारी ऐसी अवस्था आ गई है कि हम अभी अंग्रेजी को यहां से समाप्त कर दें।

जहां तक १२ वर्ष की बात संकल्प में है तो ११ साल तक का हिसाब तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि पांचवें दर्जे तक तो अंग्रेजी हटा दी गई है। फिर एक साल के लिये इस संकल्प की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि उसमें केवल १२ साल तक के बच्चों के लिये मांग की गई है। मेरा तो जहां तक अनुमान है हमारे माननीय प्रधान मंत्री भी विदेशों में शिक्षा पाये हुये हैं और उसी से उनमें जागृति पैदा हुई है, वास्तव में दूसरे देशों से ही प्रेरणा पाकर हमने स्वतंत्रता के लिये ज्यादा लगाव करना सीखा है। हमारे बापू भी अंग्रेजी पढ़े थे। और मैं नहीं समझती हूं कि हमारे पूज्य बापू जो कि अंग्रेजी के इतने मास्टर थे, इतनी अच्छी शुद्ध बोलते थे, कौन सी उनमें ऐसी चीज थी जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे आदमी में होनी चाहिए और कौन सी चीज ऐसी नहीं थी जो कि एक भारतीय में नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह की बहुत सी बातें कही गयीं।

दूसरी ओर से कहा गया कि हमारे राम, भरत और मंदालसा में कौन अंग्रेजी पढ़ा था जो कि इतने बड़े-बड़े पूर्वज हमारे हो गये। यह सही है कि आज भारतवर्ष के पूर्वजों को कोई भी देश नहीं पाता, वह हमारा ऐसा युग था जब कि हमारा देश दूसरे देशों का नेतृत्व करता था। ये सब देश पीछे से पैदा हुए और बाद में उनमें सभ्यता आयी। हमारा देश पहले से ही एक सभ्य देश था, परन्तु दूसरों की गुलामी और दूसरे राज्यों के नीचे रहते-रहते हम अपनी उस संस्कृति और सभ्यता को बिलकुल भूल चुके हैं। हमको वह फिर से वापस लानी होगी।

अनुशासन-हीनता जो हमारे विद्यार्थियों में आयी है वह भी अंग्रेजी की वजह से नहीं है। वह इसलिए है कि आज हम विद्यार्थियों को शिक्षा इसलिए देते हैं कि वह अपनी रोजी कमा सकें और पेट भर सकें। उनमें अनुशासन की मात्रा न घर में ही बढ़ायी जाती है और न स्कूलों में उसकी शिक्षा दी जाती है। कोई शिक्षा स्कूलों में ऐसी अवश्य देनी चाहिए कि उनमें अनुशासन की भावना आये। साथ ही अध्यात्मिक शिक्षा का प्रयत्न भी हमारी सरकार को करना चाहिये।

भावनाओं में बह कर लोगों ने पता नहीं कितनी-कितनी बातें कह डालीं। मैं इस प्रस्ताव के सख्त विरोध में हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री अध्यक्ष--श्री सुरथबहादुरशाह ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, पांच मिनट मुझे मिल जायं । आप को देख कर मैं लौट आया हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें । वह आप ही के पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी--मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी होती है, इसीलिए लौट कर आया हूं ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, आप इस तरह से अनुशासन भंग मत कीजिये । यह लड़कों तक ही सीमित रहने दीजिये ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, अपने माननीय सदस्यों का भाषण सुन कर मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहां हिन्दी बनाम अंग्रेजी, यानी हिन्दी वर्सेस इंगलिश की चर्चा ज्यादा हो रही है । बनिस्बत इसके कि हम १२ वर्ष या इससे नीचे के लड़कों को अंग्रेजी पढ़ने की इजाजत दें या न दें, इस पर बहस होती । मैं अपने काबिल दोस्त माननीय सदस्य आगरा के प्रस्ताव से सहमत हूं, किन्तु विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप्शनल और कम्पलसरी इन दो चीजों के ऊपर जरा गौर फरमायें और वे वैकल्पिक, यानी आप्शनल की इजाजत दें तो बेहतर होगा । आपने और हमने तो गुलामी के जमाने में तालीम पायी और आजादी हासिल की मगर इस जमाने के पढ़े हुए क्या हासिल करेंगे यह देखना है । अब जिस रफ्तार से या जिस रवैये और तरीके से तालीम हो रही है उसमें अंग्रेजी को वह प्रामिनेंस और प्रिडामिनेंस नहीं है जो कि हम लोगों के समय में थी, परन्तु बावजूद इसके आज हम लोगों की हालत कुछ उन लोगों से बेहतर नहीं है जिन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा १०-५ वर्ष के समय से पानी शुरू की थी । दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे यहां कोई कामन लैंगुवेज नहीं है जैसे कि और देशों में है । कनाडा में फ्रेन्च सेटलर्स हैं, जरमन सेटलर्स है और इंगलिश है उनमें कामन लैंगुवेज है, लेकिन हमारे यहां इस तरह की कोई चीज नहीं है । मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी कामन लैंगुवेज का होना बहुत आवश्यक है । इसका परिणाम यही होगा अगर हमारे यहां कामन लैंगुवेज नहीं होगी तो लिंक नहीं मिलेगा । अगर हम अपने यहां अंग्रेजी बन्द कर देंगे तो इस चीज की हानि होगी ।

दूसरी चीज यह है कि अगर १२ साल के बाद बच्चों की अंग्रेजी शुरू होगी तो उनके लिये मुश्किल हो जायगी और आगे चल कर उन लोगों की अंग्रेजी की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं होगी कि वह इंटर के स्टैंडर्ड की चीजों को ग्रास्प कर सकें और ठीक अंग्रेजी समझ सकें । एक सबूत प्रत्यक्ष मौजूद है कि आपके यहां हाई स्कूल में कितने लड़के अंग्रेजी में फेल होते हैं, सप्लीमेंटरी इम्तिहान दोबारा चन्द महीने बाद लिया जाता है, इसमें पांच नम्बर ज्यादा या ग्रेस मार्क दे कर हजारों की लिस्ट निकलती है । तो इस मजाक से क्या फायदा ? (व्यवधान) हिन्दी सरकार द्वारा पढ़ाई जाय और हिन्दी के लिये प्रयत्न होना चाहिये, क्योंकि वह तो हमारी मातृ भाषा है । लेकिन यह आवश्यक है और मैं अपने दोस्तों से अर्ज करूंगा कि वह इस बात को सोचें कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं जैसे नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क और रूस वगैरह उन सब में एक न एक फारेन लैंगुवेज पढ़ाई जाती है । मैं कटाक्ष के तौर पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे लोहिया जी ने स्वयं कहा है कि हम वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो इसकी कार्यवाही हिन्दी में होगी । श्रीमन्, यह संयोग है कि मैंने साइंस पढ़ी है । लेकिन जितनी साइन्स, टेक्नोलोजी मेडिसिन और इंजीनियरिंग वगैरह की किताबें हैं वे अंग्रेजी में ही हैं । इसलिये यदि अंग्रेजी बन्द कर देंगे तो कम से कम २०-२५ साल तक कोई भी अच्छा टैक्नोलाजिस्ट या डाक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है । वैसे मैं अंग्रेजी के माफिकत में नहीं हूं, लेकिन इसकी खिलाफत इस तरह से नहीं होना चाहिये ।

[श्री सुरथबहादुरशाह]

दूसरी बात यह है कि आपके उत्तर प्रदेश में और जगहों से अंग्रेजी स्कूलों का नम्बर सबसे ज्यादा है। आपके के ही लड़के वहां पढ़ने जाते हैं। इसलिये यदि आप अंग्रेजी बन्द कर देंगे तो इतने लड़के जो पढ़ रहे हैं उनके लिये क्या करेंगे (व्यवधान) दूसरी बात, श्रीमन्, हिन्दी तो प्रगति कर रही है और यह होना ही चाहिये। श्रीमन्, मैं हिन्दी का विरोधी नहीं हूं। गुस्ताखी माफ हो, मैं तो हिन्दी का समर्थक हूं। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, हमारी मातृ भाषा है। रामचरितमानस हमने पढ़ी है और पढ़ेंगे। लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप हिस्ट्री और ज्योग्रेफी भले ही हिन्दी में पढ़ लें मगर यदि आप कैलकुलस वगैरह हिन्दी में पढ़ायेंगे और उसमानिया यूनिवर्सिटी की तरह से अनुवाद करने की चेष्टा करेंगे तो परमात्मा ही आपका भला करे। मैं यह कहता हूं कि इस पर गौर फरमायें कि कम्पलसरी न हो मगर उसको आप्शनल किया जाय। आज उसकी आवश्यकता है, आज की दुनियां में उसके बिना कठिनाइयां हो सकती हैं। हम यहां से यू० एन० ओ० में अपने आदमी भेजते हैं, यहां से एम्बेसेडर भेजते हैं। वह आदमी अगर यहां से एम्बेसेडर की पोस्ट पर नियुक्त होने के बाद अंग्रेजी का अध्ययन शुरू करे तो कब जाकर वह अंग्रेजी में बातचीत करना समझ पायेगा? और वहां जाकर हमारी क्या वह मदद कर सकता है? इसलिये मेरी अर्ज यह है कि मैं यह नहीं चाहता कि अंग्रेजी कम्पलसरी रहे। लेकिन अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो यह आपके हित में नहीं है और देश के कल्याण में नहीं है।

एक बात और यह है कि यहां से अंग्रेजी हटाओ कहने का नतीजा आज यह हो गया है कि जो लड़के आज पढ़ रहे हैं उनको इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि वह यह कहते हैं कि अब अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर इसका नतीजा क्या हो रहा है? २५, ३० वर्ष पहले हम लोग हंसा करते थे और जो पास नहीं होता था उससे कहते थे कि जाओ पंजाब से तुम पास कर आओ, क्योंकि वहां का कोर्स कुछ आसान था। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि जो आल इंडिया सर्विसेज हैं या जो मिलिटरी की सर्विसेज है उनमें आज पंजाब के लड़कों की तादाद वहां पर ज्यादा है। उसका कारण यह है कि उन्होंने अंग्रेजी नहीं छोड़ी। जो वहां पर काम होता है, बड़े-बड़े इम्तिहान होते हैं उनके लिये अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। सम्भवतः हिन्दी, उर्दू, तामिल, तैलगू और कैनरीज के लिये अंग्रेजी की आवश्यकता न पड़े, हिस्ट्री, ज्योगरफी, सिविक्स, इकोनामिक्स के लिये अंग्रेजी की जरूरत न हो, परन्तु मेरा निवेदन है कि जब यहां पर साइन्स पढ़ाई जाती है तो उसके लिये आप किस तरह से इक्वीवलन्ट्स तैयार करके समझायेंगे? अगर मैथमेटिक्स पढ़ायेंगे तो उसके किस तरह से इक्वीवलेन्ट्स तैयार करेंगे या टैक्नोलाजी को पढ़ाना है तो उसके लिये किस तरह से करेंगे? इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको कम्पलसरी मत कीजिये तो इसको आप्शनल तो रखिये। शनैः शनैः समय इसको खुद ही ठीक कर देगा। दूसरी बात यह है कि आप यह बात याद करें कि संसार में अंग्रेजी एक प्रचलित भाषा है और अगर मुल्कों की मर्दुमशुमारी लगावें तो अधिक देशों में अंग्रेजी भाषा प्रचलित पायेंगे। मेरा मतलब इंगलैंड वाली अंग्रेजी से नहीं है। मेरा मतलब उस अंग्रेजी से भी है जो कनाडा में बोली जाती है, जो अमरीका में बोली जाती है, जो स्वेडन में बोली जाती है, जो नार्वे में बोली जाती है और हिन्दुस्तान में बोली जाती है और श्रीमन्, रूस में भी बोली जाती है। वही फारेन लैंगवेज आज वहां बच्चों को दी जाती है। यहां पर उसकी फाउन्डेशन जम चुकी है उसको अगर हम उखाड़ दें तो यह उचित नहीं होगा। मैंने जैसा कहा कि मैं हिन्दी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो लड़के अंग्रेजी पढ़ना चाहें उनको उससे वंचित नहीं रखना चाहिये और जो पढ़ना नहीं चाहते उन पर जबर्दस्ती भी मत लादिये। इन शब्दों के बाद मैं और समय नहीं लेना चाहता। केवल इतना दुबारा अर्ज करना चाहता हूं कि अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं वैकल्पिक होना चाहिये।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण—यह प्रश्न श्रीमन्, बड़ा आवश्यक है और बहुत विवादास्पद है। यह अंग्रेजी हटाने का जो प्रश्न है वह केवल भाषा का ही प्रश्न हमारे देश के लिये नहीं है इसका संबंध रोटी और कपड़े से भी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार अच्छी तरह से होना चाहिये। सरकारी रुख का भी अच्छी तरह से प्रदर्शन होना चाहिये कि आखिर वह अंग्रेजी को रखना क्यों अनिवार्य समझती है जैसा कि आपने कहा था कि आठ वर्ष हो गये और अंग्रेजी को हटाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—तो आप इसका विरोध करते हैं ?

श्री राजनारायण—जी हां। मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी एलाउ न करें और भाषण होने दें।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है। दो भाषणों के बाद मैं इस पर राय ले लूंगा।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प भवन के सामने प्रस्तुत है मैं उसके पिछले हिस्से का विरोध करता हूं, लेकिन पहले हिस्से में जो कहा गया है कि देश में हिन्दी का प्रसार करने के लिये सरकार को जरूर कोशिश करनी चाहिये, इसके पीछे मैं एक बात अनुभव करता हूं कि जिन सज्जनों ने इसका समर्थन किया है और इसे मूव किया है वे खामखाह हिन्दी के प्रचारक बन रहे हैं। उनके दो ही मंशा हो सकते हैं। मैं कोई मोटिव "अटैच नहीं करता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक शब्द अंग्रेजी में है चीप पापुलैरिटी, उसे पाने के लिये, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिये और इसलिये कि हो सकता है कि यह प्रस्ताव उनको अगले एलेक्शन के मौके पर काम दे, वे इसको लाये हैं। वरना जो काम प्रदेशीय हुकूमत या सेन्टर की हुकूमत कर रही है हिन्दी के प्रचार के लिये वह किसी तरह से कम नहीं है। मेरी यह सूचना है कि न सिर्फ यहां बल्कि मद्रास में भी, जैसा गौहाटी कांग्रेस में वहां के एक मिनिस्टर ने बताया था जितने हिन्दी के क्लासेज यहां उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उससे ज्यादा वहां लगते हैं और लोग ज्यादा तादाद में हिन्दी वहां पढ़ रहे हैं। जहां तक डिफेंस पर्सनल्स का ताल्लुक है उनके भी बाकायदा क्लासेज लगते हैं और उनके यहां हिन्दी का इम्तहान पास करना जरूरी हो गया है और यहां तो सारी कार्यवाही ही हिन्दी में होती है। इसके बाद बार-बार इसकी मांग करना कोई माने नहीं रखता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार कह चुके हैं और साथ ही मैं पंजाब का भी जिक्र कर दूं, वहां हिन्दी के रक्षक सत्याग्रह कर रहे हैं और कमेटियां बनी हुई हैं, हालांकि हिन्दी राज भाषा है. . . . . .

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर। यह प्रस्ताव जो है इसमें कहीं हिन्दी की बात नहीं है। प्रस्ताव है अंग्रेजी की शिक्षा समाप्त करने के लिये। माननीय सदस्य अपने भाषण में प्रस्ताव को दूसरे रूप में रखना चाहते हैं, तो क्या यह उचित है ?

श्री तेजासिंह—मैंने कहा कि मैं पहले हिस्से का विरोध नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि हिन्दी के प्रचार के लिये हम सब को कोशिश करनी चाहिये और वह हो रही है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो हिन्दी के रक्षक बने हुए हैं वह खामखाह इस प्रश्न को उठा कर देश में संकट पैदा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मैं पंजाब का जिक्र कर रहा था कि वहां राज भाषा हिन्दी है। हर एक लड़के के लिये हिन्दी पढ़ना जरूरी है और जब तक वह हिन्दी नहीं जानता उसको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन एक शब्द है इंफीरियारिटी कम्प्लेक्स, मैं नहीं जानता कि इसका हिन्दी में तरजुमा क्या होता है. . . . .

श्री राजनारायण—इसका अनुवाद है हीनभाव-ग्रस्त।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तेजासिंह—तो उन सज्जनों के दिमाग में इंफीरियारिटी कम्प्लेक्स है कि अगर एक बच्चा हिन्दी भी पढ़े और अंग्रेजी भी पढ़े तो शायद यह ठीक न हो। मैं अंग्रेजी के हक में नहीं हूं कि अंग्रेजी जरूर ही पढ़ायी जाय, लेकिन जिस तरीके से यह प्रस्ताव लाया गया है कि कानूनी तौर पर अगर कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ना चाहता है या उसके मां बाप उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो भी उनको मजबूरी हो कि वे नहीं पढ़ा सकते, उसको जरूर हिन्दी पढ़ाना होगा, यह तरीका गलत है। आज तो सिर्फ अंग्रेजी को बन्द किया जा रहा है। कल को दोस्तों के दिल के में खयाल आवे कि अंग्रेजी तो खत्म हो गई, अब चलो मद्रासी और बंगाली के लिये करो और फिर पंजाबी के लिये करो कि ये भी बन्द की जावें। लेकिन इस वक्त भी पंजाबी के पढ़ाने का यहाँ स्कूलों में कोई इन्तजाम नहीं है। फिर भी, घरों में बच्चे पढ़ते हैं। परन्तु अगर कानूनी तौर पर बन्द कर दिया जाय तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। इसलिये मैं दूसरे हिस्से का विरोध करता हूं। यह एक ऐसा रिवाज पड़ जायगा कि बाकी सब जबानों को बन्द कर दो। हम बच्चों को हिन्दी पढ़ाना चाहते हैं। अगर हिन्दी के प्रचार के लिये जो कुछ भी सेन्टर और प्रदेशीय सरकारें कर रही हैं वह कम हैं तो और ज्यादा करें। अंग्रेजी चीजें यहां बाकी हैं। जो वह खुद कर रहे हैं, चाय होटलों में जाकर मेज और कुर्सी पर बैठ कर पीते हैं, वह भी अंग्रेजी है, बूट बाटा का पहनते हैं, वह भी अंग्रेजी है, या हवाई जहाज या रेलगाड़ी पर चढ़ते हैं, यह भी सब अंग्रेजी है। अंग्रेजी जमाने में अंग्रेजी वाले हिन्दी वालों के मुकाबले में अकड़ कर चलते थे तो हमें खयाल आता था कि हिन्दी को प्रोत्साहन देना चाहिये। आयुर्वेद के कालेज के बच्चे वैद्य नहीं कहलाना चाहते हैं चूंकि यह हिन्दी का शब्द है, वे डाक्टर कहलाना चाहते हैं, इसके लिये कई ने भूख हड़ताल की और मरने के लिये तैयार हो गये, हालांकि कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी चीज के खिलाफ तो आप जरुर आन्दोलन करें। आपके बच्चे दूसरे प्रान्तों में मुलाजिम होकर जावेंगे, यू० एन० ओ० और अमरीका में जा रहे हैं, उन्हें दिक्कत पड़ जायगी। इसलिये मेरा खयाल है कि इस संकल्प का दूसरा हिस्सा नहीं होना चाहिये।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से दोनों तरफ की बातें सुनता रहा हूं। मैंने यह भी सुना कि अगर आज अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाय तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी के लिये शब्द, टर्म्स और ग्रन्थ कहां से आवेंगे। मैं अपने पुराने साहित्य की तरफ जाऊं तो बहुत देर लग जायगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क का उदाहरण मैं पेश करता हूं। रूस के एक भी बेटे और बेटी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी और रूस आज विज्ञान में सबसे आगे है। हमारे अन्दर जो हीनता की भावना है वह कहलवाती है कि यदि अंग्रेजी मिट गई तो हम आज का विज्ञान प्राप्त न कर सकेंगे। अलूमे जदीदा की तहसील न हो सकेगी। यह सिर्फ अंग्रेजी परस्त लोग ही कह सकते हैं। क्या हमारे यहां इतिहास में पुष्पक विमान या ब्रह्मास्त्र नहीं हैं? कौन सी ऐसी नई ईजाद है जो हमारे ग्रन्थों में नहीं है? दूसरे मुल्कों के लोगों ने अपनी राष्ट्रभाषा का इतना आदर किया है, सत्कार और प्रेम किया है कि उसे और राष्ट्र को एक मानते हैं। जो अपने आपको भारतवासी कहता है, अपने आपको इस राष्ट्र का सेवक कहता है उसकी जबान सिर्फ हिन्दी हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। चुनांचे हमने देखा कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जब रूस में हमारी ऐम्बेसेडर बन कर तशरीफ ले गयीं तो जिस वक्त उन्होंने अपने क्रेडेन्शियल्स स्टैलिन के सामने अंग्रेजी में पढ़ने आरम्भ किये तो मिस्टर स्टेलिन ने उनको रोक दिया और कहा कि या तो उनको अपनी जबान हिन्दी में पढ़ो या रूस की भाषा में, तीसरी भाषा में उनको मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें अभी तक अंग्रेजी से मोह बना हुआ है।

मेरे एक मित्र माननीय वीरसेन जी ने कहा कि इस अंग्रेजी के कारण हमें आजादी मिली है, इसी के कारण हमने गुलामी के बंधनों को तोड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है। उन्हीं अंग्रेजी के ठेकेदारों ने जिन्होंने माननीय वीरसेन जी को आजादी का पाठ पढ़ाया, लेबनान को हड़प करने की कोशिश की, जोर्डन में अपनी फौजें जमा कर दीं, मिश्र के अन्दर खून की नदियां बहा कर भी चाहते थे कि वहां उनकी सल्तनत कायम रहे, उन्हीं लोगों की जबान के बारे में

वीरसेन जी खयाल करते हैं कि उससे आजादी की तालीम फैली। चाहे वह झांसी की रानी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने वाले दूसरे लोग हों, चाहे वह विजय सिंह पथिक हों, वे लोग अंग्रेजी बिलकुल नहीं जानते थे, लेकिन उनके अन्दर आजादी का शोला जलता था। आज बड़ा अफसोस है कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा के लिये भी प्रस्ताव पेश करना पड़ता है।

अंग्रेजी के लिए जो लोग कहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हो जायगी, मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि अगर ऐसा विचार किया गया तो अंग्रेजी त्रिकाल में में भी नहीं जा सकती। आज अगर योग्य हाथों में देश की बागडोर होती तो जिस वक्त अंग्रेज लोग यहां से गये थे उनके साथ-साथ अंग्रेजी भी चली गयी होती। जिन देशों में अंग्रेजी बोली जाती है वहां ऐसे ही लोग हैं जो मेहनतकश जनता को गुलाम बनाये रखना चाहते हैं। उनके अलावा मेरे लायक दोस्त शाह साहब ने एक दफा भी रूस और चीन का नाम नहीं लिया जो मेहनतकश जनता को उसकी आजादी की राह दिखाना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने उन मुल्कों का नाम लिया जो अपनी आजादी तो कायम रखना चाहते हैं और दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने रिऐक्शनरी देशों का ही नाम लिया।

इसलिये मेरी आपसे यही अर्ज है कि हिन्दोस्तान की आजादी और हिन्दी इन दोनों चीजों का एक ही अर्थ है, उनके अलहदा अलहदा अर्थ कदापि नहीं हो सकते। आयरलैन्ड में मिस्टर डि वेलरा ने कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम आजादी और मातृ भाषा में किसको तरजीह देना चाहते हो तो मैं अपनी मातृभाषा गैलिक को तरजीह दूंगा क्योंकि उससे आजादी का सबक लेकर हमारे नौजवान एक साल के अन्दर ही आयरलैण्ड को आजाद कर लेंगे।

जब गुलामी आती है तो जहनियत भी गुलाम हो जाती है और लोग दूसरी भाषा से प्रेम करने लगते हैं और यही कारण है कि आज हमारे यहां लोग उस भाषा से प्रेम करते हैं जो ५-६ हजार मील की दूरी पर रायज है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ठीक ही कहा था:

पर भाषा, पर भाव, पर वाहन, पर परिधान,
पराधीन जन की अहै, यह पूरी पहिचान।

जो दूसरे की भाषा को चाहते हैं, मेरा खयाल है कि, वे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अच्छा तो यह होता कि जिस दिन हमें आजादी मिली उसी दिन सब भेदभाव भुला कर हिन्दी राष्ट्रभाषा कर दी जाती। आज उर्दू हिन्दी का एक जहर घोला जा रहा है। उर्दू जबान जो हमारे ही मुल्क में पैदा हुई, हमारे मुल्क के सिवाय किसी दूसरे मुल्क में बोली नहीं जाती है, उस जबान को आप गैर की जबान कहते हैं और अंग्रेजी जबान को आप और अगले १५-१६ साल तक चलाना चाहते हैं। हिन्दी के बाद हिन्दोस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर कोई जबान आती है तो वह उर्दू ही है। अगर हिन्दी हमारी प्रधान भाषा है तो उर्दू हमारी गौण भाषा है। इन दोनों जबानों को छोड़ कर पांच हजार मील की जबान से हम मुहब्बत करते हैं, यह कभी भी देशभक्ति की परिचायक नहीं हो सकती।

मेरे काबिल दोस्त तेजासिंह जी अपने दिल की बात कह गये। सरदार प्रतापसिंह कैरों के दिल में जो बात समाई हुई है वह उसको कह गये। उसके लिये एक शैर बहुत ही मौजूं याद आया जिसको मैं कह देना चाहता हूं —

"उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है, बात उनकी,
उन्हीं की महफ़िल संवारता हूं, चिराग मेरा है, रात उनकी।"

जिस पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने तीन-तीन साल की बच्चियों को और दुध मुंहे बच्चों को संगीनों की नोक पर सिर्फ इसलिये उछाला कि वे हिन्दी भाषा के गीत गा रहे थे, सिर्फ इसलिये नौजवानों का वध किया गया कि वे हिन्दी भाषा के नगमे गा रहे थे। वही बात सरदार तेजा सिंह जी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह बहुत अनुचित है कि आप किसी दूसरे प्रान्त की सरकार के ऊपर इस तरह से आक्षेप करें ।

श्री यशपालसिंह—सरदार तेजा सिंह जी के मुंह से निकल गया, इसलिए मुझसे भी कहा गया । यदि अनुचित हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं । यदि कोई ऐसी बात है तो उन अल्फाज को मैं वापस लेता हूं । मेरा निवेदन यह है कि यदि इस देश की नौका को आगे ले जाना है, यदि इस देश के बच्चों के अन्दर मातृभूमि के प्रति देशभक्ति की भावना भरनी है तो आपको एक कलम अंग्रेजी भाषा को खत्म करना पड़ेगा । हम १० वर्ष से इस लानत को अपने ऊपर स्वतंत्र होने के बाद भी लादे रहे । मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिये कांग्रेस के अनुशासन से माननीय सदस्यों को अलग कर दिया जाय, और थोड़ी देर के लिये उनके दिल से इस डर को हटा दिया जाय कि कांग्रेस पार्टी डिसिप्लीनरी ऐक्शन नहीं लेगी या आइन्दा टिकट नहीं दिया जायगा, यह डर हटा दिया जाय और ईमानदारी से राय ली जाय तो मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन में मुश्किल से सिर्फ पांच सदस्य मिलेंगे जो आज भी अंग्रेजी के गीत गा रहे हैं । इस वक्त सारे सदन से मेरी यह प्रार्थना है और खासतौर से अध्यक्ष महोदय के जरिये अपने उप मंत्री जी से जो यहां तशरीफ फरमां हैं, यह प्रार्थना है कि हम अपनी कौमी जबान में, हमारी जो भावनायें हैं, हमारे जो जजबात हैं उनका इजहार कर सकते हैं । लेकिन अंग्रेजी जबान में हम अपनी मनोभावना का, अपनी देशभक्ति का और अपने जजबात का इजहार अच्छी तरह से हरगिज हरगिज नहीं कर सकते हैं । मिसाल के तौर पर मैं एक बात कह दूं, अगर आप उसे बुरा न मानें । मैंने भी एम० ए० तक इंगलिश पढ़ी है । लेकिन मेरे अन्दर इंगलिश का मोह नहीं है परभाषा की गुलामी नहीं है । हमारे यहां माता को पूज्या, श्रद्धेया, स्वर्गतुल्या, मखदूमा या मोअज्जिमा कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में लोग माता के लिये भी "माई डियर" लिखेंगे और वाईफ के लिये भी "माई डियर" ही लिखेंगे । हमारी भाषा में जो भाव है वह अंग्रेजी भाषा में नहीं आ सकता । इसी तरह से सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के लिये अंग्रेजी में पब्लिक वर्कर 'पब्लिक मैन' से हम सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं । लेकिन अगर सार्वजनिक कार्यकर्त्री की अंग्रेजी लिखें तो उसके लिये पब्लिक विमेन लिखना पड़ेगा पब्लिक विमेन का अर्थ इतना अश्लील हो जाता है कि जिसको मैं इस आदरणीय सदन के सामने अपने मुंह से कहना उचित नहीं समझता । जिस भाषा को महात्मा गांधी जैसे देशभक्त ने बढ़ाया, जिस भाषा को पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे देश नेताओं ने बढ़ाया, जिस भाषा को अमर शहीद अशफाक उल्ला खां जैसे रत्न ने बढ़ाया उस भाषा को आगे बढ़ाना हमारा और आपका सबसे पहला कर्त्तव्य है । हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है कि हम हिन्दी को अपने घरों में ही शुरू करें और अंग्रेजी को एकदम एक कलम खत्म कर दें । अगर इसको अभी खत्म नहीं करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता इसका भूत हमारे ऊपर सवार हो जायगा । अभी वक्त है "नाऊ आर नैवर" (now or never) अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा ।

मुझे याद है कि सन् १९२३ में जापान सरकार को यह कानून बनाना पड़ा था कि जो बच्चे घरों में "डैडी" और "ममी" का प्रयोग करेंगे उनके माता-पिता को जेलखाने में जाना पड़ेगा और तभी जापान में डैडी और ममी का प्रयोग बन्द हुआ । हमारे 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव" का सिद्धान्त है । लेकिन उनके यहां डैडी और ममी सब कुछ है । क्या वह उच्च भाव अंग्रेजी भाषा में आ सकता है जो हमारे यहां की भाषा में है ? हरगिज नहीं । मैं किसी तरह की लाग लपेट न रखते हुए साफ कहना चाहता हूं कि चाहे सरदार तेजासिंह कितने ही बड़े आदमियों का नाम कोट करें, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है । इस देश की मातृभाषा हिन्दी में रहीम, रसखान जैसे मुसलमान कवि हुए हैं । इसी देश की मातृभाषा हिन्दी में आलम जैसे कवि हुए हैं, और इसी देश की मातृभाषा में सूरदास और तुलसीदास जैसे पथ-दर्शक हुए हैं । जिस भाषा में आज इस असेम्बली का काम हो रहा है , या इंजीनियरिंग का काम हो रहा है वही भाषा, मातृभाषा है । और अगर हम यही धारणा कर लें कि अंग्रेजी धीरे-धीरे चली जायगी तो यह हर्गिज नहीं जा सकती । अंग्रेजी को

श्री राजगोपालाचार्य जैसे वकील मिले हुए हैं । कुछ ही दिनों में यह हौवा इतना हावी हो जायगा कि हम इससे अपना पिंड नहीं छुड़ा सकेंगे ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में कांग्रेस और नान-कांग्रेस का सवाल छोड़ दें , इस मामले में आप अपोजिशन और सत्तारूढ़ दल का सवाल छोड़ दें और प्योरली पैट्रियाटिक बेसिस पर इसको सोचें, अपना निर्णय करें और अगर आप सोचेंगे तो कोई ईमानदार आदमी यह आज नहीं कह सकता कि हिन्दी के सिवा और कोई भाषा हो सकती है जो दस बीस दिन के लिये भी इस देश में रखी जा सके । अंग्रेजी खत्म हो रही है, खत्म होकर रहेगी और जो आगे आकर कदम बढ़ायेगा वह अमीरी हासिल करेगा और वह इसमें फतेहयाब होगा । जो पीछे रह जायगा वह फेल होगा । हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने इस प्रस्ताव को पेश किया और वे हमारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं । उन्होंने यह मशाल जलायी है । वे इस मामले में हमारे लिये अनुकरणीय हैं और आदर्श हैं । मैं यह कहने के लिये उद्यत हूं कि जिस अंग्रेजी जबान को रूस ने निकाल दिया, चीन ने जिस जबान को अपने यहां से निकाल दिया, यूगोस्लेविया में जिसे निकाल दिया गया है और जो अंग्रेजी जबान हमारे एशियाई मुल्कों की आजादी को हड़प कर लेना चाहती है और जिसे मिश्र के ढाई करोड़ आदमियों ने निकाल बाहर कर दिया, तो क्या हमारे प्रान्त के साढ़े छः करोड़ आदमी उस अंग्रेजी भाषा को बाहर नहीं निकाल सकते ? हम यह कार्य फौरन करेंगे । अगर एशिया की आजादी को कायम रखना है और अपनी, अपने प्रदेश की, आजादी को कायम रखना है तो हिन्दी को प्रतिष्ठित करना होगा और अंग्रेजी जबान को एक कलम समाप्त करना होगा । माननीय रामसिंह जी के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए । मैं समर्थन करता हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, मैं ५, ६ रोज से बीमार पड़ा था । आज मैंने सुना कि यहां पर एक प्रस्ताव अंग्रेजी के हटाने के संबंध में श्रीमान् रामसिंह जी चौहान ने रखा है । मेरा भी विचार हुआ कि मैं कुछ कहूं । मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आपसे बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि आप मुझे कभी-कभी समय बोलने का दे देते हैं ।

अंग्रेजी के बारे में आज बातचीत चल रही है । बहुत से हमारे भाई अंग्रेजी का सीखना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं । कुछ लोग बीच में पड़ रहे हैं कि भाई इधर हिन्दी का भी समर्थन करो और अंग्रेजी वालों से भी मिले रहो । दोनों तरफ अपना-अपना काबू रखो । अंग्रेजी खत्म हो तो हिन्दी वालों से मिल जाओ और अंग्रेजी कायम रही तो अंग्रेजी वालों के साथ और हिन्दी की जीत हो तो हिन्दी वालों से चिपट जाओ । इधर नेता लोगों की बात देखिये । नेता लोग अंग्रेजी में भाषण देते हैं, अंग्रेजी में प्रस्ताव बनाते हैं । जिनको हिन्दी में बोलना नहीं आता , दस अक्षर हिन्दी में कहते हैं तो पन्द्रह अक्षर अंग्रेजी में कहते हैं और अगर आज हिन्दी में व्याख्यान देने के लिये इनसे कह दिया जाय तो ये सदन से बाहर निकाल दिये जायेंगे किसी को बोलना नहीं आवेगा । मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता अपने दिल की बात कहता हूं ।

महात्मा गांधी कहा करते थे कि मुझे अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं है, गोरी चमड़ी से कोई दुश्मनी नहीं है चाहे कोई गोरा हो या काला हो, लेकिन चाहे स्वराज्य पचास साल पीछे मिले हमें इस अंग्रेजियत को खत्म करना है, उसको मिटा देना है । जिसने हमें गुलामी के भयंकर शिकन्जे में जकड़ रक्खा है । मुझे याद है श्रीमन्, गांधी जी के वे शब्द जो सन् १९२१ नहीं-नहीं पहली अगस्त, सन् १९२० को कहे थे । पहली अगस्त, सन् १९२० का दिन हमारे देश के लिये अच्छा दिन था वह एक खुशी का दिन था । विश्व में तीन विशेष घटनायें हुई हैं । पहली घटना तो १ अगस्त, सन् १९२० को हुई जब कि गांधी जी ने हमको सत्य और अहिंसा का शस्त्र

[श्री टीकाराम पुजारी]

दिया था। सन् १९४७, १५ अगस्त विश्व घटना नहीं थी यह तो हमारे लिये उत्सव, त्योहार का दिन था। दूसरी विश्व घटना सन् १९०५ में हुई जब कि जापान ने रूस को हराया था जो काले देश की एक जीत थी और तीसरी विश्व घटना सन् १९५६ में हुई जब कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये तीन विश्व घटनायें हुई हैं। यह मैंने आप को मोटी-मोटी बातें बतलाई हैं। जब गांधी जी ने हम लोगों को यह नया शस्त्र दिया तो सभी लोग कांग्रेस में शामिल हुये। व्यापारी कांग्रेस में आये, किसान कांग्रेस में आये, वकील कांग्रेस में आये, डाक्टर कांग्रेस में आये, पूंजीपति कांग्रेस में आयें, और मिल मालिक कांग्रेस में आये। मिल मालिक तो कांग्रेस में इसलिये आये कि मैनचस्टर लंकाशायर कारखाने बन्द हो जायेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा। अंग्रेज यहां से चले जायेंगे और व्यापार की तरक्की होगी क्योंकि फिर देश का ही कपड़ा होगा। वकीलों ने सोचा कि हमारी भी तरक्की होगी। इसलिये सब ने मिल कर सत्य और अहिंसा का शस्त्र लेकर अंग्रेजी झाड़ी को यहां से मिटा डाला। लेकिन उसका फल किसको मिला? टाटा को मिला, बिरला को मिला, डालमिया को मिला, उसमानी को मिला, हीराचन्द्र, वालचन्द्र को मिला, पदमपत सिंघानिया को मिला और बेचारा मजदूर, गरीब भकटता ही रहा। डाक्टर, वकील और नेताओं को स्वराज्य मिला, लेकिन जनता को स्वराज्य नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य शांति पूर्वक बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी--कहा गया था कि किसान और मजदूरों का राज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--आप जरा शान्ति से बोलिये।

श्री टीकाराम पुजारी--जब तक अंग्रेजी नहीं जायेगी तब तक चैन नहीं होगा। क्यों कि अंग्रेजी झाड़ियों को तो काट दिया, लेकिन उन झाड़ियों के डूंड़ रह गये हैं। जब तक वे जड़ से नहीं उखाड़े जायेंगे तब तक न तो वर्ग विहीन समाज बनेगा और न गरीब, किसान, मजदूरों का राज्य होगा। राजनीति अंग्रेजी में तब तक साधारण की बात न मनेगी।

थोरे न हो की राजनीति है अब छन रही है ऐसी ही छनेगी।
जिन्हीं के हाथ राजसत्ता की करीं खींच कमान तनेगी,
भाषण देंगे, तेन, तुम्हारे जो वर्ग विहीन समाज बनेगी।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री टीकाराम पुजारी--अन्त में प्रार्थना है कि जब तक अंग्रेजी की सफाई नहीं होगी तब तक मजदूर किसान का राज नहीं बन सकता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन आदरणीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे संकल्प का समर्थन किया है। आदरणीय, मैं अपने संकल्प के समर्थकों को सादर सप्रेम धन्यवाद देता हूं और उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका विरोध किया है। वह इसलिये कि मैं समझता हूं कि शायद

यदि वह मैकाले, वेलिंग्टन और डायर की सच्ची सन्तान भी होते तो भी इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी का समर्थन नहीं करते। मुझे दुःख है कि अंग्रेजों की दासता तो किसी तरह हट गई, लेकिन आज अंग्रेजों की अंग्रेजी की दासता में हम फंस गए हैं और पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। खैर, मुझे कोई इसका दुख नहीं है जो आज उनकी दासता में रहना चाहते हैं रहें, लेकिन अपनी सन्तान को तो वैसा ही दास बनाने की बात न करें। मेरे इस प्रस्ताव के ऊपर दुनिया भर के किस्से उठा दिये गए। मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। अंग्रेजी की दासता में ही कोई अपना स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो मुझे क्या इसमें एतराज हो सकता है, लेकिन भावी सन्तानों के लिये तो कुछ सोचिए, मेरी केवल यही प्रार्थना है और मैं समझता हूं कि सदन मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा।

*श्री कैलाशप्रकाश--अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के संबंध में जो विवाद इस माननीय सदन में हुआ बहुत ध्यान से मैंने उसे सुना। विवाद अधिकांश में इस बात पर हुआ कि अंग्रेजी रहे या न रहे। जहां तक यह प्रस्ताव है उसका आशय मैं यह समझा हूं, यहां पर अधिकांश में भाषण इस रूप में हुए जैसे कि हम हिन्दी की भाषा को कुछ प्रदेश की भाषा बनाने जा रहे हैं या राष्ट्र की भाषा बनाने जा रहे हैं। श्रीमन्, जहां तक हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने का संबंध है उसमें शासन और इस ओर के लोग कुछ कम उत्साहित नहीं हैं। हिन्दी भाषा को जितना भी हो उतना प्रोत्साहन दिया जाय और इस प्रदेश में दिया जा रहा है। किन्तु मैं यह नहीं समझता कि हिन्दी भाषा इतनी कमजोर है या निर्बल है कि उसे किसी दूसरी भाषा से खतरा है। अगर किसी दूसरी भाषा का वहिष्कार नहीं होगा तो हिन्दी भाषा पनप नहीं पायेगी ऐसा मेरा विचार नहीं है। हिन्दी भाषा स्वयं सबल है और अन्य भाषाओं के साथ भी वह अपना एक स्थान रखती है। यहां अधिकांश में प्रश्न यह उठा कि अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान हो। जैसा मैंने निवेदन किया मैं इस प्रस्ताव का यह आशय नहीं समझता हूं। अंग्रेजी भाषा का स्थान क्या हो हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे देश में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह इतना महत्वपूर्ण है कि केवल भावुकता के आधार पर इस पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिये। इस प्रश्न का संबंध हमारे देश के समस्त विकास से है। अंग्रेजी भाषा एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी है। आजकल अपने देश में भी उसका उपयोग है। इसी कारण संविधान ने एक अवधि उसके लिये निर्धारित की है। उधर से मेरे माननीय मित्र ने कहा, सही कहा कि यह विज्ञान का युग है, टेक्नोलाजी का युग है। इन सब चीजों के लिये हमारे पाठ्य-क्रम में क्या अंग्रेजी का स्थान हो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस थोड़े से समय में मैं उस प्रश्न पर कोई अपना विचार व्यक्त करना नहीं चाहता हूं और इस प्रस्ताव से उसका विशेष सम्बन्ध भी नहीं है। प्रस्ताव का जो आशय मैं समझा वह इतना है कि इस प्रदेश में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई किस स्थान से शुरू की जाय।

प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई चाहे वैकल्पिक रूप में हो और चाहे अनिवार्य रूप में हो १२ वर्ष की आयु के पश्चात शुरू की जाय, उससे पहले नहीं। तो यह तो स्पष्ट है इस बात में कि प्रस्तावक महोदय का भी यह विचार नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का वहिष्कार कर दिया जाय। हां, उनका अपना कुछ विचार हो, उस तरह का वह प्रचार भी करते हों। किन्तु जहां तक कि प्रस्ताव का संबंध है इसमें बिलकुल यह बात नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का वहिष्कार करना चाहते हैं या यह प्रश्न विचारनीय नहीं है कि अंग्रेजी भाषा रहे। यहां केवल यह है कि इस अंग्रेजी भाषा को किस स्तर पर प्रारम्भ करें। और उनका मंशा यही है कि १२ वर्ष की आयु से उसको प्रारम्भ करें। मैं सैद्धान्तिक दृष्टि से भी और व्यावहारिक दृष्टि से भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाई पाता हूं। सैद्धान्तिक बात तो यह है कि चाहा यह जाता है कि कानूनन किसी को इस बात की आज्ञा न दी जाय कि यदि वह अंग्रेजी पढ़ाना भी चाहता हो तो भी अंग्रेजी न पढ़ा सके, रोक लगा दी जाय अंग्रेजी पर, वहिष्कार कर दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

श्रीमन्, हमने प्रजातन्त्र की स्थापना की है और प्रजातन्त्र में जहां तक हो सके समाज के लिये अगर वह अहितकर न हो तो लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना विकास करने का, विद्या उपार्जन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष- -मैं समझता हूं आप अपना भाषण दूसरे असरकारी दिन जारी रखेंगे

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २५ अगस्त, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२२ अगस्त, १९५८ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

घरेलू कार्यों तथा उद्योगों के लिये दी गई बिजली का व्योरा

	उद्योग कार्य में	घरेलू कार्य में
	मिलयन यूनिट	मिलयन यूनिट
१९५६ ..	१५४·६	२२·२
१९५७ ..	१८०·७	२३·६
१९५८ ..	१८८·८	२५·४

नोट--दरों की सूची संलग्न है ।

१०--गत चार वर्षों का प्रशासनिक व्यय तथा ब्याज अदा करने के पश्चात हुए लाभ का व्यौरा निम्नलिखित है :

	३१-३-५४	३१-३-५५	३१-३-५६	३१-३-५७	
प्रशासनिक व्यय ..	९·७५	९·६९	९·७४	१०·४८	लाख
लाभ ..	६·१०	२३·८७	२०·४१	२८·४३	रुपया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७९ पर)

जिले	कस्बे	धनराशि
१—फतेहपुर ..	बिन्दकी, खजुहा, फतेहपुर ..	७,४६,०००
२—बहराइच ..	नानपारा, पयागपुर, रिसिया ..	४,०२,६०१
३—गोंडा ..	उत्तरौला, नवाबगंज, मानिकपुर, क्लोनेलगंज, तुलसीपुर	५,६९,०१३
४—वाराणसी ..	ग्यानपुर, भदोई, गोपीगंज ..	(–)७,८०,६६०
५—आजमगढ़ ..	फूलपुर ..	४,४०,२०४
६—जौनपुर ..	मछलीशहर, शाहगंज, बादशाहपुर ..	(–)२,७७,४२५
७—बरेली ..	नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर ..	१,१०,०८१
८—शाहजहांपुर ..	पवायन, जलालाबाद ..	(–)२,२८,०८६
९—खीरी ..	मोहम्मदी	३१,५४४
१०—सीतापुर ..	मिसरिख	(–)१२,९६,३४३
११—गोरखपुर ..	सिसवाबाजार	६५,९१६
१२—इलाहाबाद ..	फूलपुर, जंघई	(–) २,५५५
१३—कानपुर ..	अकबरपुर, पुखरायां, गौसगंज, महराजगंज	१२,५२,१९१
१४—जालौन ..	जालौन, कालपी, उरई ..	३,२९,०००
	जोड़ ..	१३,६१,४८१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७९ पर)

सन् १९५७–५८ में हरिजन छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकीय अनुदान का विवरण

विवरण	प्राइमरी	मिडिल	हाई स्कूल	इन्टरमीडिएट	योग
छात्रवृति	२९६	१३८	४०	७	४८१
मुफ्त पुस्तक व लेखन सामग्री	१,४७८	५९१	..	..	२,०६९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ. ७९१.. पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिये यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी०, ऐक्ट ३, १९४७।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हो जायेगा;

यह इष्टकर और आवश्यक है कि उक्त ऐक्ट को ३० सितम्बर, १९६३ तक जारी रखने की व्यवस्था की जाय;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५८" कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा१ का संशोधन।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इक्विक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "1958" के स्थान पर संख्या "1963" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

नागर क्षेत्रों में मकानों का निर्माण जन-संख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं हो पाया है। आवास की कमी के कारण उपलब्ध आवासों को किराये पर उठाने पर नियंत्रण तथा बेदखली पर निरोध बनाये रखना आवश्यक है।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हो जायगा। उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८, उस ऐक्ट का कार्यकाल ३० सितम्बर, १९६३ तक बढ़ाने के निमित्त पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ...७९१....पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९४८ को समाप्त हो जायगा और यह इष्टकर है कि उक्त ऐक्ट को ३० सितम्बर, १९६३ तक जारी रखने की व्यवस्था की जाय;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८" कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "1958" के स्थान पर संख्या "1963" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हो जायगा। किन्तु मकानों की समस्या अब भी जटिल है। शासकीय कार्य-क्षेत्र दृढ़ता से विस्तृत होता गया है तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ के सहारे ही कार्यालयों और कर्मचारियों के लिये आवास प्राप्त कर लेना सदैव सम्भव नहीं होता है। अतएव, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवासों के अधिग्रहण की शक्ति बनाए रखना आवश्यक है तदनुसार इस ऐक्ट के कार्यकाल को पांच वर्ष तक और बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
मंत्री,
न्याय तथा खाद्य विभाग।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ. . . ७९१ . . पर)

उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक १९५८

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में गोदामों के अधीक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय तथा उनके उचित अधीक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८" कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा तुरंत प्रचलित होगी तथा शेष उपबंध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषायें

२--विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :--

(क) "सहकारी समिति" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड अथवा रजिस्टर्ड समझी गयी समिति से है ;

(ख) "निक्षेप्ता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपना माल गोदाम-परिचालक को गोदाम में जमा रखने के लिये देता है तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो गोदाम परिचालक द्वारा जमा किये गये माल के सम्बन्ध में दी गई रसीद का सम्यक् अनुक्रम से धारी हो और जो सम्यक् पृष्ठांकन या हस्तान्तरण द्वारा निक्षेप्ता या उसके वैध हस्तान्तरी से माल में स्वत्व प्राप्त करे;

(ग) "माल" का तात्पर्य ऐसी वस्तु अथवा वस्तुओं से है जो नियत की जायं ;

(घ) "लाइसेंस" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन स्वीकृत अथवा धारा ६ के अधीन नवीकृत लाइसेंस से है ;

(ङ) "लाइसेंस-प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन लाइसेंस-प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन एवं उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(छ) "रसीद" का तात्पर्य नियत प्रपत्र में गोदाम की रसीद से है जो गोदाम-परिचालक द्वारा निक्षेप्ता को दी जाये तथा जिससे यह व्यक्त हो कि उसमें लिखा माल उसके गोदाम में जमा किया गया है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "गोदाम" का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, इमारत अथवा अन्य पटे हुए घेरे से है जो निक्षेप्ताओं की ओर से माल जमा रखने के काम में लाया जायगा या लाया जा सके ;

(ञ) "गोदाम-परिचालक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपने गोदाम के लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, तथा

(ट) "सम्युक् अनुक्रम से धारी" का अर्थ वही है जो निगोशिए बिल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, १८८१ में पद "होल्डर इन ड्यू कोर्स (Holder in due course)" का है ।

अध्याय २
गोदामों का लाइसेंसी करण

गोदाम-परिचालक ।

३--कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंस तथा समय-समय पर नियत की जाने वाली तत्सम्बन्धी शर्तों के अनुसरण के बिना गोदाम-परिचालक का व्यवसाय नहीं करेगा ।

लाइसेंस की स्वीकृति ।

४--(१) लाइसेंस के लिए प्रत्येक प्रर्थना-पत्र नियत प्रपत्र में, नियत शुल्क के साथ, लाइसेंस-प्राधिकारी को दिया जायगा ;

(२) लाइसेंस स्वीकृति के पहले लाइसेंस-प्राधिकारी इस विषय में अपना समाधान कर लेगा कि:--

(क) प्रस्तावित गोदाम उस वर्ग विशेष का माल ठीक से जमा रखने के लिए उपयुक्त है, जिसके लिए लाइसेंस की प्रार्थना की गई है ;

(ख) प्रार्थी ने प्रतिभूति की नियत राशि दे दी है ;

(ग) प्रार्थी अन्य ऐसी शर्तें, जो नियत की जाय, पूरी करता है ;

(घ) ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि प्रार्थी लाइसेंस-प्राधिकारी के विचार में अनर्ह समझा जाय ;

(३) जब पूर्वोक्त सब शर्तें पूरी हो जायं तो लाइसेंस-प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है ।

लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन ।

५--राज्य सरकार सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित करके गोदाम-परिचालक को धारा ४ के अधीन स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों में परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकती है ।

लाइसेंस की अवधि तथा उसका नवीकरण ।

६--धारा ४ के अधीन स्वीकृत लाइसेंस नियत की जाने वाली अवधि तक वैध होगा तथा गोदाम-परिचालक द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं नियत शुल्क दिये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो नियत की जाय, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ में दी हुई अन्य शर्तें पूरी होती रहनी चाहिए ।

लाइसेंस के नवीकरण की अस्वीकृति की सूचना।

७—जब लाइसेंस-प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत करना अथवा उसका नवीकरण अस्वीकार करे तो वह अस्वीकृति के कारण लिखेगा तथा उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी को भेजेगा।

लाइसेंस का निलम्बन तथा रद्द करना।

८—लाइसेंस-प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक लाइसेंस स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रद्द अथवा निलम्बित किया जा सकता है यदि उसकी राय में लाइसेंस गृहीता :—

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो ; अथवा

(ख) गोदाम पर नियंत्रण से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग हो गया है; अथवा

(ग) ने गोदाम का संचालन बन्द कर दिया है ; अथवा

(घ) ने अपनी सेवाओं के लिये अनुचित परिव्यय मांगा या वसूल किया है; अथवा

(ङ) उस गोदाम के संचालन के लिये किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो गया है; अथवा

(च) ने लाइसेंस के किन्हीं शर्तों का अथवा इस अधिनियम या नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है अथवा उनका पालन नहीं किया है;

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन अथवा रद्द करने का आदेश देने के पूर्व लाइसेंस-प्राधिकारी गोदाम-परिचालक को एक नोटिस देगा जिसमें वे कारण वर्णित रहेंगे जिनके आधार पर लाइसेंस को निलम्बित अथवा रद्द करने का विचार हो तथा उसे समुचित अवसर देगा कि वह कारण बतलाये कि उसका लाइसेंस क्यों न निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहाँ लोक-हित में तुरन्त कार्यवाही आवश्यक हो वहां लाइसेंस-प्राधिकारी कारण लिखने के पश्चात् बिना इस प्रकार का नोटिस दिये लाइसेंस निलम्बित कर सकता है।

लाइसेंस लौटाना।

९—(१) जब लाइसेंस समाप्त, निलम्बित अथवा रद्द हो जाय तो गोदाम-परिचालक उस रूप में कार्य करना बन्द कर देगा तथा लाइसेंस लाइसेंस प्राधिकारी को लौटा देगा, जो कि गोदाम परिचालक को व्यवसाय के उपसंहार (winding up) के लिये उचित समय दे देगा।

(२) जब गोदाम परिचालक उपधारा (१) के अनुसार लाइसेंस नहीं लौटाता है, तो लाइसेंस-प्राधिकारी प्रतिभूति की धनराशि को पूर्णतः अथवा अंशतः जब्त करने का आदेश दे सकता है।

लाइसेंस की दूसरी प्रति।

१०—जब गोदाम-परिचालक का स्वीकृत लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विकृत हो जाय अथवा अन्य प्रकार से अस्पष्ट हो जाय तो लाइसेंस-प्राधिकारी नियत रीति से तथा नियत शुल्क दिये जाने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कर देगा।

अध्याय ३

गोदाम परिचालक के कर्त्तव्य

११—प्रत्येक गोदाम-परिचालक अपने पास जमा किये गये माल की उतनी देखभाल करेगा जितनी की उसी प्रकार की परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में औसत विचारशीलता वाला कोई व्यक्ति अपने माल की करेगा। जमा किये गये माल की उचित देख-भाल।

१२—(१) प्रत्येक गोदाम-परिचालक गोदाम में जमा किये गये माल को हानि तथा क्षति से बचाने के लिये अपने गोदाम को ऐसी अवस्था में रखेगा जो नियत की जाय। माल को क्षति से बचाने के लिए सावधानी।

(२) कोई गोदाम-परिचालक जमा करने के लिये ऐसा माल नहीं लेगा जिससे कि दूसरे माल को, जो जमा हो अथवा आगे जमा किया जाये, क्षति होने की संभावना हो।

१३—प्रत्येक गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में एक निक्षेप्ता के माल को दूसरे निक्षेप्ताओं के माल से, तथा निक्षेप्ता के अन्य ऐसे माल से, जिसके लिये अलग रसीद दी गई हो, ऐसी रीति से अलग रखेगा जिससे कि जमा किये गये मालों की हर समय पहचान हो सके तथा वे सरलता से दिये जा सकें: माल की पह-चान का परिरक्षण।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्धारित कोटि के अनुसार बनाये गये (standardized) और निर्धारित श्रेणी के (graded) माल किसी गोदाम में जमा किये जायें तो किसी विपरीत संविदा के अधीन रहते हुये, एक ही तरह का माल जो एक निक्षेप्ता अथवा विभिन्न निक्षेप्ताओं का हो साथ में रखा जा सकता है, और प्रत्येक निक्षेप्ता सूख तथा सिकुड़न का यथोचित ध्यान रखते हुये यथास्थिति अपनी रसीद में व्यक्त भार अथवा परिमाण के अनु-सार केवल अपने माल की मात्रा का अधिकारी होगा।

१४—प्रत्येक गोदाम-परिचालक निक्षेप्ता को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, निरीक्षण करने के लिये तथा यह समाधान करने के लिये कि माल की उचित रूप से देखभाल की जा रही है, आवश्यक सुविधायें देगा। गोदाम-परि-चालक निक्षेप्ता को माल के निरीक्षण की सुवि-धायें देगा।

१५—(१) जब कभी भी गोदाम में जमा किया गया माल गोदाम-परिचालक के वश के बाहर के कारणों से क्षीण होने लगे अथवा उसके क्षीण होने की संभावना हो तो वह तुरन्त निक्षेप्ता को इस आशय का नोटिस देगा जिसमें उससे अपेक्षा करेगा कि वह यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस करके तथा गोदाम-परिचालक को देय पूरे परिव्यय देकर माल में तुरन्त वापस ले ले। गोदाम में माल का क्षीण होना तथा उनका निस्तारण।

(२) यदि निक्षेप्ता उपधारा (१) के अधीन दिये गये नोटिस का पालन नियत समय के भीतर नहीं करता तो गोदाम-परिचालक निक्षेप्ता के व्यय तथा जिम्मेदारी पर माल को गोदाम से हटवा सकता है और उसका सार्वजनिक रूप से नीलाम करवा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि गोदाम-परिचालक ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, बिक्री की पूर्व सूचना उसके कम से कम ४८ घंटे पहले देगा।

स्पष्टीकरण :--सूखने अथवा सिकुड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने के कारण परिमाण या भार की वृद्धि इस धारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा यदि हानि या वृद्धि ऐसी सीमाओं से, जो नियत की जायं, अधिक हो ।

माल की दशा के विषय में सूचना ।

१६--कोई व्यक्ति, जो गोदाम में जमा किये गये किसी माल में या ऐसे माल की रसीद में स्वत्व रखता हो, गोदाम-परिचालक को इस तथ्य की तथा अपने स्वत्व की प्रकृति की लिखित सूचना दे सकता है और गोदाम-परिचालक इस बात का अभिलेख रखेगा । यदि ऐसा व्यक्ति लिखित प्रार्थना करता है कि माल की दशा की सम्बन्ध में उसे सूचित किया जाये तथा वह उस सूचना के लिये व्यय देने को सहमत हो तो गोदाम-परिचालक उसे तदनुसार सूचना देगा।

माल देना

१७--(१) निक्षेप्ता के मांगने पर, तथा उसके यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस करने और गोदाम-परिचालक को देय पूरे परिव्यय देने पर प्रत्येक गोदाम-परिचालक उसे अपने गोदाम में जमा किया हुआ माल अनावश्यक विलम्ब के बिना दे देगा;

प्रतिबन्ध यह है कि निक्षेप्ता अपने तथा गोदाम-परिचालक के बीच किसी अनुबन्ध के अधीन रहते हुये, गोदाम में जमा किये गये माल को आंशिक रूप से वापस (partial delivery) ले सकता है ।

(२) गोदाम-परिचालक को इस प्रकार दी जाने के पश्चात् प्रत्येक ऐसी रसीद उसके द्वारा विरूपित कर दी जायगी तथा पुनः जारी नहीं की जायेगी ।

(३) जब निक्षेप्ता द्वारा माल आंशिक रूप से ही वापस लिया जाये तो गोदाम-परिचालक शेष माल की एक नई रसीद दे देगा ।

जमा किये गये माल में कमी अथवा वृद्धि के लिये गोदाम परिचालक का उत्तर दायित्व।

१८--(१) गोदाम-परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा ।

(२) जब इस सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो कि भार या परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी या वृद्धि सूख या नमी सोख लेने के कारण है अथवा अन्य ऐसे कारणों से है जो गोदाम-परिचालक के वश के बाहर थे तो यह विवाद धारा ३४ में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका कि इस सम्बन्ध में निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा ।

गोदाम के माल का बीमा ।

१९--प्रत्येक गोदाम-परिचालक ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अपने गोदाम में जमा माल का अग्नि, वर्षा, बाढ़, चोरी, दंगा या ऐसी अन्य घटना द्वारा, जो नियत की जाय, हानि या क्षति के विरुद्ध बीमा करायेगा ।

विभेद निषेध ।

२०--कोई गोदाम-परिचालक अपने व्यवसाय के संचालन में उन व्यक्तियों में विभेद नहीं करेगा जो उसके गोदाम की सुविधाओं का उपयोग करने की इच्छा करते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि गोदाम-परिचालक सहकारी समिति को ऐसी अधिमान्यता देगा तथा उसके लिये ऐसी रियायती दरें रखेगा जो नियत की जायं ।

२१--किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति या ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट ऐंड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ के अधीन स्थापित किसी सेन्ट्रल अथवा किसी स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से भिन्न कोई गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा करने के लिये प्राप्त माल से अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से न व्यापार करेगा न उस पर रुपया उधार देगा । गोदाम-परिचालक गोदाम में जमा माल से न तो व्यापार करेगा और न उस पर रुपया उधार देगा ।

२२--गोदाम-परिचालक गोदाम में माल जमा रखने के लिये ऐसे परिव्यय ले सकता है, जो नियत किये जायं । सेवा परिव्यय ।

२३--गोदाम-परिचालक हिसाब-किताब तथा अभिलेख ऐसे आकार में तथा रीति से रखेगा जो नियत किये जायं । लेखे आदि का रखाजाना ।

२४--प्रत्येक गोदाम-परिचालक का अपने गोदाम में जमा किये गये माल पर, माल जमा रखने के परिव्यय तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी आनुषंगिक परिव्ययों के लिये ग्रहणाधिकार (lien) होगा । गोदाम-परिचालक का ग्रहणाधिकार ।

अध्याय ४

माल का श्रेणी-निर्धारण

२५--(१) लाइसेंस-प्राधिकारी नियत प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र तथा नियत शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि दिये जाने पर नियत अर्हताओं वाले व्यक्तियों को लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है, जो उन्हें लाइसेंस प्राप्त गोदाम में जमा किये गये अथवा जमा किये जाने वाले किसी माल के तौला, नमूना बनाने वाले तथा वर्गकार का कार्य करने वाले तथा अपने द्वारा परीक्षित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के बारे में प्रमाण-पत्र देने के लिये प्राधिकृत करेगा । तौला (ewighers) नमना बनाने वाल (Samplers) तथा वर्गकार (classifiers) का लाइसेंस लेना ।

(२) इस प्रकार दिया गया कोई प्रमाण-पत्र, धारा २९ के अधीन मध्यस्थ-मंडल में की गयी अपील के आदेश के अधीन रहते हुये, गोदाम-परिचालक तथा निक्षेप्ता के लिये इस प्रकार प्रमाणित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के विषय में बन्धनकारी होगा ।

(३) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, न तो तौला, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार के रूप में काम करेगा और न स्वयं को इस रूप में प्रकट करेगा ।

२६--(१) तौला, नमूना बनाने वाले तथा वर्गकार का धारा २५ के अधीन स्वीकृत प्रत्येक लाइसेंस ऐसी अवधि तक वैध होगा जो नियत की जाय तथा प्रार्थना-पत्र एवं नियत शुल्क दिये जाने पर समय-समय पर ऐसी और अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा, जो नियत की जाय । धारा २५ के अधीन स्वीकृत लाइसेंस सम्बन्धी उपबंध ।

(२) लाइसेंस-प्राधिकारी लाइसेंस-गृहिता को उन कारणों की सूचना देने के पश्चात् जिनके आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो तथा उसे इसके विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, कोई भी लाइसेंस रद्द कर सकता है ।

(३) जब लोकहित में तुरन्त कार्यवाही करने की अपेक्षा हो तो लाइसेंस-अधिकारी, कारण लिखने के पश्चात्, कोई भी लाइसेंस बिना उक्त सूचना दिये निलम्बित कर सकता है ।

लाइसेंस लौटाना

२७--जब कभी तौला, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार को स्वीकृत लाइसेंस समाप्त हो जाये अथवा निलम्बित या रद्द कर दिया जाये तो लाइसेंस-गृहीता उसे लाइसेंस-प्राधिकारी को लौटा देगा और उसके ऐसा न करने पर उसकी सम्पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिभूति जब्त की सकेगी ।

माल तौलने आदि के लिये सुविधा देना।

२८--प्रत्येक गोदाम परिचालक अपने गोदाम में जमा किये जाने वाले माल के तौलने, उसका नमूना बनाने एवं उसके वर्गीकरण की उन सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो नियत की जायं ।

मध्यस्थ-मंडल

२९--लाइसेंस-प्राधिकारी गोदाम में जमा माल के प्रकार, भार अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में किसी तौला, नमूना बनाने वाले वर्गकार अथवा गोदाम-परिचालक के विरुद्ध किसी शिकायत की नियत रीति से निर्णय करने के लिये नियत रीति से एक मध्यस्थ-मंडल का संघटन कर सकता है । मध्यस्थ-मंडल का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

अध्याय ५
गोदाम की रसीदें

रसीद देना

३०--गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा किये गये माल की रसीद देगा ।

रसीद का पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरण ।

३१--यदि गोदाम-परिचालक द्वारा दी गई रसीद में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, तो वह पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय होगी एवं सम्यक अनुक्रम से धारी व्यक्ति को उसमें निर्दिष्ट माल उन्हीं शर्तों पर पाने के लिये अधिकृत करेगी जिन पर कि मूल निक्षेप्ता पा सकता ।

दूसरी रसीद ।

३२--यदि रसीद खो जाय, नष्ट हो जाये अथवा बिगड़ जाय तो निक्षेप्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने तथा नियत शुल्क चुकाये जाने पर, गोदाम-परिचालक , ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगी ।

अध्याय ६
विविध

निरीक्षण

३३--लाइसेंस प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम तथा नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है ऐसे समय के अन्दर, जो नियत किया जाय, कभी भी किसी गोदाम, उसके यंत्र-तथा साज-सज्जा का, उसमें जमा किये गये माल तथा उससे सम्बन्धित हिसाब-किताब और अभिलेख का निरीक्षण या परीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है ।

अपील

३४--(१) लाइसेंस प्राधिकारी की गोदाम परिचालक का कोई लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत न करने अथवा निलम्बित या रद्द करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी अवधि के भीतर की जा सकेगी जो नियत की जाय ।

(२) अपील सुनने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

लाइसेंस के निलम्बन अथवा रद्द करने के लिये प्रतिकर मिलन ।

३५--इस अधिनियम के अधीन जब कोई लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द किया जाय तो लाइसेंस-गृहीता उसके लिये किसी प्रतिकर का अधिकारी न होगा और यदि उसने कोई शुल्क दिया हो तो उसकी वापसी का भी अधिकारी न होगा ।

३६—प्रत्येक संविदा और अनुबन्ध, जो इस अधिनियम या नियमावली के उपबंधों से असंगत हों, ऐसी असंगति की आयति तक शून्य (void) होगा। इस अधिनियम से असंगत अनुबंध शून्य होंगे।

३७—(१) जो कोई : दंड तथा प्रक्रिया।

(क) इस अधिनियम के अधीन, लाइसेंस प्राप्त किये बिना लाइसेंस प्राप्त गोदाम-परिचालक, तौला, नमूना बनाने वाले या वर्गकार का कार्य करता है या अपने को ऐसा प्रकट करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम के या नियमों के किन्हीं उपबन्धों या अपेक्षाओं का जानबूझ कर उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है।

तो वह कारावास द्वारा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या अर्थ-दंड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों द्वारा, दंडनीय होगा।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन कोई अपराध करने वाला कोई कंपनी या कोई संस्था अथवा व्यक्तियों का समुदाय हो, चाहे वह निगमित हो या न हो, तो उस कम्पनी, संस्था या समुदाय के कार्यों का प्रबंध करने वाले प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता अथवा अन्य मुख्य अधिकारी को, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, उस अपराध का दोषी समझा जायगा।

३८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है ; अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंसों का आकार (प्रपत्र) तथा उनकी शर्तें ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के स्वीकरण, नवीकरण रद्द करने तथा निलम्बन से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(ग) समय-समय पर लाइसेंसों के स्वीकरण, निलम्बन तथा रद्द करने और गोदाम परिचालकों एवं उनके गोदामों की सूची का प्रकाशन ;

(घ) प्रतिभूति की धनराशि को जब्त करने की प्रक्रिया;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन सूचनायें देने की रीति;

(च) धारा ७ के अधीन आदेशों को संदिष्ट करने की रीति;

(छ) धारा १५ के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल बेचने की रीति;

(ज) आकार (प्रयत्र) तथा रीति जिसमें धारा १६ के अधीन सूचना भेजी जायगी तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्यौरे;

(झ) धारा १७ के अधीन माल देने का प्रक्रिया;

(ञ) धारा २५ के अधीन दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का आकार (प्रपत्र) ;

(ट) लाइसेंस-प्राप्त गोदामों में प्रयोग के लिये प्रामाणिक बांट, नाप तथा मालों का श्रेणी-निर्धारण;

(ठ) धारा २९ के अधीन मध्यस्थ-मंडलों की कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके निर्णय के निष्पादन की रीति;

(ड) अपीलों के निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) सामान्यता गोदाम-परिचालक के कार्य का दक्ष संचालन; तथा

(ण) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा जो नियत किये जा सके ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायं ।

उद्देश्य तथा कारण

सहकारिता के सिद्धान्तों पर कृषि की उपज की उन्नति करने तथा उसे गोदामों में रखने के सम्बन्ध में रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये संसद ने ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एण्ड वेअर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ अधिनियमित किया है । इन अधिनियम में कृषि की उपज को जमा करने तथा उसे गोदामों में रखने के कार्यक्रम की उन्नति के लिये प्रत्येक राज्य में "स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन" की स्थापना की व्यवस्था है ।

(२) भारत सरकार ने राज्यों को गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये तथा उनके ठीक अधीक्षण और नियंत्रण के लिये व्यवस्था करने की सलाह दी है । अतएव, प्रस्तुत विधेयक उक्त निगमों तथा दूसरों द्वारा स्थापित किये जाने वाले गोदामों के संचालन के लिये राजकीय स्तर पर आवश्यक विधिक रूपरेखा की व्यवस्था करता है । यह विधेयक गोदामों के लाइसेंस देने तथा उनके निरीक्षण की व्यवस्था करता है, गोदाम-परिचालकों के कर्तव्य निर्दिष्ट करता है तथा साधारणतया माल के जमा रखने एवं उसके श्रेणी-निर्धारण और झगड़ों को निबटाने तथा उसी प्रकार के अन्य विषयों के विनियमन का प्रयत्न करता है ।

(३) उपर्युक्त उद्देश्यों से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

मोहनलाल गौतम,
सहकारिता तथा कृषि मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३४ एल० एल०—१९५८—८३७ ।